तृतीय धारा, खण्ड ११—अंक २१

शुक्रवार ७ दिसम्बर, १९६२
१६ अग्रहायण, १८८४ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तीसरा सत्र)

3rd Lok Sabha

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 13
1-1-63

(खण्ड ११ में अंक २१ से अंक २६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ६ और ७	१९३९-४२
असम के दौरे और अन्य विषयों के बारे में वक्तव्य . .	१९४३-५१
श्री जवाहरलाल नेहरू	
लोक लेखा समिति	१९५१
चौथा प्रतिवेदन	
प्राक्कलन समिति .	१९५१
आठवां प्रतिवेदन	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१९५१--५३
नियम ६६ के परन्तुक का निलम्बन	१९५३-५५
आपातकालीन जोखिम (माल) बीमा विधेयक . . .	१९५२-५५
आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा विधेयक	१९५५-७१
विचार करने के प्रस्ताव	
श्री मोरारजी देसाई . . .	१९५५-५६
श्री [illegible]	१९५६-५७
श्री [illegible]	१९५७-५८
श्री अ० अ० [illegible] . . .	१९५८
श्री बड़े . .	१९५९-६०
हिम्मतसिंह का . . .	१९६०-६१
श्री काशी राम गुप्त . . .	१९६१-६२
श्री त्यागी . . .	१९६२-६३
श्री हेम बरुआ . .	१९६३-६४
श्री श्याम लाल सर्राफ .	१९६४
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी . .	१९६४-६५
श्री प्र० चं० बरूआ . . .	१९६५
श्री ह० चं० मौय . .	१९६५-६६
श्री अ० ना० विद्यालंकार . . .	१९६६
श्री रामेश्वर टांटिया . .	१९६६-६७
श्री बिमान चन्द्र सेठ . .	१९६७-६८
श्री दी० चं० शर्मा . . .	१९६८-७१
(१) खंड २ से १७ और १ [आपातकालीन जोखिम (माल) बीमा विधेयक]	१९७१-७४

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा

शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९६२

१६ अग्रहायण, १८८४ (शक)

लोक-सभा बारह बजे समवत हुई।

*[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प-सूचना प्रश्न और उत्तर

सरकारी भूमि पर से शरणार्थियों का हटाया जाना

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **निर्माण, आवास और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चंदा समिति की रिपोर्ट पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उन बहुत से शरणार्थियों को, जो गत १२ वर्षों से या इससे भी अधिक समय से अनधिकृत रूप से "नजूल" भूमि पर कब्जा किये हुए हैं, हटाये जाने के लिए नोटिस क्यों दिये गये हैं; और

(ग) क्या वर्तमान परिस्थितियों में इन नोटिसों को वापस ले लेने का विचार है ?

†**निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) जी हां ।

(ख) जिन अनधिकृत लोगों का कब्जा है उनके मामलों पर मुख्यायुक्त, दिल्ली विकास प्राधिकार, दिल्ली नगरपालिका और नयी दिल्ली नगरपालिका के साथ चर्चा की जा चुकी है। निर्णय यही हुआ था कि इन पात्र शरणार्थियों के साथ भी जिहोंने अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है। वही व्यवहार किया जाय जो झुग्गी झोंपड़ी योजना के अन्तर्गत अन्य ऐसे लोगों से किया गया है। यह ठीक नहीं समझा गया था कि उनके साथ लिहाज किया जाये ।

(ग) नहीं जी

†मूल अंग्रेजी में

2424(Ai) LSD—1.

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बारे में श्री गाडगिल ने जो वायदे किये थे और उन्हें पूरा करने का आश्वासन मंत्री महोदय ने ८–६–१६५६ को सदन में दिया था, उन्हें पूरा किया गया है, यदि नहीं तो क्यों ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : श्री गाडगिल के आश्वासनों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वे यही थे कि जिस शरणार्थी को किसी स्थान से उठाया जाये उसे बदले में जगह दी जाये। केवल दिल्ली में हमने इसी मतलब से ही ६०,००० के लगभग क्वार्टर, प्लाट अथवा दूकानें बना कर इन शरणार्थियों को दी हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : स्वास्थ्य मंत्रालय की जिस भूमि पर शरणार्थियों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया था, क्या यह ठीक है कि उसे नियमित कर दिया गया है, तो इनके साथ भेद-भाव क्यों किया गया ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : इसका स्वास्थ्य मंत्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं, स्वास्थ्य मंत्री को भी इसका कुछ पता नहीं।

†**श्री वारियर** : क्या यह ठीक है कि निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय व्यक्तिगत मामलों को कार्यान्वित करने वाला था परन्तु हाल ही के सम्मेलन के बाद इसे रोक दिया गया ? इसे रोकने का क्या कारण है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : एक तो अनधिकृत रूप से कब्जा करने वले को हटाने पर बदले में जगह देने का उपबन्ध है और दूसरा उस व्यक्ति को उसी स्थान पर नियमित करने का प्रश्न है। इनमें बड़ा अन्तर है। हमें सब मामलों पर विचार करना पड़ा था। स्थानीय निकायों से परामर्श करके मैंने जब इन मामलों पर विचार किया तो पता चला कि कुछ भूमि की स्कूलों तथा अस्पतालों के लिए जरूरत है। कुछ भूमि की सड़कों के लिए जरूरत है। कुछ लोग तो सड़कों के बांधों पर ही पड़े थे। कुछ लोग मास्टर प्लान के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर पड़े थे। कई क्षेत्र इतनी घनी आबादी वाले थे कि सफाई करनी बड़ी जरूरी थी। इस तरह के धरना देने वाले दिल्ली में ५०,००० के लगभग हैं। हमने बदले में जगह देने की घोषणा इसी सदन में कर दी है। जिनका बदले में जगह लेने का अधिकार है, उन्हें निश्चित रूप में जगह दी जायेगी।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार के सामने कुछ ऐसे भी सुझाव पेश किए गए हैं कि जब तक हमारा यह देश इस खतरनाक दौर से गुजर रहा है, तब तक इस प्रोग्राम के अमल को स्थगित कर दिया जाए ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : हमारे ऊपर जो आपत्ति आयी है उसकी वजह से अगर हम दिल्ली में जो स्क्वैटिंग हो रहा है उसको पीछे डाल देंगे तो मेरे ख्याल में दिल्ली में कोई जगह ही नहीं रहेगी। मेरे खयाल से यह बहुत जरूरी है कि इस स्क्वैटिंग को रिमूव किया जाए और जमीन को साफ किया जाए।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह सही है कि श्री गाडगिल जी के अतिरिक्त स्वयं माननीय मंत्री महोदय ने भी इस बारे में शरणार्थियों को कुछ आश्वासन दिए हैं; यदि हां, तो क्या वे अपने आश्वासनों के प्रतिकूल कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि उनके साथ अन्याय हो ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैंने शरणार्थियों को २० या २५ करोड़ की जमीन बेची है जिसकी कीमत आज सौ करोड़ रुपया है। और जो चन्द बाकी रह गए हैं उनको हटाया जाएगा तो उनको दूसरी जगह दी जाएगी। मैंने यह नहीं कहा कि उनको जगह नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर कोई कहे कि मैं ने पंडित जी के घर में स्क्वैटिंग किया है मुझे वहीं जगह दी जाए और मुझे वही रेग्यूलराइज बना दिया जाए, तो यह तो नामुमकिन चीज है।

श्री बागड़ी : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो लोग आ करके रहे हुये हैं और जिनको आज जबरदस्ती हटाया जा रहा है, तो जिस वक्त वह बैठे थे उसी वक्त क्यों नहीं उनको चैक किया गया। अगर इस वक्त उनको हटाने का अधिकार दिया जाएगा तो इसका मतलब यह होगा कि दिल्ली की ला एंड आर्डर पोजीशन पर बुरा असर पड़ेगा। क्या इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया गया ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह हमारी बदकिस्मती थी कि ये लोग लाखों की तादाद में आए। और जिस वक्त ये लोग सन् १९४७–४८ में आए थे उस वक्त ऐसे हालात थे कि कोई इन्सान गौर खौज नहीं कर सकता था। बहुतों को जगह दे दी गई है। लेकिन हमें यह इल्म नहीं था कि ऐसे हालात होंगे।

†**श्री भागवत झा आजाद** : जहां सरकार को अपने लिए भूमि नहीं चाहिये, क्या वहां सरकार इस प्रकार के आश्वासन को कार्यान्वित करेगी ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैंने अभी कहा है कि श्री गाडगिल के आश्वासनों को कार्यान्वित किया जा रहा है और किया जायेगा। परन्तु मैं यह आश्वासन नहीं दे सकता कि जहां कहीं भी कोई बैठा है, उसे वहीं नियमित कर दिया जायेगा।

'मिग' विमान कारखाना

७. **श्री देशपांडे** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'मिग' विमान का निर्माण करने के लिये कारखाने स्थापित करने की व्यवस्था पूरी हो गई है;

(ख) क्या यह निश्चय कर लिया गया है कि विमान के ढांचे और इंजन तैयार करने के लिये दो कारखाने कहां कहां लगाये जायेंगे; और

(ग) भारत में निर्मित 'मिग' विमान किस वर्ष उपलब्ध हो सकेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) तथा (ख). दो यूनिटें खड़ी करने का प्रस्ताव किया गया है, जिनमें से एक में तो वायुयान का ढांचा और उससे संबंधित अन्य साज-सामान बनाये जायेंगे और दूसरी में इंजिन बनाया जायेगा। उपयुक्त स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है और एक यूनिट महाराष्ट्र प्रदेश में और दूसरी उड़ीसा प्रदेश में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। मामले पर संबंधित राज्य सरकारों से विचार-विमर्श हो रहा है।

(ग) भारत में बना हुआ प्रथम वायुयान कब उपलब्ध हो सकेगा, इस विषय में अभी कुछ कहना उपयुक्त समय से बहुत पहले की बात होगी।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह रूसी सरकार के सहयोग से कारखाना लगाया जा रहा है और यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुरामैया** : मैं ने कई बार सभा में कहा है कि यह कारखाना रूस की सरकार के सहयोग से बनाया जा रहा है। तत्संबंधी करार की सब बातें बताना ठीक नहीं होगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरा प्रश्न था . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने कहा है कि इस सहयोग की शर्तों को बताया नहीं जा सकता।

श्री राम सेवक यादव : मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह काम शुरू हो गया है, या जिस तरह से दिसबम्र के पहले हफ्ते में मिग विमान आने की बात कही गयी थी उसी तरह से यह मामला आगे चला जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो इन्फरेंसेज की बात है।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : एक मानो में यह कहा जा सकता है कि काम शुरू हो गया है। जमीन वगैरह देखी गयी और चुनी गयी, इस किस्म के काम तो हो रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो दिसम्बर के पहले हफ्ते की बात कही, तो ऐसी तो कोई चर्चा नहीं हुई थी।

श्री राम सेवक यादव : प्रधान मंत्री जी ने कहा कि वह चर्चा नहीं हुई थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां यह कहा गया था कि दिसम्बर के पहले हफ्ते में मिग विमान आना शुरू होगा।

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरा सवाल है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इन कारखानों को दूर दूर क्यों स्थापित किया जा रहा है जहां कि कोई इन्तजाम नहीं है। कानपुर और बंगलौर में क्यों नहीं किया जा रहा ?

†**श्री हेम बरुआ** : अभी हाल में तास और मास्कों रेडियो द्वारा भारत के विरुद्ध जो प्रचार किया जा रहा है, विशेष कर अमरीकी सहायता के मामले को लेकर। क्या इस प्रकार की रूसी प्रतिक्रिया का इन कारखानों की स्थापना पर भी प्रभाव पड़ेगा ? क्या उनकी स्थापना में कुछ देरी तो नहीं हो जायेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इसके बारे में कैसे कह सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री जी ने अभी इस बारे में वक्तव्य दिया है।

श्री त्यागी : एच० ए० एल० फैक्टरी में जो सुपरसोनिक का प्रोटोटाइप तैयार हुआ था और वह फ्लाइट वगैरह में सक्सेसफुल हो गया था तो क्या उस का बनाना छोड़ दिया गया ह या वह भी साथ साथ चलेगा ?

†**श्री रघुरामैया** : परियोजना का काम चल रहा है। दूसरा आदि रूप (प्रोटोटाइप) कुछ समय पहले तैयार हो गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

असम के दौरे और अन्य विषयों के बारे में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं तेजपुर और असम के अन्य भागों के गत दो दिनों के अपने दौरे के बारे में एक संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहता हूं ।

सब से पूर्व मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हमारी सेना और असम के लोगों के हौसले बड़े ऊंचे हैं। चीनियों ने जो घायल बंदी लौटाये हैं, उनमें से कुछ के गहरे घाव हैं । उनको आराम के लिय कुछ समय तेजपुर में रख कर दिल्ली लाया गया है ।

माननीय सदस्यों ने चीनियों के पीछे हटने के बारे में अक्सर सवाल किये हैं । इस बारे में मैं अभी कुछ निश्चित जानकारी नहीं दे सकता । परन्तु कल तक वे मुख्य क्षेत्रों में मौजूद थे । इस पर भी इस प्रकार के संकेत जरूर मिले हैं कि व विभिन्न स्थानों से हट रहे हैं । हमें कैदी उन्होंने बोमडीला में दिये । यह भी एक युद्ध क्षेत्र ही है ।

लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने की बहुत सी सूचनायें प्राप्त हुई हैं, पता नहीं आपने उन्हें स्वीकार किया है या नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** । मैंने उन्हें आपके पास भेज दिया है ताकि आप युद्ध-विराम संबंधी वाद-विवाद का उत्तर देते समय उन पर भी प्रकाश डाल सकें । बस इतना ही ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : अच्छी बात है बहुत कुछ कहने को नहीं है परन्तु जो कुछ भी है उसे संक्षेप में कहने का प्रयत्न करूंगा । भारत के ल्हासा एवं शंघाई स्थिति वाणिज्य दूतावास बन्द कर दिये गये हैं और चीनियों से अपने कलकत्ता और बम्बई के वाणिज्य दूतावासों को बन्द करने के लिय कहा गया है । उन्हें बन्द करने के लिये १५ दिसम्बर अन्तिम तिथि निश्चित की गयी है ।

मैंने यह बात पहिले भी कही थी कि चीनियों ने युद्ध विराम की घोषणा के पश्चात् २३ नवम्बर, २४ नवम्बर और २५ नवम्बर को हमारे लौटते हुए सैनिकों पर जो गोली वर्षा की थी उसमें कुछ व्यक्ति मारे गये तथा कुछ घायल हुए । उसके बाद युद्ध-विराम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ ।

जहां तक बी०बी० सी० से प्रसारित मेरे इस कथन का संबंध है कि मैं ने कहा था कि भारतीय सेना चीनियों को नेफा और लद्दाख के काफी भाग से निकाल देगी । यह पूछा जाता है कि उनको समस्त लद्दाख से क्यों नहीं निकाला जाता ? बात यह है कि अभी हम अन्तरिम स्थिति के बारे में विचार कर रहे हैं अन्तिम स्थिति का नहीं । इस दृष्टि से हमारा ध्यान युद्ध-विराम और वापसी के परिणामों पर केन्द्रित है । चीनीयों का यह कहना है कि वे मेकमहोन लाइन से पीछे हट जायेंगे और अपनी चौकियां भी उस लाइन के पीछे ही रखेंगे ।

काश्मीर के मामले में मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है । हमने पाकिस्तान सरकार से उस बैठक की तारीख और स्थान के बारे में पूछा है जो मंत्रियों के स्तर पर होने जा रही है । हम उस पर विचार करके उनको शीघ्र ही उसका उत्तर दे देंगे ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय . . .

अध्यक्ष महोदय : सब को एक दम तो मैं बुला नहीं सकता हूं, बारी बारी ही बुला सकता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, विषयांतर। पहले कृपया मेरी सुन लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा आप ही पहले कह लीजिये।

श्री रामेश्वरानन्द : प्रधान मंत्री जी ने इस समय जो भाषण दिया वह अंग्रेजी में दिया है और उन्हें हिन्दी बहुत अच्छी आती है लेकिन वह यहां कभी हिन्दी में नहीं बोलते आखिर इस का क्या कारण है? इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषय पर हिन्दी में भी कहना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये, मैंने आप को सुन लिया।

श्री रामेश्वरानन्द : सुन तो आप ने लिया लेकिन जो मैं ने कहा उस का उत्तर क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उस के कहने की जरूरत नहीं है इस बारे में मैं कई दफे कह चुका हूं।

†**श्री हेम बरुआ**: क्या न्यूयार्क टाइम्स में छपी यह खबर ठीक है कि प्रधान मंत्री जी लद्दाख के अक्साई चिन क्षेत्र को चीनियों को देने के लिये तैयार हैं। इससे काफी असन्तोष है अतः प्रधान मंत्री जी को इसका स्पष्टीकरण करना चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम भारत तथा विदेशी अखबारों की बातों का उत्तर देने के लिये बाध्य नहीं है।

चीनियों ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं हमने जवाब में कुछ प्रस्ताव रखे हैं। इसका मामले के अन्तिम हल से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैकमहोन रेखा के बारे में कुछ भ्रांति अवश्य है क्योंकि इस रेखा के बारे में चीनियों की धारणा अपनी है। वैसे चीनियों के अनुसार वे वाटरशड के पीछे तक हट जायेंगे। यह तो एक निश्चित भौगोलिक तथ्य है। इस बारे में हम एक पुस्तिका निकाल रहे हैं जिसमें कुछ मेरे और कुछ श्री चाऊ-एन-लाई के पत्र हैं। माननीय सदस्यों को वह पुस्तिका मिल जायेगी।

†**श्री हेम बरुआ** : मेरा निवेदन यह है कि नीति सम्बन्धी बातें माननीय मंत्रियों को सदन में ही कहनी चाहिएं बाहर नहीं। श्रीमती लक्ष्मी मेनन ने रंगून और कोलम्बो में कुछ नीति सम्बन्धी बातें की हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वह तो यह कि विभिन्न लोगो से बातचीत करते हुए [कुछ व कुछ तो कहना ही पड़ता है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या युद्ध बन्दियों के बारे में कोई सूचना भारत सरकार के पास है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने निवेदन किया है कि युद्ध विराम की चर्चा करते समय इन बातों को १० दिसम्बर को लिया जायेगा।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी अभी तेजपुर गए थे। हम को यह खबर मिली थी कि कांग्रेस के एक बड़े जिम्मेदार आदमी ने, जो कि इस सदन के सदस्य भी हैं, वहां पर कहा कि चीन से लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि

---

†मूल अंग्रेजी में

उस की तीन करोड़ की पल्टन है और उस के तीन हजार हवाई जहाज तैयार हैं। उस से लोगों में अविश्वास की भावना और ज्यादा घबराहट बढ़ी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कहां तक सही है ।

अध्यक्ष महोदय : वह इस का जवाब दे चुके हैं कि वहां पर मोराल बहुत हाई है।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के एक भूतपूर्व अध्यक्ष ने, जो कि इस सदन के सदस्य हैं, वहां पर यह भावना पैदा की है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कहां तक सही है ।

†**श्री रंगा** : संसद् सदस्यों को वहां जाने के बारे में कुछ सुविधायें दी जानी चाहिएं और साथ ही में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सुविधायें केवल कांग्रेसी सदस्यों को ही नहीं अन्य दलों के सदस्यों को भी दी जानी चाहिएं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ने अखबारों में पढ़ा था कि लगभग ४० सदस्य जा रहे हैं, परन्तु मेरे विचार में इस समय वहां जाना ठीक नहीं । स्थानीय अधिकारी वहां कई अन्य महत्वपूर्ण कामों में लगे हुए हैं, माननीय सदस्यों के वहां जाने से उनका ध्यान बटेगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : युद्ध बन्दियों के बारे में क्या स्थिति है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पिछली रात को कुछ युद्ध बन्दी वापिस किये गये थे। कुछ घायलों को भी वापिस किया गया है परन्तु उनकी संख्या का मुझे पता नहीं । कितने वे हमें दे रहे हैं और क्या व्यवस्था है । मेरे विचार में प्रारम्भिक व्यवस्था पर सहमति होते ही इस प्रश्न को ले लिया जायेगा । उन्होंने कैदियों की अदला बदली की बात की है ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : (जोधपुर) : यह भी समाचार है कि शंघाई ल्हासा में हमारे कूट-नीतिक प्राधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है । दूसरा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों को चीनी छोड़ जायेंगे, क्या हम उन क्षेत्रों का नियंत्रण सम्भाल लेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन मिशनों को वापस बुला लेने की यहां बार बार मांग की जाती रही है?

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : समाचारपत्रों में समाचार छपते रहते हैं । मैं इस विषय के बारे में स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमारे वाणिज्य दूतावासों में, विशेषकर ल्हासा में किये जाने वाले व्यवहार के बारे में मैं उत्तर दे चुका हूं। वहां वे बहुत कठिनाई में थे और कोई उपयोगी काम नहीं कर सकते थे । हम ने सोचा कि उन का वहां रह जाना सहायक नहीं होगा। इसलिए हम ने उन्हें धीरे धीरे वापस बुला लेने का निर्णय किया। धीरे धीरे का अर्थ यह है कि पहले स्त्रियों को भेजा गया, फिर महावाणिज्यदूत स्वयं चले आये।

प्रभावोत्पादक नियंत्रण या तो समझौते से हो सकता है या बल से। इस समय हम यह चर्चा कर रहे हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय समय में समझौते से क्या किया जा सकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : जब संसद् बैठी हो, तो सारे महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय, समाचार-पत्रों को दिये जाने से पहले, इसे बताये जाने चाहियें ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं सब कुछ बता देता हूं । महत्वपूर्ण मामले कौन से हैं और गैर-महत्वपूर्ण कौन से हैं ।

†**श्री रंगा** : प्रधान मंत्री के वक्तव्य से यह मालूम होता है कि नेफा में खोये गये क्षेत्र पर पुनः कब्जा जमाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, वास्तविक कठिनाई लद्दाख में होगी । क्या इस प्रकार का वक्तव्य, जिस में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सदन के बाहर दिया जा सकता है ?

†**श्री फ्रैंक एंथनी** (नाम-निर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : क्या हम यह समझ लें, कि सरकार ने अपनी पहली नीति बदल दी है, क्योंकि सरकार कह चुकी है कि हम अपने क्षेत्र पर पुनः कब्जा करने के बारे में कभी बातचीत नहीं करेंगे ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यदि माननीय सदस्यों ने वे पत्र सावधानी से पढ़े होते, जो मैं ने पटल पर रखे हैं, और जो बाद में समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए हैं, तो उन्हे इन प्रश्नों का स्वयं उत्तर मिल जाता ।

नेफा के बारे में मैं किसी अन्तिम निर्णय के बारे में नहीं कह रहा था, मेरा संकेत चीनी प्रस्ताव की ओर था, जिस में उन्होंने मेकमाहोन रेखा से परे चले जाने के बारे में कहा था, किन्तु लद्दाख के सम्बन्ध में उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। मैं ने इसे ध्यान में रख कर कहा था कि नेफा में अधिक कठिनाई नहीं होगी क्योंकि वे वहां से हट जाने के लिए तैयार हैं, जबकि लद्दाख में वे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। इसीलिए मैं ने कहा थी कि समस्या मुख्यत लद्दाख के बारे में है ।

†**श्री रंगा** : १९५९ में चू० एन० लाई ने एक सम्मेलन में कहा था कि उनका नेफा पर कोई दावा नहीं और कि सारी कठिनाई लद्दाख के बारे में है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सम्मेलन में ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। मैं वर्तमान प्रस्ताव की बात कर रहा हूं। दूसरा प्रश्न यह है कि उस क्षेत्र में जहां से चीनियों ने जाना है, क्या करना होगा—क्या हम सेना को लेकर या पुलिस को ले कर वहां जायेंगे या असैनिक प्रशासन स्थापित करेंगे। इन अस्थाई प्रबन्ध का अन्तिम निर्णय से कोई सम्बन्ध नहीं ।

जहां तक श्री एन्थनी के प्रश्न का सम्बन्ध है, वह यह मानेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है कि शत्रु से कभी भी, युद्ध के दौरान में भी, बातचीत न की जाये । ऐसा रवैया कभी किसी ने नहीं अपनाया । सदन में कोई भी यह नहीं चाहेगा कि चीनी वापस न जायें ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता . . .

अध्यक्ष महोदय : जब प्राइम मिनिस्टर साहब बयान दे रहे हैं, उस वक्त माननीय सदस्य खड़े हो जायें, वह तो ठीक नहीं है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उन के हटने के बाद क्या होता है यह सब सैनिक मामले हैं। राजनीतिक मामले तब आते हैं जब नीतियां निर्धारित की जाती हैं। सैनिक मामलों में

---

†मूल अंग्रेजी में

हमें अपने सेना अध्यक्षों से सलाह लेनी पड़ेगी। मैं कार्यवाही के सैनिक पहलुओं की चर्चा नहीं कर सकता।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : औचित्य प्रश्न के हेतु। आप यह मानेंगे कि जब अधिवेशन हो रहा हो, तो नीति के सम्बन्ध में कोई वक्तव्य संसद् के बाहर नहीं दिया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात सरकार भी मानती है किन्तु मंत्रियों पर ऐसी कोई रोक नहीं है कि वह एसी चर्चा न करें या ऐसे वक्तव्य न दें, जो निर्धारित नीति के प्रतिकल न हों। और यहां कह दिया गया है कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जो संसद् या सरकार द्वारा निर्धारित नीति के विरुद्ध हो।

श्री राम सेवक यादव : मेरा सवाल यह था कि अभी श्री कामत ने और श्री रंगा ने यहां जो बात रक्खी नेफा और लद्दाख को ले कर के कि नेफा के बारे में...

अध्यक्ष महोदय : वह तो मैंने समझा।

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, जब तक आप मेरी पूरी बात नहीं सुनेंगे तब तक उसको समझ नहीं पायेंगे। अगर आप ऐन्टिसिपेट कर लेंगे तो आप कुछ समझेंगे और मेरा मतलब कुछ और होगा।

अध्यक्ष महोदय : यह बात ठीक है, लेकिन यहां पर एक दफा कहा जाता है, दूसरी दफा कहा जाता है और फिर कहा जाता है। जब मैंने एक दफा सुन लिया और आप को मौका दिया, फिर आपने सवाल भी कर लिया, तब भी अगर आप उसी को दोहराते चले जायेंगे तो उस से क्या फायदा होगा ?

श्री राम सेवक यादव : न अभी मैं ने अपनी बात कही और न मुझे उस का जवाब मिला। मेरा तो कहना यह है कि नेफा के बारे में तो इस तरह से चीज कही जाती है, लेकिन लद्दाख के बारे में एक तरह से खामोशी है। चीन की तरफ से कब्जा कर के कंसोलिडेट करने की बात है। इस के बारे में हमारी नीति साफ नहीं है। इसी के साथ कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष, जो कि इस सदन के सदस्य हैं, असम में जा कर भ्रम फैलाते हैं कि चीन की पलटन मजबूत है, उसके हवाई जहाज ज्यादा हैं। तो क्या दोनों के दिमाग में कोई मिलावट है ? सरकार ने ऐसा फैसला तो नहीं कर लिया कि वह लद्दाख चीन को दे देगी ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि कोई फैसला नहीं कर लिया गया है। इसका जवाब भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने दे दिया है। जो उन का बयान है कि नेफा में कोई तकलीफ नहीं होगी तो उन का मतलब है कि चूंकि चाइना खुद कह रहा है कि वह उस लाइन से पीछे हट जायेगा, इस वास्ते वहां कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन चूंकि लद्दाख की निस्बत कुछ नहीं कहता, इस वास्ते उस की निस्बत आर्गूमेंट है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरी समझ में यह बात नहीं आती है जिस की चर्चा यहां माननीय सदस्य करते हैं कि हमारे एक सदस्य ने वहां कुछ कहा है। मैं नहीं जानता कि उस में क्या है, कैसा मजूमा है और क्या उस के माने हैं। जो कुछ मैं जानता हूं वह मैंने कहा यहां पर। एक तो मैंने शुरू की बात कही थी, अपने नेफा सम्बन्धी बयान में कि मैंने वहां की हालत बहुत अच्छी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

पाई, आम जनता की भी और फौज की भी। मुझे इत्मीनान है। इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं ? मैं तफसील से तो बतला नहीं सकता कि हमारी फौज क्या कर रही है और आम जनता क्या कर रही है।

दूसरी बात जो नेफा के बारे में कही जाती है उस के सिलसिले में मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा, जिस के बारे में सवाल हुआ, कि जो चीनी तजवीजें हैं उन की निस्वत कोई फैसले का सवाल नहीं है। चीनी तजवीजों में कहा गया है कि वह सन् १९५९ की लाइन पर जायेंगे। अब सन् १९५९ की लाइन हो, सन् १९६० की लाइन हो, सन् १९७० की लाइन हो, कभी की हो, वह कभी नेफा की लाइन नहीं थी। इसलिये वह नेफा से बिल्कुल हटेंगे यह उन्होंने कहा है। और बातों को छोड़ दिया जाय, महज विघड़ाल को लिया जाय तो जो लाइन उन्होंने लद्दाख में खींची है उस में फर्क है। यानी जो पहले की बतलाते हैं वह बाद की लाइन से आगे है। मैंने इतना ही कहा था कि यह सवाल, उतना खास महदूद सवाल, नहीं उठता है नेफा में। और बहुत से सवाल उठ जाते हैं। उन के पीछे हटने का सवाल जहां तक है, वह क्या कर रहे हैं इस को मैंने साफ किया।

†**श्री हेम बरुआ** : औचित्य प्रश्न केहेतु। माननीय मंत्री का वक्तव्य उस संकल्प की भावना के विरुद्ध है, जो संसद् ने पारित किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह उन की अपनी राय है किन्तु इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। नीति को बदला नहीं गया है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देते हुये कि इस अगली दीवार के पीछे वालों की बात आपने सुनी, मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन मित्र राष्ट्रों ने इस विपत्ति में....

अध्यक्ष महोदय : अगली दीवार को यह खयाल रखना चाहिये कि यह इल्जाम मेरे ऊपर हो रहा है, और वाकया है कि जब उनकी दीवार खड़ी हो जाती है तो उससे गुजरना मुश्किल हो जाता है।

श्री बागड़ी (हिसार) : आप तो दीवार से भी ऊंचे हैं।

(हंसी)

अध्यक्ष महोदय : अगर ऐसे रिमार्क्स पर माननीय सदस्य हंसा न करें तो शायद वह दूसरी दफा न हों। क्यों कि मेम्बर साहिबान इन पर हंसते हैं और इनको एंजाय करते हैं इसलिये ऐसे रिमार्क्स को दोबारा करने का एनकरेजमेंट मिलता है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन मित्र राष्ट्रों ने इस विपत्ति काल में हमको सहयोग दिया है, जहां हमारे स्वाभिमान के यह अनुकल है कि इस विपत्ति में हम उनसे गाइड न हों, और अपने सम्बन्ध में स्वयं निर्णय लें, तो क्या वहां यह आवश्यक नहीं है कि जो विपत्ति काल में हमारे साथी हैं, इस युद्ध विराम सम्बन्धी घोषणा में या और इसी प्रकार के निर्णय लेते समय हम अपने उन साथियों की राय लें या उनकी प्रतिक्रिया जानें ? क्योंकि समाचारपत्रों में भी उनकी प्रतिक्रियाएं प्रकाशित हुई हैं। क्या भारत सरकार को उन्होंने अपनी कुछ प्रतिक्रियाएं भेजी हैं ? यदि हां, तो सरकार की उस सम्बन्ध में क्या सम्मति है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल अलग सवाल है। इस के जवाब की जरूरत नहीं है।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मुझे मौका दिया जाए . : .

अध्यक्ष महोदय : मैं और मौका नहीं दे सकता।

शास्त्री जी ने सजेशन दिए हैं उनको गवर्नमेंट ने सुन लिया है और उन पर ध्यान देगी।

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस पर वक्तव्य दें।

"चीनियों द्वारा जंगी कैदियों का हस्तातंरण"

†**अध्यक्ष महोदय** : इस का उत्तर दे दिया गया है।

लोक लेखा समिति

चौथा प्रतिवेदन

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं विनियोग लेखे (प्रतिरक्षा सेवायें) १९६०-६१, और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९६२ के बारे में, लोक लेखा समिति का चौथा प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

प्राक्कलन समिति

आठवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग--केन्द्रीय भाण्डागार निगम के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा के एक-सौ-अट् ठाईसवें प्रतिवेदन में दर्ज सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का आठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले विवरण

†**संसदकार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं मंत्रियों द्वारा विभिन्न अधिवेशनों में, जो कि प्रत्येक के सामने बताये गये हैं, दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण पटल पर रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सत्यनारायण सिंह]

(१) विवरण संख्या १ तीसरा सत्र, १९६२
(तीसरी लोक-सभा)

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९२]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या २ दूसरा सत्र, १९६२
(तीसरी लोक-सभा)

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९३]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या ५ प्रथम सत्र, १९६२
(तीसरी लोक-सभा)

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९४]]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या ५ सोलहवां सत्र, १९६२
(दूसरी लोक-सभा)

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९५]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या ८ पन्द्रहवाँ सत्र, १९६१
(दूसरी लोक-सभा)

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९६]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या १६ तेरहवां सत्र, १९६१
(दूसरी लोक-सभा)

[देखिये परिशिष १, अनुबन्ध संख्या ९७]

आयात तथा निर्यात नियंत्रण संगठन का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

†**अर्थ तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में संभरण मंत्री (श्री हाथी)** : मैं आयात तथा निर्यात व्यापार नियन्त्रण संगठन के वर्ष १९६१–६२ के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ६३६/६२]

आपातकालीन जोखिम (माल) बीमा विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आपातकाल में शत्रु द्वारा पहुंचाई गई क्षति के विरुद्ध भारत में कुछ सम्पत्ति के बीमे का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

सदन ने एक विधेयक पारित किया है जिस में वर्तमान आपातकाल से उत्पन्न होने वाले जोखिम के फलस्वरूप असैनिक कर्मचारियों को होने वाली क्षतियों के सम्बन्ध में उपबन्ध किया गया है । जहां तक माल, कारखानों और अन्तर्देशीय जहाजों का सम्बन्ध, है, शत्रु की कार्यवाही के फलस्वरूप सम्भावित परिणामों का सामना करने के लिये हम जो बीमा योजनाएं लागू करना चाहते हैं वे वित्तीय और आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है । मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य इस चालू सत्र में इन अन्य योजनाओं पर विचार कर के हमारा मार्गदर्शन करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिद्धान्त रूप से मेरा इन योजनाओं का समर्थन करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसके लिये सक्रिय मांग है कि वर्तमान लड़ाई के फलस्वरूप होने वाली माल के नुकसान के जोखिम को पूरा करने के लिये राष्ट्रीय पैमाने पर प्रबन्ध किया जा सके। वाणिज्य मंडल और उद्योगों में प्रतिनिधि पिछले कुछ दिनों से सरकार से कहते रहे हैं कि वे आवश्यक शक्तियां ले लें। यह भी हर्ष का विषय है कि लोग सब स्तरों पर सरकार से० सहयोग करने के लिए और आवश्यक भार सहने के लिय तैयार हैं जो कि हमारी एकता की निशानी है। इससे मेरा काम और भी आसान हो गया है। विधेयक की योजना को खंडों के नोटों में सरल और अप्रविधिक भाषा में स्पष्ट कर दिया गया है और इस भाषण में में अधिक महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करूंगा।

इस विधेयक का प्रारूप इस आधार पर बनाया गया है कि केवल उस माल का बीमा किया जायेगा, जो बेचने वाला होगा। इस में वह सम्पत्ति जैसा कि रहने के मकान, भूमि, उगती हुई फसलें और घरेलू सामान शामिल नहीं होगा। यह विभेद मेरे विचार में न्यायसंगत है। सदन इस बात से सहमत होगा कि देश की सारी सम्पत्ति को इस के दायरे में ले आना न उचित और न संभव होगा।

बीमा की इन सुविधाओं को देने के लिये हमारा उद्देश्य ब्यवहारिक है। पहली बात यह है कि औद्योगिक और ब्यापारिक कार्यवाही को राजनीतिक और सैनिक कार्यवाही के कारण हानि नहीं पहुंचेगी और दूसरे साधारण उत्पादन, विक्रय और माल का आना जाना बिना बाधा के जारी रहेगा हर समय और हर क्षेत्र में। विधेयक इन प्रयोजनों को प्राप्त करने में पूरी तरह पर्याप्त होना चाहिये।

इस किस्म के बीमें की योजना के अन्तर्गत निजी व्यक्ति इस से बाहर नहीं जा सकते। भार को सब नागरिकों में समान रूप से बांटा जाना है। इसलिए हम ने यह प्रस्ताव किया है कि ५०,००० रुपये से अधिक मूल्य की सम्पत्ति के लिये, जो कि विक्रय के लिये, हो बीमा पालीसियां लेना अनिवार्य होगा। पिछले युद्ध में यह राशि २०,००० रुपये थी। कुछ ब्यापारियों ने जो इतने महत्वपूर्ण नहीं है कहा है कि ५०,००० रुपये से कम मूल्य वाली सम्पत्ति के लिये भी बीमें की अनुमति होनी चाहिये, यदि स्वामी या उसका मालिक इस के लिये उत्सुक हों। यह एक न्यायसंगत सुझाव है और इस प्रकार के वैकल्पिक बीमें की भी अनुमति होगी।

खंड ३ के उपखंड (२) में कुछ माल को वर्तमान बीमा योजना के क्षेत्र से अपवर्जित किया गया है। यह प्रबन्ध किया गया है कि वही माल अपवर्जित किया जाये, जो गत युद्ध में किया गया था, किन्तु यदि किसी माल के सम्बन्ध में कोई विशेष समस्याएं हों, तो उन्हें रखा या छोड़ा जा सकता है।

केन्द्रीय और राज्य सरकारें बड़े पैमाने पर माल खरीदती हैं। हम ने उन्हें इस योजना से बाहर रखा है। सरकार को अपने लिए बीमें की आवश्यकता नहीं है। सरकारी सम्पत्तियों पर इसे लागू करने में प्रशासनीय कठिनाइयां भी बहुत हैं और मेरे विचार में ऐसी सम्पत्ति को अपअर्जित कर देना वर्तमान परिस्थितियों में न्यायसंगत और व्यावहारिक है। किन्तु यह स्पष्ट होना चाहिये कि केवल विभागीय रूप से रखी हुई सरकारी सम्पत्ति अपवर्जित की जायेगी। सरकारी निगमों और कम्पनियों की सम्पत्ति पर यह योजना लागू होगी।

केन्द्रीय सरकार को किश्त की दर समय समय पर बदलने का अधिकार होगा। हम अभी तक यह तय नहीं कर सके कि बीमें वाली सम्पत्ति को जोखिम किन प्रकार के होंगे, यद्यपि

[श्री मोरारजी देसाई]

हमें यह आभास है कि बीमें वाले माल का अनुमानित मूल्य क्या होगा। इसलिये निर्धारित दरों के आधार पर वसूल होने वाले प्रीमीयम राजस्व के बारे में निश्चित भविष्यवाणी करने में मैं असमर्थ हूं।

वर्तमान परिस्थिति के कारण सम्पदा की जो हानि अथवा क्षति हो सकती है उससे रक्षा करने का समुचित उपबन्ध करने के लिये हम उत्सुक हैं किन्तु उद्योग उत्पाद खरीदने में उपभोक्ताओं पर कोई भार न डालने के लिये भी हम इच्छुक हैं; ऐसा नितांत आवश्यक स्थिति में ही किया जाना चाहिये। विभिन्न परिस्थितियों और समस्याओं पर ध्यान देते हुए हमने यह वांछनीय समझा कि केन्द्रीय सरकार को शक्तियां प्रदान करने का उपबन्ध किया जाये, जिन्हें स्वयं विधेयक में ही मर्यादित अथवा अर्हता प्रदान नहीं की जायेगी। वित्तीय ज्ञापन में वे दरें बताई जायेंगी जो संभवतः प्रारम्भ में लगाई जायेंगी।

मैं कुछ क्षेत्रों में व्याप्त इस भावना से अवगत हूं कि इस संकट और मौजूदा परिस्थितियों में संरक्षण होते हुये भी, प्रीमीयम की दरें निर्धारित करने में, केन्द्रीय सरकार को इतनी अनियंत्रित शक्तियां देने के लिये उपयुक्त औचित्य नहीं है। बीमें की आड़ में करारोपण करना मेरा कतई मंशा नहीं है। मैंने कल जिस सरकारी संशोधन की सूचना दी थी उसका अभिप्राय स्वयं अधिनियम में ही प्रीमीयम की अधिकतम दर निर्धारित करना है।

अधिकतम दर के अन्तर्गत सरकार जो चाहे दर निश्चित कर सकती है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि यह दर आवश्यक रूप में योजना के प्रारम्भ में ही लागू हो जायेगी अथवा योजना अवधि के अधिकांश भाग में यह लागू रहेगी। गत महायुद्ध में जब जापानी भारत के नजदीक आ गये थे सामान की प्रीमीयम दर ५६ नये पैसे प्रति सैंकड़ा हर तिमाही के लिये था। वर्तमान संकट स्थिति में समय-समय पर प्रीमीयम दर निर्धारित करने के लिये सरकार सभी सुसंगत परिस्थितियों पर विचार करेगी तथा संसद में अभिव्यक्ति विचार पर पूरा ध्यान देगी। प्रीमीयम की दर तय करने में सरकार की मंशा राजकोषीय नहीं रहेगी।

विगत महायुद्ध के दौरान वस्तु बीमा योजना अपेक्षाकृत कम संख्या में व्यक्तियों तक सीमित थी। तत्कालीन परिस्थिति में यह बिना विशेष कठनाई लागू किया जा सकता था। हाल के वर्षों में भारतीय अर्थ-व्यवस्था के विकास को दृष्टिगत करते हुए औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थाओं, स्टाकिस्टों दूकानदारों और विक्रेताओं की वृहद् संख्या से हमारा सम्बन्ध रहेगा। जिस सम्पदा का बीमा किया जायेगा वह भी पर्याप्त परिमाण में होगी। इस प्रकार जोखिम को जो व्यापक रूप दिया जा रहा है उससे योजना के काम में बाधा न हो कर सहायता ही मिलेगी। प्रशासनिक समस्या जटिल हो जायेगी। योजना की सफलता अन्ततः इस बात पर निर्भर है कि प्रत्येक व्यक्ति बीमाशुदा और बीमा योग्य व्यक्ति बीमा वाले स्टाक के स्वरूप और मूल्य की घोषणा करे, प्रीमीयम तत्परतापूर्वक जमा कराये, सामान के स्टाक को बेचते समय इस सामान्य प्रीमीयम की रकम को उसमें न मिलाये और योजना के प्रशासन के लिये उत्तरदायी सब युक्तिसंगत सुविधायें प्रदान करे।

मैं सभा और आम जनता को यह आश्वासन दे दूं कि औद्योगिक तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों अथवा अन्य वैयक्तिक व्यापारियों को सब सुविधायें दी जायेंगी तथा छोटे-छोटे व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं होगी एवं सामान्य व्यापार-व्यवसाय में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। अन्त में मैं अपील करता हूं कि सब व्यक्ति उपयुक्त दिशा में सरकार से सहयोग करें।

मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आपातकाल में शत्रु की कार्यवाहियों से की गई क्षति के विरुद्ध भारत में माल के बीमे के लिये कुछ उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।'

†**श्री प्रभातकार** (हुगली) : मेरा सुझाव है कि अगले विधेयक के लिये नियम निलम्बन करने वाला प्रस्ताव भी अभी प्रस्तुत कर दिया जाये ताकि दोनों विधेयक एक साथ लिये जा सकें तथा खण्डवार विचार के समय उन्हें पृथक रूप में लिया जा सके ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य दोनों विधेयकों पर साथ ही चर्चा करना चाहते हैं ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां ।

नियम ६६ के परन्तुक का निलम्बन

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ६६ के परन्तुक को आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा विधेयक, १९६२ पर विचार करने तथा उसे पास करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर लागू होने से निलम्बित कर दिया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : इस संकट की स्थिति में सरकार के कार्य में बाधक होना अथवा उनको सहायता न करने का भाव मेरे मस्तिष्क में तनिक भी नहीं है किन्तु मैं यह निवेदन कर दूं कि इस प्रस्ताव का कारण संसद् के वर्तमान अधिवेशन में सरकारी कार्य का गलत नियोजन है । यदि सरकार अपने कार्यक्रम को दूरदर्शिता से निश्चित करती तो आज इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती । इसका उल्लेख कई बार किया जा चुका है और आपने भी अनेक बार कहा है कि सरकारी कार्य की योजना उचित और कुशलतापूर्वक होनी चाहिये । आज संसदीय प्रजातंत्र की भावना और रूप को पहले से भी अधिक अक्षुण बनाये रखने की आवश्यकता है । पिछले सप्ताह जो सामान्य महत्व के विधेयक लिये गये थे उन्हें स्थगित कर दिया जाता और जो विधेयक अभी लिया जाने वाला है ये पहले ही पुरःस्थापित कर दिया जाना चाहिये था ।

नियमों का इतनी सरलतापूर्वक निलम्बन नहीं करना चाहिये । अधिवेशन एक दो-दिन के लिये बढ़ा दिया जाये ताकि अनावश्यक रूप में नियमों का निलम्बन करने की आवश्यकता उत्पन्न न हो ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि नियमों का निम्बन बहुत कम किया जाना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि सरकार अपने कार्य की योजना इस भांति करेगी कि नियमों का निलंबन अत्यन्त दुर्लभ स्थिति में किया जाये । मेरा विचार है कि ये

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

दोनों विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उन में से किसी को भी स्थगित करना उचित नहीं है। ११ तारीख को कीमतों पर चर्चा होगी और १० तारीख युद्ध विराम के लिये निश्चित कर दी गई है। इन विधेयकों को आज लेने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : श्रीमान मैं माननीय सदस्य और आपके इस निदेश से पूर्णतया सहमत हूं कि यह प्रस्ताव अत्यंत दुर्लभ स्थिति में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिये। मेरा विश्वास है कि मैंने पहली बार ही ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और सरकार ने भी अत्यंत दुर्लभ स्थिति में ऐसा किया है। पहले संसद् का अधिवेशन २३ अक्टूबर को स्थगित करने का विचार था। अतः हमारे सामने अध्यादेश जारी करने का ही प्रश्न था। किन्तु हम ऐसा नहीं चाहते थे। हमने अनिच्छापूर्वक नियम के निलम्बन की प्रार्थना की है। अधिकारों की रक्षा के लिये मैं भी उतना ही उत्साही और सचेष्ट हूं जितने मेरे माननीय मित्र हैं।

श्री यशपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नान-आफ़िशियल बिज़िनेस के दिन ही ऐसी बातें पैदा होती हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को कोई ख़तरा नहीं होना चाहिये। उनका रेज्योल्यूशन ज़रूर लिया जायगा।

श्री यशपाल सिंह : इस के अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम सात आठ साथी ऐसे हैं, जो हमेशा चाइना के मुताल्लिक कालिंग एंटेन्शन नोटिस देते हैं —मैं ने बीस पच्चीस दिये हैं— और उस के जवाब में हम कहा जाता है कि चाइना के सम्बन्ध में जो डीबेट होगी, उस में हम को मौका दिया जायगा। लेकिन हम देखते हैं कि बहस में हम को टाइम नहीं मिलता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने ग्रुप के लीडर को कहें कि वह उन का नाम भेजें।

श्री यशपाल सिंह : लेकिन रिजेक्ट तो आप करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ग्रुप के लीडर की तरफ से जो नाम मुझे भेजे जाते हैं, मैं उन्हीं को बुलाता हूं। मैं समझता हूं कि यह शिकायत किसी को नहीं होगी कि मेरे पास एक माननीय दस्य का नाम भेजा गया और मैं ने किसी दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया। जहां तक कालिंग एटेन्शन नोटिसिज़ का ताल्लुक है, अगर किसी सबजेक्ट पर डीबेट एक दो दिन में आ रही हो, तो मैं उस के बारे में कालिंग एटेन्शन नोटिस की इजाजत कैसे दे सकता हूं। यह बात हमारे रूल्ज़ में है।

श्री यशपाल सिंह : चाइना के बारे में जो पचास के करीब शार्ट-नोटिस क्वेश्चन दिये हुए हैं उन को तो मौका देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कालिंग एटेन्शन नोटिस से अब शार्ट-नोटिस क्वेश्चन पर आ गए हैं, जो कि एक अलग सवाल है। माननीय सदस्य को पता होना चाहिये कि इस बारे में आख़िरी फैसला मिनिस्टर के पास है। अगर वह कहें कि मैं शार्ट-नोटिस क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं करता हूं तो मेरे पास कोई ताकत नहीं है मैं कि उस को जवाब देने के लिए मजबूर करूं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : श्रीमान, अभी एक मिनट पूर्व आपने निर्णय दिया है कि ये दोनों ही विधेयक एक साथ लिये जाने चाहिये। मैं आपको यह भी स्मरण करा दूं कि आज नियम का निलम्बन करने के बारे में हमें पहले कुछ जानकारी नहीं थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : मैं सभा के निर्णय से बाध्य हूं। प्रश्न यह है :

"कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ६६ के परन्तुक को आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा विधेयक, १९६२ पर विचार करने तथा उसे पास करने सम्बन्धी प्रस्ता ों पर लागू होने से निलम्बित कर दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आपात कालीन जोखिम (कारखाने) बीमा विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आपात काल में शत्रु की कार्यवाही से पहुंचाई गई क्षति के विरुद्ध भारत में कुछ सम्पति के बीमे का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

विगत महायुद्ध के समय प्रचलित योजना के समान ही यह विधेयक है। महायुद्ध के बाद भारतीय अर्थ-व्यवस्था में जो परिवर्तन हुए हैं उन के अनुसार इस में कुछ परिवर्तन किया गया है। खनिज तेल उद्योग के विगत कुछ वर्ष में हुई प्रगति तथा आसाम में चाय उद्योग की विशेष स्थिति और महत्व के बारे में मुख्य परिवर्तन करते हुए, जब भी आवश्यक अथवा वाञ्छनीय समझा जाये, उस स्थिति में हम संयंत्र, मशीन, और तेल कम्पनियों के उपकरण, चाय की खड़ी फसल, जैसी स्थिति हो, के सामान्य अवस्था में उपलब्ध बीमा के अतिरिक्त, बीमे के उपबन्ध करनेकी शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। यह विधेयक आसाम की जनता के लिये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वे इस बात के लिये स्वभावतः उत्सुक हैं कि उक्त राज्य में स्थित सम्पदा की रक्षा के लिये, शत्रु की कार्यवाही से हानि अथवा क्षति के विरुद्ध, हमें कब युक्ति संगत कदम उठाना चाहिये। किन्तु यह राष्ट्रीय समस्या है और हमें उस पर इसी दृष्टि से विचार करना है। सभा को मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इसकी सब ने प्रशंसा की है तथा यह केवल स्थानीय महत्व की योजना नहीं है।

खडों पर टिप्पण काफी विस्तृत हैं और उनका अभिप्राय यह है कि स्पष्ट और प्रभावशाली रूप में योजना की मूल रूप रेखा समझा दी जाये। अतः मैं मामली बातों को समझाने में समय व्यर्थ नहीं करूंगा। इस के स्थान पर मैं यदि वर्तमान योजना की पृष्ठ भमि में निहित प्रश्नों का स्पष्टीकरण करूं तो वह अधिक उपयोगी होगा।

इस विधेयक में हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी सम्पदा का बीमा नहीं किया जाता है। यह इस बात पर आधारित है कि सम्पदा के किसी ग़ैर-सरकारी स्वामी की स्थिति के विपरीत सरकार हानि अथवा क्षति का जोखिम, वह जब और जिस स्थिति में हो, सहन करने की स्थिति में है। यह विमुक्ति सरकार के पक्ष में केवल उन कारखानों और उस सम्पदा के संबंधमें ही है जो विभागीय स्वामित्व के अधीन है। तथा इस विधेयक की योजना के अनुसार सरकार क्षेत्र के स्वायत्त उपक्रम और उद्योग गैर-सरकारी उद्योगों के समान अन्य सब भार वहन करेंगे और उन्हीं की भांति अधिकारों के पात्र होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

हम ने यह निर्णय जानबूझ कर किया है क्योंकि सरकारी और गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र के बीच किसी प्रकार को भेद-भाव करना उपयुक्त अथवा वाच्छनीय नहीं है ।

हमने जानबूझ कर यह निर्णय किया है क्योंकि वाणिज्यिक तथा व्यापारिक सिद्धान्तों के आधार पर चलाये जाने वाले सरकारी क्षेत्र के कारखानों और गैर-सरकारी क्षेत्रों के कारखानों के बीच. जिनको कुछ मामलों में परस्पर प्रतियोगिता भी करनी होगी किसी प्रकार का भेद भाव करना उचित नहीं था। अतः इस निर्णय का प्रभाव यह होगा कि इस बीमा योजना का भार सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों पर समान पड़ेगा। और इस मामले में दोनों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा।

इस समय प्रीमियम की दरों के बारे में मैं अपने विचार बताना चाहता हूं । आपातकालीन जोखिम (माल) बीमा बिल, १९६२ के अधीन बीमा की जाने वाली वस्तुओं के संबंधमें जिन बातों का का उल्लेख किया गया है, वे कारखानों के संबंधमें भी उतनी ही संगत हैं और हमने दो संशोधनों की सूचना दे दी है। जिन में अधिकतम दरों का उल्लेख किया गया है और किसी भी परिस्थिति में उस से अधिक प्रीमियम नहीं लिया जा सकेगा। इन सीमाओं के भीतर रहकर हमें दरें निर्धारित करेंगे, जो किसी भी दशा में कारखानों के मामले में २ प्रतिशत वार्षिक और देश के भीतर चलने वाले पोतों पर ३ प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं होगी। परन्तु ऐसा निर्णय करने के पूर्व सभा में व्यक्त किये जाने वाले विचारों पर हम अवश्य विचार करेंगे ।

कुछ ही दिनों के भीतर ऐसी तैयार की गयी ऐसी बीमा योजना के कारण कुछ लोगों पर, जो इसका प्रशासन करेंगे, या बीमा करायेंगे या लाभ उठायेंगे, काफी भार पड़ने की आशा है। इस समस्या की जटिलता का हमें पूरा ज्ञान है। ओरियण्टल फायर और सामान्य बीमा कम्पनी हमारे एजेन्ट के रूप में काम करेगी। ये कम्पनियां बीमा कराने वालों को सारी जानकारी देने, उनका बीमा बीमा करने और सब बातों का स्पष्टीकरण करने का पूरा प्रबन्ध करेगी। जहां तक बीमा कराने वालों तथा इस योजना का लाभ उठाने वालों का संबंध है हमें आशा है कि वे इस मामले में सरकार को और इस योजना का संचालन करने वालों को अपना पूर्ण सहयोग देंगे ताकि शत्रु की कार्यवाही से हमारे व्यापार तथा वाणिज्य की रक्षा हो सके।

इस बीमा योजना के अधीन जिन लोगों का बीमा किया जा सकता है, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि इस योजना के कारण अधिक भार पड़ने के बावजूद भी मूल्यों को स्थिर रखने या मूल्यों को घटाने में व सब लोग स योजना को चलाने वालों को अपना पूर्ण सहयोग देंग ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अब दोनों प्रस्ताव सभा के सामने हैं ।

†**श्री प्रभातकार** (हुगली) : मैं न दोनों बिलों का स्वागत करता हूं। इन के उपबन्ध उन विधेयकों जैसे हैं, जैसे उन विधेयकों के थ, जो दूसरे महायुद्ध के दौरान पास किये गये थे।

पहली बात मुझे यह कहनी है कि इस बीमा के काम के लिये ओरियण्टल फायर कम्पनी और सामान्य बीमा कम्पनी को एजन्ट बनाया गया है। समाचार पत्रों में इस प्रकार की खबरें आई हैं कि अन्य बीमा कम्पनियों को भी इस की एजेंसी दी जाय। मेरा कहना है कि इन दोनों कम्पनियों को इस काम क काफी अनुभव है अतः इन्हें ही एजन्सी दी जाये और कम्पनियों को इस की एजेंसी न दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इस योजना के अधीन बीमा कराने के लिये सरकार को सामान का मूल्यांकन करने के लिये अपने आदमी रखने चाहियें और किसी पक्ष या फर्म द्वारा दिये गये मूल्यांकन को सही नहीं मानना चाहिये क्योंकि वे प्रायः बढ़ा-चढ़ा कर मूल्य बताते हैं और अन्य कई प्रकार की बेइमानियां भी होती हैं ।

इस में यह उपबन्ध किया गया है कि ५०,००० रू० तक के मूल्य के सामान को मुक्ति दे दी गई है और उससे अधिक मूल्य वाले सामान के लिये बीमा अनिवार्य कर दिया गया है । पर मेरा निवेदन है कि बैंकों के पास जो सामान गिरवी हो, चाहे उसका मूल्य ५०,०००रु० से कम हो क्यों न हो, उसका बीमा भी जरूरी हो । साथ ही मेरा निवेदन है कि जिस दिन से यह विधान लागू हो, उस दिन से बैंकों के लिये यह आदेश कर दिया जाये कि वे उस सामान को गिरवी न रखें, जिसका बीमा न हुआ हो ।

जहां तक विधेयक के अन्य उपबन्धों का प्रश्न है मैं उनका स्वागत करता हूं । प्रिमियम के बारे में इस समय कुछ भी नहीं बताया जा सका, पर इतना बता दिया गया है कि वह ३ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । इन विधानों के बारे में किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिये और इनको कार्यान्वित में सरकार को सब का सहयोग मिलना चाहिये । सरकार ने ८० प्रतिशत जोखिम उठाने को बात कही है, वह ठीक है ।

अन्त में, यद्यपि ये दो विधेयक पास किये जा रहे हैं परन्तु मुझे विश्वास है कि ऐसा अवसर ही नहीं आयगा कि शत्रु हमारे देश में कोई नुकसान ही नहीं कर पायेगा ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** (आनन्द) : मैं इन दोनों विधेयकों का स्वागत करता हूं । मेरा एक सुझाव है कि कारखानों तथा सामान के साथ कृषि तथा पशु को भी इस योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिये । मुझे खुशी है कि आसाम के बागान इस विधेयक के उपबन्धों के अधीन आयेंगे । मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इसे जम्मू और काश्मीर पर भी लागू किया गया है ।

इन विधेयकों के अधीन सरकार बड़े व्यापार अधिकार ले रही है परन्तु आपात काल को देखते हुये यह आवश्यक है ।

अच्छा है कि सामान के बीमे की व्यवस्था की गई है, जब कि सामान्य स्थिति में सरकार ऐसे विधान पास नहीं करती ।

सामान के बीमें के सम्बन्ध में यह नहीं बताया गया है कि इसमें कुल कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त होगी मैं समझता हूं कि यह राशि १.५ लाख रु० होगी । यदि इन दोनों को मिला दिया जाये, तो यह राशि कुछ कम हो जायेगी ।

यह अच्छी बात है कि शहर तथा देहात दोनों क्षेत्रों के उद्योगों को इसमें लिया गया है और उनका मूल्यांकन करने की भी उचित व्यवस्था की गई है । क्या निर्माणाधीन कारखानों को भी इस योजना के अधीन लाया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

मैं इन विधेयक का पूर्ण स्वागत करता हूं।

†श्री अ० प्र० जैन (टमकुर) : मैं इन दोनों विधेयकों का स्वागत करता हूं क्यों कि ये ठीक समय पर सभा के सामने लाये गये हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

मैं वित्त मंत्री के इस कथन का स्वागत करता हूं कि यह एक बीमा विधेयक है और इससे सरकारी काम के लिए धन नहीं इकट्ठा किया जायगा।

इस विधेयक के अधीन कारखानों को लिया गया है और "कारखाने" की परिभाषा काफी व्यापक रखी गयी है जिसमें खानें, बागान, सामान, तथा अन्य वस्तुयें भी आ जाती हैं। आपात काल में युद्ध की घटनाओं से होने वाली क्षति का भार सब पर पड़ना चाहिए।

मुझ से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कृषि को भी सम्मिलित करने की बात कही थी। मैं समझता हूं कि रिहायशी मकान तथा दुकानों की इमारतें आदि भी इसके अधीन आनी चाहिएं परन्तु अधिक व्यापक योजना बनाने में कुछ कठिनाइया हैं। परन्तु मुझे आशा है कि माननीय मंत्री उचित समय पर कृषि तथा रिहायशी व दुकानों की इमारतों के बीमे के लिए भी विधान लायेंगे।

दूसरे महायुद्ध के दौरान ब्रिटेन में भी युद्ध के खतरों से बीमें की योजना चालू की गई थी और उस में मकानों और दुकानों की इमारतों को भी सम्मिलित किया गया था। मेरा एक सुझाव है कि यदि मंत्री चाहें तो एक लाख से अधिक आबादी वाले बड़े नगरों के लिये बीमा की योजना शरू कर सकते हैं ताकि बम वर्षा से हुई क्षति को कुछ इमारतों के मामलों में समाज से पूरा किया जा सके।

मैं माननीय मंत्री से दो एक बातों का स्पष्टीकरण चाहूंगा। पृष्ठ ५ पर खंड (ग) में कहा गया है कि बीमा पालिसी के अधीन बाकी भुगतान इस ऐक्ट के समाप्त होने के एक वर्ष के बाद तक के लिये स्थगित किया जा सकता है। मैं इस बात को अच्छी तरह समझ नहीं पाया हूं कि क्योंकि एक्ट के समाप्त होने के एक साल के बाद के लिए तक भुगतान स्थगित करने से बीमें का सम्पूर्ण प्रयोजन ही नष्ट हो जायेगा।

उप-खंड (३) में कहा गया है कि यह २६ अक्तूबर, १९६२ को जारी की गई आपात घोषणा के चालू रहने की अवधि तक और उस के बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा गजट में जारी की गई अधिसूचना द्वारा निर्धारित अवधि तक लागू रहेगा। २६ अक्तूबर, १९६२ को आपात काल की अवधि की घोषणा नहीं की गयी थी, बल्कि सरकार को आपात काल की अवधि बढ़ाने का अधिकार दिया गया था। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसे स्पष्ट करें।

युद्ध के खतरों का वास्तविक बीमा तो यह होगा कि हम युद्ध के लिये पूरी तैयारी करें इस बात की बहुत संभावना है कि हमारे बड़े-बड़े नगरों पर चीन बम बरसाये। अतः हमें उस के लिये तैयार रहना चाहिये। माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह भारत की वायुसेना को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न करें। इस के लिये हमें बहुत बड़ी संख्या में फाइटर और बाम्बर विमान जुटाने चाहियें।

श्री बड़े (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, ये जो दो बिल इमरजेंसी रिस्क्स (फैक्टरीज) इंश्योरेंस बिल और इमरजेंसी रिस्क्स (गुड्स) इंश्योरेंस बिल, पेश किए गए हैं इनका मैं समर्थन करता हूं ।

१५ साल के बाद यह नया मौका आया है कि हमारे ऊपर शत्रुओं ने हमला किया है । इस वक्त जो कानून बनते हैं वह कानून, जैसा कि मैं ने कल कहा था, हैपहैजार्ड तरीके से लाए जा रहे हैं । लेकिन ये बिल ऐसे नहीं हैं । इन बिलों में बहुत से अच्छे प्रावीजन हैं । इसलिए मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को धन्यवाद देता हूं । लेकिन साथ साथ मेरी कुछ कठिनाइयां हैं जिनको मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं ।

गुड्स बिल के पेज ८, क्लाज ७, में एक प्रोवाइजो दिया गया है जो इस प्रकार है:

> कि योजना पचास हजार रुपये की लागत तक के व्यापार में उसी जिला या प्रेजीडेंसी नगर में उस की मलकियत की बीमा योग्य माल के व्यापार को नहीं रोकेगी ।

इसका अर्थ यह है कि अगर माल एक जिले से दूसरे जिले को ले जाया जाएगा और अगर वह ५० हजार से नीचे की कीमत का है तो उसका बीमा करवाना होगा । जैसे अगर इंदौर से धूलिया को माल जाता है और अगर वह ५० हजार से नीचे का है तो उसको इंश्योर करना होगा । लेकिन अगर एग्रीकल्चुरल गुड्स हो और उसको इंदौर से पास के जिले खारगोन को ले जाना है तो उसको इंश्योर करना पड़ेगा या नहीं । अगर उसको इंश्योर करना पड़ेगा तो इससे एग्रीकल्चुरल क्लाज पर और छोटे व्यापारियों पर बड़ी मुसीबत आएगी । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । अगर इंदौर से धुलिया जाने वाले माल को इंश्योर करना पड़ता है तो उस माल पर इंश्योरेंस का खर्चा भी जोड़ा जाएगा और तब उसको रिटेल में बेचा जाएगा । यह इंश्योरेंस एक ही स्टेट में एक जिले से दूसरे जिले को माल ले जाने पर कराना होगा । चाहे वे जिले एक दूसरे से लगे हों । इस पर विचार करना चाहिए कि क्या ऐसा करने से दाम नहीं बढ़ेंगे । मेरा सुझाव है कि इस प्रावीजन के बजाए यह प्रावीजन किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता कि यह इंश्योरेंस एक ही स्टेट में एक जिले से दूसरे जिले में माल ले जाने पर न हो कर उस माल पर लिया जाता जो कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट को ले जाया जाए ।

इसके बाद मुझे अपील के अधिकार के बारे में कुछ कहना है । इसमें अपील के सम्बन्ध में यह प्रावीजन है :—

> जिस व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा (१) में निश्चय किया जाता है वह उस के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकता है जिसका निर्णय अन्तिम होगा ।

सेंट्रल गवर्नमेंट एक अथारिटी मुकर्रर कर देगी जो कि फाइनल होगी । उसके ऊपर कोई अपील नहीं हो सकेगी, कोई सैकिंड अपील के लिए प्रावीजन नहीं रख गया है । मुझ को यह प्रावीजन ड्रास्टिक लगता है ।

[श्री वड़े]

इसके बाद इसमें यह प्रावीजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे इस स्कीम को बदल सकती है। इस सम्बन्ध में इसमें यह प्रावीजन है :

केन्द्रीय सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई योजना में संशोधन या परिवर्तन कर सकती है ।

यानी जब सेंट्रल गवर्नमेंट को जरुरत पड़ेगी तो वह इस स्कीम को वरी कर सकेगी, इसको अमेंड कर सकेगी और इसमें ऐड कर सकेगी। चूंकि यह कम्पलसरी इंश्योरेंस का प्रावीजन है इसलिए इस बारे में जनता के सामने डैफिनिट योजना रखनी चाहिए।

इसके बाद यह गुड्स की डैफनीशन है माल में वह सारी सामग्री आदि शामिल है जिस का उपयोग जहाज के चलाये जाने तक उसके निर्माण के लिये किया जाता है।

इसमें गुड्स के बारे में जो डैफनीशन दी गई है उसमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं शामिल हैं और जहां तक मैं समझता हूं कैटिल्स और ग्रोइंग क्रौप भी इस डैफनीशन में नहीं आती हैं और अगर आती हों तो मंत्री महोदय मुझे बतला दें।

लड़ाई के वक्त में जैसा कि एक मैम्बर ने कहा स्कोर्ड अर्थ पालिसी चलती है, इस प्रकार की यदि एक पालिसी चलती है और उसमें इंश्योरेंस करने का प्राविजन रक्खा है तो मैं उसका समर्थन करता हूं।

जहां तक फैक्टरीज़ के बारे में प्राविजन हैं, मैंने देखा है कि छोटी छोटी फैक्टरीज़ न रहने का निवास स्थान रहता है वह फैक्टरीज़ एक्ट के नीचे भी रहती हैं और वहां भी फैक्टरीज़ होंगीं तो दोनों के वास्ते प्राविजन होना चाहिये। रेजीडेंशल क्वार्टर्स होंगे। उसके वास्ते भी इंश्योरेंस करना जरूरी है। लेकिन यदि बमबारी हो जाय तो उसका कोई प्राविजन नहीं है। मने मूवमेंट आफ गुड्स फ्रौम वन डिस्ट्रिक्ट टु अदर के काम में एक अशांति पदा होगी और उससे माल की कीमत बढ़ेगी। यदि मंत्री महोदय इस बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे तो ठीक होगा। चूंकि आप अधिक समय दे नहीं रहे हैं इसलिये और अधिक न कहते हुये मैं इन दोनों बिलों का इन शब्दों के साथ समर्थन करता हूं।

†श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : इन दोनों बिलों का स्वागत है। आसाम में महाजनों ने किसी प्रकार का बीमा जारी न होने की अवस्था में ऋण देने से इनकार कर दिया गा।

फैक्टरी बीमा विधेयक में फैक्टरी की परिभाषा में बागान नहीं आते। खंड १७ तक खड़ी चाय फसलों तक इसका विचार हो सकता है। बैंक चाय की भावी फसल के आधार पर ऋण देते हैं। उन ऋणों के लिये किसी प्रकार के बीमा की व्यवस्था होनी चाहिये। ऐसी जोखिम का बीमा न होने पर बड़ी कठिनाई हो जायेगी, जिसे दूर करने के लिये बीमा होना चाहिये।

यह उचित है जैसा मा० वित्त मंत्री ने कहा है कि दर केवल जोखिम की मात्रा को पूरा करने के लिये होगी और धन संग्रह करने के लिये नहीं। दर अधिक नहीं होनी चाहिये ताकि मूल्यों पर प्रभाव न पड़े।

---

†मूल अंग्रेजी में

जोखिमों के अन्दर एक और जोखिम जोड़ने की जरूरत है। यदि कोई फसल या बाग शत्रु के कब्जे में है और उसकी फसल नष्ट नहीं होती तो मालिक को उस फसल या बागान का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। अतः यह जोखिम भी शामिल की जानी चाहिये।

†**श्री मोरारजी देसाई** : इसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि कुछ समय पश्चात् वह उसे मिल जायेगा।

†**श्री काशी राम गुप्त** (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों बिलों का स्वागत करते हुये मुझे दो, चार बातें मंत्री महोदय के सामने रखनी हैं। पहली बात तो यह कि जो इमरजेंसी रिस्कस (गुड्स) इंश्योरेंस बिल है उसके पेज ८ पर दूसरे पैरे में यह दिया हुआ है :—

> कि योजना पचास हजार रुपये की लागत तक के व्यापार में उसी जिले या प्रेजीडेंसी नगर में उसकी मलकियत की बीमा योग्य माल के व्यापार को नहीं रोकेगी।

यह जो पहला पैरा है उससे संबंधित है और उसमें लिखा हुआ है :—

> केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित तिथि के पश्चात् व्यापार नहीं करेगा।

इसका तात्पर्य यह है कि ५०,००० से कम का माल कैरी करता है वह बिजनैस तो कैरी कर सकता है लेकिन उसको इंश्योरेंस कराना होगा। जो शब्दावलि है उससे यह जाहिर होता है कि उस पर भी बीमा होगा और वह उससे बरी नहीं होगा। ऐसी ध्वनि इससे नहीं निकलती है कि वह इंश्योरेंस से फ्री रहेगा और यह उस पर औबिलीगेटरी नहीं होगा। मैं इबारत की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह पहले से संबंधित होकर पढ़ी जाये।

दूसरी बात यह है कि जो गुड्स इन ट्रेंजिट होते हैं वह इस ५०,००० की कैटेगरी में नहीं आते हैं क्योंकि जो ५०,००० की एक डिस्ट्रिक्ट में सीमा रक्खी है वह जो माल बाहर भेजा जाता है उसका इससे संबंध नहीं है और बाहर जाने वाला माल ५,००० का भी हो तो भी उस के ऊपर पूरा बीमा लग जायेगा। इसलिये इसमें ऐसा संशोधन आना चाहिये कि कम रकम के जो गुड्स इन ट्रेंजिट हों उनका बीमा न हो और वह उनको फ्री कैरी कर सकें।

जहां तक फैक्टरीज का प्रश्न है मेरा निवेदन है कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि गांवों में जो फैक्टरीज हैं उनका इंश्योरेंस होना चाहिये, मैं उसके थोड़े विरोध में हूं, क्योंकि गांवों में जो मकानात हैं वे छोटे और आमतौर पर कच्चे होते हैं। अभी हमारे श्री ए० पी० जैन कह रहे थे कि बड़े-बड़े शहरों के मकानों का बीमा होना चाहिये। गांव में बीमा एक तो संभव ही नहीं है क्योंकि छोटी छोटी फक्टरी गांव में लगी हैं, घरों में लगी हैं और उसका बीमा यदि २०–३० हजार रुपये का करते हैं और वह केवल इसलिये कि सरकार की मद में रुपया आ जाय तो एक तो न तो वह कवर ही होता है और गांव में अगर एक कहीं इस तरीके से वारदात हुई तो सारे गांव को नुकसान होना है और कोई पैसा उसमें गवर्नमेंट को मिलने वाला नहीं है। इसके अलावा वहां गांवों में छोटी-छोटी पूंजी होती है और उस पूंजी के लिहाज से वह काम करते हैं और यदि आप टैक्स करने लगे तो उसमें डिस्क्रिमनेशन कहां तक कर सकेंगे उस पर कितना बोझ पड़ेगा, यह भी व्यावहारिक नहीं होगा। मुझे याद है कि अंग्रेजों के जमाने में जो बिल बनाये गये थे, उनका एक ही परपज था कि किसी तरह ज्यादा से ज्यादा रुपया लिया जाये, क्योंकि अंग्रेज बाहर बैठ हुये थे, लड़ाई बाहर हो रही थी, लड़ाई इस देश में नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री काशी राम गुप्त]

हो रही थी। लेकिन आज तो स्थिति बदली हुई है। आज लड़ाई हमारे देश में होने वाली है। इसलिये जो स्कीमें या कानून अंग्रेजों ने बना दिये थे, उनको वैसे ही लागू नहीं कर देना चाहिये। होना तो यह चाहिये था कि पिछली स्कीमों में जो बातें उन्होंने रखी थीं, वे भी इसके साथ ही हाउस में पेश की जातीं, ताकि देखने में आसानी हो जाती। ऐसा नहीं किया गया है। आईन्दा के लिये यह निवेदन है कि यह देखा जाये कि यह स्कीम इस तरह लागू की जाये, जिससे गांवों के लोगों और छोटी फैक्टरी वालों को तक्लीफ न हो।

गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल एरियाज बना दिये हैं। इसमें लिखा है कि जो आकुपायर है, ओनर का भी पैसा उससे लिया जायेगा और वह वसूल करेगा। लेकिन जब गवर्नमेंट ओन करती है, तो उस का पैसा वसूल तो होना है, इसलिये गवर्नमेंट खुद ही क्यों न दे, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइवेट और पब्लिक अंडरटेकिंग्ज में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, यह मंत्री महोदय ने बता दिया है। इस अवस्था में इंडस्ट्रियल एरिया के बीमे और उस के मकानों के बीमे का आकुपायर से संबंध नहीं होना चाहिये, बल्कि यह सीधा गवर्नमेंट से संबंधित होना चाहिये।

यदि सब जगह का बीमा हो, देहातों का बीमा हो, तब तो उन ओपन कास्ट माइन्ज, और उनमें भी छोटी-छोटी माइन्ज और उनकी मशीनरी और दूसरी छोटी-छोटी फैक्टरीज को भी इस व्यवस्था में शामिल कर लिया जाये, जो कि देहातों में बहुत दूर होती हैं और जिनको आम तौर पर खतरा नहीं होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देहातों में जो मकान बनते हैं, उनकी मार्केट वैल्यु नहीं होती है, चाहे वह फैक्टरी हो या कुछ और हो। जब उसकी मार्केट वैल्यु नहीं होती है, तो वह मकान वैसे ही है, जैसे कि दूसरे किसान का मकान होता है। यदि देहातों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है और किसानों और दूसरे गरीब लोगों को इससे राहत नहीं मिल रही है,ऐसी छोटी जगहों पर, जहां की आबादी एक, दो, चार हजार है, फैक्टरीज को इस कानून से मुक्त रखना चाहिय।

†श्री त्यागी (देहरादून) : जोखिम वाले क्षेत्र की मांग को पूरा करने वाले विधेयक का मैं स्वागत करता हूं।

प्रीमियम विधि द्वारा अनिवार्य रूप में वसूल किया जायेगा, अतः इसमें स्वेच्छा का कोई तत्व न होने के कारण यह करारोपण का उपाय बन जाता है।

यह कर केवल फैक्टरियों से ही वसूल होना चाहिये क्योंकि प्रतिकर भी उनको ही मिलना है। इस जोखिम की रक्षा सरकार द्वारा प्रतिरक्षा पर लाखों रुपये खर्च करने के द्वारा होगी और प्रतिकर की राशि सरकार को अलग से देनी होगी। अतः इस विधेयक को करारोपण विधि का निश्चित रूप दिया जाना चाहिये। और इससे वसूल हुई राशि प्रतिरक्षा पर खर्च की जानी चाहिये। यह खर्च सीधे सरकारी कोष में जाना चाहिये। युद्ध न होने पर प्रश्न उठेगा कि इस राशि का क्या किया जाये? अतः सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिये कि यह धन देश की रक्षा पर खर्च किया जायेगा और हानि होने पर बीमा कृत फैक्टरी को जोखिम से क्षति पूर्ति की जायेगी। सरकार को बीमा कम्पनी के रूप में नहीं, सरकार के रूप में व्यवहार करना ही श्रेयस्कर है। अन्यथा यह प्रश्न उठेगा कि कोई जोखिम या युद्ध नहीं हुआ, तो इस वसूल राशि का क्या बनेगा क्योंकि उसमें से कोई प्रतिकर देने की जरूरत नहीं पड़ी। अतः प्रीमियम सीधा खजाने में जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

दर निर्धारित करने का अधिकार सरकार को देना ठीक नहीं है क्योंकि यह कराधान है। मुझे मा० मंत्री के संशोधन से सन्तोष है कि दर ३ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह भी अधिक है। किन्तु यदि सरकार बीमा कम्पनी के तौर पर यह दर लेती है तो यह बहुत अधिक है।

मैं श्री अ० प्र० जैन की बात से सहमत हूं कि यह खाद्य फसलों, बड़ बाजारों, आदि के मामले में अनिवार्य कर देना चाहिये। खेती बाड़ी की फसलों आदि के बारे में यह अनिवार्य नहीं होना चाहिये क्योंकि लोग ऐसा नहीं चाहते।

खंड १५ में स्पष्टीकरण की जरूरत है जो फैक्टरियों को उन्मक्त करता है। उन्मुक्ति का अर्थ क्या है तथा शर्तें क्या हैं; किस प्रकार की फैक्टरियों को उन्मक्ति मिलेगी, आदि बातें स्पष्ट की जानी चाहियें।

अभिकर्त्ता कमीशन एजेंटों के समान नहीं होने चाहियें क्योंकि इस कार्य में अनिवार्यता होने से ग्राहक तो पहले ही निश्चित हैं और किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। अतः अभिकरण की जरूरत नहीं है। यदि यह काम किसी बीमा कम्पनी द्वारा करवाया है तो बात और है। यह काम सरकारी कर्मचारियों द्वारा ही करवाया जाना उचित है।

खंड ७(४) में भी स्पष्टीकरण चाहियें। अधिक धन को खर्च करने के लिये केन्द्रीय सरकार को शक्ति देने का उपबंध करने की आवश्यकता कहां उत्पन्न होती है? सारी फालतू राशि सरकारी कोष में जानी चाहिये। यदि अधिक देने की जरूरत पड़ेगी तो सरकार कोष में से दे सकेगी।

अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इन बातों का स्पष्टीकरण करेंगे।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : आज देश की कठिन अवस्था के जोखिम के लिये बीमा की व्यवस्था करने वाले इन विधेयकों का स्वागत है। जो देश पर चीनी आक्रमण एवं रिजर्व बैंक के नियमों के कारण उत्पन्न हुई है।

वित्त मंत्री ने आसाम की हालत का जिक्र किया है। वहां की अर्थव्यवस्था बिलकुल ठप्प हो गई थी। चाय के बड़े स्टाक पड़े रहे और बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता वापस लिये जाने के कारण सब काम रुका रहा। पटसन, पूंजी फसलें आदि पड़ी रहीं। इनका कारण परिवहन संबंधी कठिनाई और बीमा व्यवस्था का अभाव था वहां पर आक्रमण के कारण स्टेट बैंक की शाखायें भी कई स्थानों पर बंद करनी पड़ीं। अतः पटसन और चाय उद्योग स्तब्ध रहे। इन विधेयकों द्वारा बीमा की व्यवस्था न होने से वहां की अर्थ व्यवस्था कुछ मात्रा में कायम रहेगी। स्टाक एक्सचेन्ज में भी गिरावट थी। इन विधानों में कुछ विलम्ब हो गया है, अतः इन को जितनी शीघ्र अपनाया जाए उतना ही बेहतर है।

अन्तर्देशीय जहाजों द्वारा ढोये जाने वाले माल के बीमा का एक उपबन्ध है। इंगलैंड की १९३९ की जोखिम विधि में जहाज की मशीनरी के बीमा का उपबन्ध था। अतः इस विधेयक में भी इन जोखिमों को शामिल करने का विचार करना चाहिये।

विमान द्वारा ढोये जाने वाली माल के बीमा का कोई उपबन्ध नहीं किया गया। खेती वाली सामग्री के लिये भी उपबन्ध करने की जरूरत है। अतः जोखिमों के लिये भी प्रबन्ध किया जाए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेम बरूआ]

प्रीमियम की दरें यथार्थता के आधार पर निश्चित की जानी चाहियें। जीवन बीमा निगम को अभिकरण देने की बात सुनी जाती है किन्तु इंगलैंड के समान व्यापार बोर्ड को यह काम सौंपना उत्तम होगा क्योंकि जीवन बीमा निगम के पास पहले ही बहुत अधिक काम है।

बीमा निधि को बढ़ाने के लिये आवश्यकता पड़ने पर कर लगाने की जरूरत पड़ सकती है। अतः मैं श्री त्यागी के इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि वह कराधान के रूप में होनी चाहिये।

मैं उद्योग को धन्यावाद देता हूं कि यह युद्ध के कारण मुनाफाखोरी करने का प्रयत्न नहीं कर रहा है। अतः यह कराधान के रूप में होना चाहिये जिससे हमारी प्रतिरक्षा निधि में वृद्धि हो।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : देश में सुरक्षा की भावना पैदा करने वाले इन विधेयकों की इस अवसर पर बड़ी जरूरत है।

व्यक्तिगत भावों संबंधी विधेयकं के पश्चात यह विधेयक आये हैं, जिस में युद्ध के कारण मरने वाले लोगों और अन्य धावों के लिये प्रतिकर की व्यवस्था है। अतः इस व्यवस्था को खेतों आदि के संबंध में भी लागू करना जरूरी था। इन प्रयत्नों से सुरक्षा की भावना पैदा होगी।

कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि यह राजकोषीय विधान होना चाहिये। मैं उन से सहमत नहीं क्योंकि सुरक्षा उपाय राजकोषीय उपायों से पृथक होने चाहियें।

बीमा की दर ३ प्रतिशत से कुछ कम ही होनी चाहिये। इसके लिये एक अभिकरण का सुझाव दिया गया है। किन्तु देश में बहुत सी बीमा कम्पनियों का काम बहुत सुन्दर है अतः उन को यह काम सौंपने का विचार किया जाए।

युद्ध संबंधी जोखिमों को इन विधेयकों के अन्तर्गत लाया जाएगा। और आपात काल तक यह जारी रहेगा। अतः यह स्वीकार्य बात है।

मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि यह विधेयक मेरे राज्य जम्मू तथा काश्मीर पर भी स्वतः लागू होगा। इस प्रकार यह राज्य धीरे धीरे शेष भारत के अधिक समीप आता जा रहा है—यह भी प्रशंसनीय कार्य है।

मुझे खुशी है कि इन विधेयकों से देश में सुरक्षा की भावना उत्पन्न की जायेगी और ये शत्र को देश से बाहर निकालने में सहायक होंगे।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : इस विधेयक में वह विचार निहित दिखाई देता है जो दो तीन सप्ताह पूर्व के मेरे प्रश्न में था। इन विधानों के लाने में विलंब हो गया है—हालांकि ये काफी पहले किये जाने चाहिये थे। तथापि मैं इनका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि ये शीघ्र ही विधि का रूप धारण करेंगे।

इन अधिनियमों के अन्तर्गत सरकार को प्रलायोजन करने की बड़ी गुंजाइश होगी, अतः मैं आशा करता हूं कि सरकार इस मामले में जन साधारण तथा इस सभा के सदस्यों की ओर से मिलने वाले सुझावों पर पूर्णतया ध्यान देगी और इस सभा को भी सूचित करती रहेगी संसद की शक्तियों की किसी भी प्रकार अवलना नहीं की जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय मंत्री का यह आश्वासन कि इस विधि को कारधान के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा, बहुत अच्छा है। मैं कुछ सदस्यों एवं श्री त्यागी के इस सुझाव का विरोध करता हूं कि इसे धन जुटाने का उपाय बनाया जाये। यह तो युद्ध की जोखिमों और युद्ध के कारण उजड़े लोगों के पुनर्वास के लिये व्यवस्था करने के हेतु किया जा रहा है।

प्रीमियम भी अधिक नहीं चाहिये, अतः अधिकतम मात्रा नियत की जाये जो २ प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये।

आपातकाल में होने वाले समस्त युद्ध जोखिमों के लिये व्यवस्था करने के लिये एक ही व्यापक विधि होनी चाहिये थी : शब्दों की परिभाषा इसमें कुछ ठीक नहीं, क्योंकि माल शब्द से सामान्यतया जो समझा जाता है, इस में उस की परिभाषा कुछ भिन्न है।

योजना बनाने के लिये सरकार प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते समय सभा के सदस्यों के सुझावों पर पूरी तरह ध्यान देने की कृपा करें।

इन में मसौदा संबंधी कुछ त्रुटियां हैं, उदाहराणार्थ शत्रु शब्द की परिभाषा भ्रामक और अपर्याप्त है।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान संगत बनाने की अधिनियम की ओर आकर्षित करता हूं, जिसमें सलाहकार समिति बनाने का उपबन्ध है, जिसका उपबन्ध इन विधियों में नहीं किया गया।

मैं आशा करता हूं कि इन विधियों के द्वारा स्थापिता कायम हो सकेगी।

†**श्री प्र० चं० बरूआ** (शिव सागर) : मैं इन विधेयकों का स्वागत करता हूं किन्तु ये काफी पहले लाये जाने चाहिये थे। इनके न होने पर आसाम में व्यापार तथा उद्योग ठप्प हो गये थे क्योंकि चाय उद्योग को बैंकों से ऋण उन की फसलों के आधार पर ही मिला करते थे, परन्तु संकट काल में बैंकों ने ऋण देना बन्द कर दिया क्यों कि उनको फसल सुरक्षित न होने पर ऋण वसूल नहीं हो सकता था। इस विधेयक में कई जोखिमों की व्यवस्था की गई है अतः उस में कार्यकारी हानियों को भी जोड़ने का उपबन्ध होना चाहिये। १९५२ में चाय उद्योग के संकट को सरकार ने एक गारंटी के द्वारा दूर किया था। ऐसा ही कोई प्रबन्ध अब शीघ्र ही किया जाये ताकि चाय उद्योग को कोई हानि न हो। माननीय मंत्री अपने उत्तर में मेरे इन सुझावों का उत्तर देने की कृपा करें।

श्री ह० च० सौन (सिंहभूमि) : अध्यक्ष महोदय, इन दोनों विधेयकों का मैं सामान्यतः समर्थन करता हूं। वैसे तो शांति काल में भी हमारी इकानामी ठीक तरह से चलनी ही चाहियें, मगर इस वक्त तो इस बात की और भी जरूरत है कि हमारी इकानमी ठीक तरह से चले और लोगों के अन्दर लड़ाई के कारण खतरे की भावना उत्पन्न न होने पाये, बल्कि उनके अन्दर यह भावना रहे कि उनका माल तो इंश्योर्ड है।

मैं दो तीन चीजों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। फैक्ट्रीज इंश्योरेंस बिल के सैक्शन १० में कहा गया है कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कारखाने को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहेगी तो उसके लिये जो इंश्योर्ड सम है उसके अलावा वह ले जाने का खर्चा भी देगी। इसमें यह भी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ह० य० सोय]

कहा गया है कि अगर ऐसा करने में फैक्टरी का कुछ सामान कम हो जाये तो उसका खर्चा भी सरकार देगी। मैं समझता हूं कि इसमें सरकार अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा जिम्मेवारी ले रही है।

सेक्शन १५ में सरकार ने यह अधिकार लिया है कि वह विशेष प्रकार के कारखानों को इंश्योरेंस से बरी कर सकती है। मैं उम्मीद करता था कि इसके कारण पर माननीय मंत्री जी अपने भाषण में जो उन्होंने इस बिल को प्रस्तुत करते समय दिया था कुछ प्रकाश डालेंगे। मैं चाहूंगा कि इस संबंध में सरकार प्रकाश डाले। मैं यह नहीं समझ पाया कि क्यों ५० हजार से काम के कारखानों को बरी किया जाये और उनको इंश्योर न किया जाये।

अन्यथा इन जनरल में इन दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं। इसमें यह कहा गया है कि इंश्योरेंस फंड में हमारे कंसालिडेटेड फंड से खर्चा नहीं होगा। जो प्रीमियम दिया जायेगा उसके अन्दर ही से रिस्क पूरा हो जायेगा। जो सारा खर्चा है वह डेढ़ लाख का है। इसलिये मैं इन दोनों विधेयकों का समर्थन करता हूं।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : वे विधेयक बहुत अच्छे हैं, किन्तु अधिक व्यापक नहीं। जहां व्यापारियों और फैक्टरी मालिकों आदि के जोखिम की व्यवस्था इन विधेयकों में हैं, किसानों के पशुओं को हानि तथा अन्य लोगों को होने वाली हानियों के सम्बन्ध भी कुछ सहायता और आश्वासन होना चाहिये। अत: अत्यावश्यक उद्योगों के मामले में बीमा अनिवार्य किया जाए और अन्य लोगों के मामलों में स्वेच्छा के आधार पर बीमे का उपबन्ध किया जाए। बैंकों और खड़ी फसलों के बीमा का कोई उपबन्ध नहीं है।

दर प्रणाली सम्बन्धी नियम सभा पटल पर रखे जाने चाहिये। समूचे कार्य प्रबन्ध पर संसद् का नियंत्रण होना चाहिये और उन की वार्षिक रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएं। इन बातों का उपबन्ध इन विधेयकों में होना चाहिये।

श्री रामेश्वर टांटिया (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले एक महीने से असम में बार इंश्योरेंस को ले कर बैंकों ने एडवांस देना बंद कर दिया या तो अगले साल की ऐडवांस ऐप्लीकेशंस लेंगे। मैं वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि वह यह दो बिल सदन में लाये। इन बिलों के बारे में मुझे यह कहना है कि यह खास कर अभी असम में लागू होते हैं। असम में सब से बड़ी जो इंडस्ट्री है वह चाय की है। आय में आप ने स्टेंडिंग क्रौप के लिये तो कहा है परन्तु बैंक जो रुपया देते हैं वह स्टैंडिंग क्रौप के सिवा जो अगले साल की क्रौप होगी उस के ऊपर रुपया देते हैं। स्टैंडिंग क्रौप में अगर पौधा आता हो तो फिर बैंकों को एक डिफीकल्टी रहेगी।

अभी बरुआ साहब ने जो कहा तो उन का यह कहना है कि बैंक जनवरी से रुपया देते हैं अगले साल की जो फसल होती है उस पर वह फ़सल के एवरेज औसत के हिसाब से अगर गवर्नमेंट बार रिस्क ले तो बैंक शायद रुपया देने में आनाकानी नहीं करेंगे। यह बहुत जरूरी चीज़ है क्योंकि चाय हमारे देश के लिए बाहर से १२५ करोड़ रुपया लाती है। इस के अलावा चाय इस देश का नेशनल पेय है। मैं निवेदन करूंगा कि वित्त मंत्री को कि इस स्टैंडिंग क्रौप के सिवाय जो चाय होती है जिस पर बैंक रुपया देते हैं इस साल जो चाय होने वाली है उस का बीमा भी इस बार रिस्क इंश्योरेंस लिस्ट में आ जाय।

श्री त्यागी ने जो यह कहा कि बार रिस्क इंश्योरेंस को टैक्स के रूप में समझना चाहिये तो मैं नम्रतापूर्वक उन के इस कथन का विरोध करना चाहूंगा। सरकार को यदि टैक्स की ज़रूरत है तो वह सीधे आमदनी पर जितना भी उसे दरकार हो युद्ध के समय सरकार द्वारा लगाया जा सकता है और लोग खुशी से उसे देंगे। परन्तु जो इंडस्ट्री कमा ही नहीं रही है उस पर आप एक ही तरीके से टैक्स कैसे लगा सकते हैं। इंश्योरेंस के हिसाब से उस के लिए एक अलग फंड रहना चाहिये और यह नहीं है कि टैक्स में आकर खर्च हो जाय क्योंकि उस का नुकसान भी बड़ा हो सकता है, और फायदा भी हो सकता है इसलिये टैक्स में न लेकर इस को एक बीमें के हिसाब से लेना चाहिये और उस अनुपात में उस को रखना चाहिये।

तीसरी बात जो श्री प्रभातकार ने कही कि ओरियंटल ने गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पर यह काम करने को औफर किया है तो मैं कहना चाहता हूं कि अकेले ओरियंटल ही क्यों मेरे खयाल में कोई २६ कम्पनियों ने अपनी सर्विसेज़ इस काम के लिये बिना कुछ लिये गवर्नमेंट को औफ़र की हैं। वे यह काम करने को तैयार हैं और बगैर कमिशन लिये करने को तैयार हैं। इसलिये मुझे तो इस में कोई भी आपत्ति नहीं लगती कि अगर दूसरी कम्पनियां, उन के पास स्टाफ है और अगर वह इस काम में सहयोग दें तो हम उनका सहयोग क्यों न लें। मेरी समझ में तो उन दूसरी कम्पनियों का भी सहयोग सरकार को लेना चाहिये जिससे यह काम जल्दी हो। अगर उन के पास ओरियंटल का जितना स्टाफ न हो तो भी उन का सहयोग लेने में कोई हर्जा नहीं है।

मैं एक बार फिर वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि वह यह ज़रूरी बिल सदन में लाये। इसी के साथ मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि असम में दिसम्बर, में जैसे कि बरुवा साहब ने कहा कि टी प्लांट्स पर जो रुपया व्यय होता है और चाय के सम्बन्ध में जो कठिनाई है उस को ध्यान देकर दूर करे और टी प्लांट्स को भी इंश्योरेंस से कवर करें और स्टैंडिंग क्रौप में अगर वह आ जाते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है और इस में यह जोड़ दें कि चाय की स्टैंडिंग क्रौप के साथ जो अगले साल की फ़सल है वह भी इस के भीतर रहेगी।

श्री बिशन चन्द्र सेठ (एटा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं इस बिल का स्वागत करता हूं परन्तु मुझे कुछ बड़ी आवश्यक बातें इस के सम्बन्ध में निवेदन करनी हैं। मेरा विश्वास है कि आदरणीय वित्त मंत्री महोदय उन पर ध्यान देंगे। पहली चीज़ तो खेती के सम्बन्ध में है। मैं बिलकुल ज़रूरी नहीं समझता कि उसका इंश्योरेंस किया जाय। बम वगैरह गांव और खेतों में नहीं डाले जायेंगे, अगर उस की नौबत आती है तो शहरों पर ही पड़ेंगे। इसलिये खेती के ऊपर यह इंश्योरेंस का टैक्स कम्पलसरी करना मैं उचित नहीं समझता और इस से व्यर्थ में गांव वालों के लिए एक नया अजीब काम बढ़ जायेगा इसलिये मैं इस का विरोध करता हूं जिन सज्जनों ने अभी तक उस के पक्ष में कहा है मैं उन से सहमत नहीं हो सकता कारण मैं इस को उचित नहीं मानता।

दूसरी चीज़ मुझे यह निवेदन करनी है कि जिस तरीक़े से आज हमारे देश की परिस्थिति चल रही है लाइफ़ इन्श्योरेंस कारपोरेशन ने आज तक कभी आग अथवा और इसी क़िस्म के दूसरे बीमों का काम नहीं किया है। हमारे देश के जितने बड़े बड़े जहाज़ हैं, हवाई जहाज़ हैं, वे दूसरे देशों की बीमा कम्पनियों के पास इंश्योर्ड हैं। अतः मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजाय इसके कि इस कार्य को हमारी सरकार स्वतः वहन करे, हमें दूसरे देशों की कम्पनियों पर, जो कि बड़ी सम्पन्न और धनवान हैं, उन को यह कार्य सौंप देना चाहिये ताकि हमारे ऊपर रिस्क न आये और उन के सुपुर्द करने से सब से बड़ा फ़ायदा यह होगा कि इस का रेट कम हो जायेगा। जो रेट हमारे मंत्री

[श्री विशन चंद सेठ]

महोदय ने रक्खा है मैं समझता हूं कि वह बड़ा ग़लत है। यह बहुत बड़ा बोझा होगा। १०० रुपये पर तीन रुपये सैकड़े के माने तो हैं कि एक लाख पर ३००० रुपया, १ करोड़ अगर है तो ३ लाख रुपये प्रतिवर्ष देना पड़ेगा। इस स्थिति में यह कार्य हमारे देश की सरकार को न लेकर और जैसा कि हमारे अन्य मित्रों में भी अभी कहा, बहुत सी विदेशी कम्पनियां आज भी हमारे देश में अपना कार्य कर रही हैं, उन के जिम्मे यह काम सौंप दिया जाय। विधान के अन्तर्गत उन विदेशी कम्पनियों को यह कार्य सौंप दिया जाय ताकि हमारे देश की सरकार पर कार्य का बोझा भी न बढ़े और साथ ही साथ आर्थिक बोझा भी न पड़े। इसलिये उचित यह होगा कि हम दूसरों के कंधे पर यह काम का भार डाल कर पूरा करा लें।

दूसरी चीज़ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डैसा को इस बिल में अनुमान किया गया है, ईश्वर न करे अगर हमारे देश पर बमबारी होती है तो पहले बड़े बड़े शहर ही उस के शिकार होंगे, सारे मकानात, दुकानें और जो बड़े बड़े व्यावसायिक केन्द्र हैं वे बमबारी के टारजेट बनेंगे इसलिये उनको भी इस बिल के अंतर्गत ले लेना चाहिये। बड़े बड़े व्यवसायिक सेंटर्स, बड़ी बड़ी इमारतें दुकानें जिनमें अरबों रुपये की दौलत पड़ी हुई है उनको सुरक्षित रखना भारत सरकार का प्रथम कर्तव्य है।

इस के साथ ही मैं एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं। मैं अभी समझता हूं कि इस बिल में एक मुख्य उदासीनता है और वह यह है कि बैंकों के पास जो भी सामान हमारे व्यावसायिक वर्ग का गिरवी है वह सारे का सारा इंश्योर्ड होना चाहिए। बैंकों के हेतु कोई भी छट नहीं होनी चाहिए। किसी व्यापारी का ५००० का काम है, दूसरे व्यापारी का ७५,००० का काम है तो किसी तीसरे का २ लाख का। बैंकों के पास तो एक ही गुदाम होता है और यह मुमकिन नहीं है कि छोटे और बड़े व्यापारी का सामान अलग अलग गोदामों में रखा जा सके, बैंक के उसी एक गोदाम में एक ही जगह पर अनेक आदमियों का सामान जब रखा है, लिहाज़ा यह जरूरी है कि बैंक के पास जितना भी सामान गिरवी है वह सारा का सारा इंश्योर्ड हो।

अन्त में मैं एक और छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अभी इस बिल के सम्बन्ध में यह कहा गया कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रान्सपोर्ट किये जाने वाले सामान का इंश्योरेंस होना चाहिए। मैं इस को बिलकुल ग़ैरज़रूरी मानता हूं क्योंकि नित्य के कार्य में एक तो सारे व्यापारी उस का लाभ उठायेंगे और चीजों के भाव बढ़ जायेंगे और बड़ी दिक्कत हो जायगी। ऐसी स्थिति में छोटे छोटे डिस्टेंसेज़ के लिए जैसे एक बड़े शहर के पास के छोटे शहर में सामान जाता है जैसे कानपुर से लखनऊ सामान आता है अथवा दिल्ली से गाज़ियाबाद जाता है, उस ट्रान्सपोर्टेड गुड्स पर इंश्योरेंस को मैं आवश्यक नहीं मानता। इन शब्दों के साथ और इन परिवर्तनों के साथ मैं इन बिलों का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं भी विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि यह हमें समाजवादी ढंग के समाज के समीप ले जाता है। मुझे सामाजिक सुरक्षा और कराधान के बीच कोई भ्रम नहीं। कई देशों में सब के लिए बीमा होता है, हमारे यहां भी हो सकेगा। किन्तु इसे कराधान का उपाय कहना उचित नहीं। यह युद्ध के जोखिमों के लिए गारंटी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं इस में अनिवार्यता का समर्थक हूं। किसानों के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए क्योंकि खेती के मामले की जोखिमें होती हैं युद्धकाल में, जिनका बीमा होना चाहिए। यदि बड़े पैमाने पर नहीं किया जा सकता तो छोटे पैमाने पर ही सही ताकि किसान खेतों में काम कर सकें। जब बम चलने लगते हैं तो बड़े नगरों के साथ गांवों पर भी आ पड़ते हैं। अतः किसानों के लिए व्यवस्था करना अनिवार्य है।

यह खुशी की बात है कि प्रीमियम का असर ग्राहकों पर पड़ने नहीं दिया जायेगा। दर कम वेश स्तर पर होनी चाहिए और दरों की सूची सभा पटल पर रखी जायेगी।

मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री अन्य चीजों पर भी इस सामाजिक सुरक्षा के विधान को लागू करने का प्रयत्न करेंगे।

मैं एक संशोधन वित्त मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं। आशा है कि वे मान लेंगे।

छोटे किसानों, छोटे कारखानों इत्यादि को आपातकालीन जोखिम (माल) बीमा विधेयक के अन्तर्गत लाने के लिए पृष्ठ ११, पंक्ति ११ पर वर्णन की गई न्यूनतम सीमा को ५०,००० रु० से घटा कर ३०,००० रु० कर देना चाहिए।

आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा विधेयक के पृष्ठ ५ पर, उन व्यक्तियों के लिए कुछ दण्ड की व्यवस्था की गई है जो झूठी जानकारी देते हैं। मेरे विचार में यह दण्ड कम है। इसे अधिक कड़ा बनाया जाये। कारावास कम से कम एक वर्ष होना चाहिए तथा जुर्माने को १०,००० रु० तक रखा जाये।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : कई सुझाव दिये गये हैं जो कि योजना बनाने और प्रीमियम दरों के निर्धारण के समय ध्यान में रखे जायेंगे। मुझे यह सुझाव स्वीकार है कि प्रीमियम की दरों सम्बन्धी अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखा जाये।

सभी वस्तुएं जिनका मूल्य ५०,००० रु० से अधिक है, उनका बीमा होता है। श्री दी० चं० शर्मा ने सुझाव दिया है कि इस सीमा को कम करके ३०,००० रुपये कर दिया जाये। यदि सभा ऐसा चाहती है तो मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। हम इस पर उस समय विचार करेंगे जब खण्डों पर चर्चा होगी।

यदि उपप्राधीयन नहीं किया जाता और इसके लागू होने पर सभी माल बैंक के पास हो, तो बैंक इसे ले सकती है। मुझे विश्वास है कि वह किया जायेगा। मेरे विचार में इस में कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री बड़े ने कहा कि जब माल एक जिले से दूसरे जिले को ले जाया जा रहा हो और एक जिले में माल की कीमत ५०,००० रुपये से अधिक हो, तो बीमा नीति को लेने का उत्तरदायित्व लागू होगा। मुझे नहीं मालूम इस में क्या कठिनाई है।

†**श्री काशी राम गुप्त** : एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में माल को कोई छूट नहीं है।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में माल को कानून के अन्तर्गत लेना कठिन है। यदि एक जिले में माल ५०,००० रु० या उस से अधिक मूल्य का है तो उस जिले में यह विधेयक के अन्तर्गत आयेगा। यदि दूसरे जिले में ५०,००० से कम हो, तो यह कानून के अन्तर्गत नहीं आयेगा।

†**श्री काशीराम गुप्त** : ५०,००० रु० की सीमा, एक क्षेत्र में केवल स्टाक को अपनी परिधि में लेती है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाये जा रहे माल को नहीं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : हवाई जहाज द्वारा आसाम से लाई गई वस्तुओं को बीमे के अन्तर्गत लाया जायेगा।

सरकार आसाम में चाय की फसल पर भी इस विधेयक को लागू करेगी। अतः, बैंकों द्वारा अग्रिम धन देने सम्बन्धी सन्देहों और कठिनाइयों को दूर किया जायेगा। मुझे खेद है कि बैंकों को ऐसा करने में हिचकिचाहट थी। संकटकालीन स्थिति में प्रत्येक को जोखिम उठाना चाहिए और इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यापार को हानि न हो।

मुझे विश्वास है कि अब बैंक यह सुनिश्चित करेंगी कि कठिनाइयों को दूर किया जाये और चाय बागान को पहले की तरह शीघ्र अग्रिम धन मिले।

माननीय मित्र श्री अ० प्र० सैन ने कहा कि राशि शीघ्र ही दे देनी चाहिए न कि एक वर्ष में। बिना किसी सत्यापन ऐसा कैसे किया जा सकता है। एक वर्ष में भुगतान करना उचित है। उस से शीघ्र नहीं हो सकता।

कुछ माननीय मित्रों ने सुझाव दिया था कि हमें कृषि फसलों को और कुछ नगरों में कुछ मकानों को भी इस विधेयक के अन्तर्गत लिया जाये। ये इन दो विधेयकों के अन्तर्गत तो आते नहीं। मैं इस पर अवश्य विचार करूंगा। पहले तो मेरा विचार था कि ऐसा करना अनुचित था। यदि मेरे विचार बदल गये तो मैं निश्चय ही इस मामले पर विचार करूंगा। पंजाब में इस बात का तजुरबा किया जा रहा है। यदि वह सफल हुआ, तो शायद इस बात का तरीका निकाले।

यह भी सुझाव दिया गया था कि पशुओं को भी इस विधेयक के अन्तर्गत लेना चाहिए। प्रत्येक चीज इस विधेयक में नहीं आ सकती। व्यापार और कारखाने तो देश की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत आवश्यक हैं। अतः इन का विधेयक के अन्तर्गत लाना बहुत जरूरी है। यही हम ने किया है।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : शत्रु द्वारा कल्पित आक्रमण उचित प्राधिकार के व्यक्तियों द्वारा तय किये जायें, अन्यथा जहां तक आपात का सम्बन्ध है, कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। कोई शरारत कर सकता है। ऐसा संशोधन आवश्यक है और सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा की जानी चाहिए।

†**श्री मोरारजी देसाई** : जब जहां इस बात की व्यवस्था न की गई हो कि किस ने कार्यवाही करनी है तो इस का अर्थ है कि सरकार या उस द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति कार्यवाही करेगा। यह भी सम्भव है कि कुछ मामलों में कोई गैर सरकारी नागरिक सरकार द्वारा प्राधिकार की प्रतीक्षा

---

†मूल अंग्रेजी में

न कर सके और उस समय उन्हें कुछ कार्यवाही करनी अपेक्षित हो। ऐसे मामलों में यदि सरकार की तसल्ली हो जाये तो वे उन्हें भी इस विधेयक के अन्तर्गत निश्चय ही लिया जायेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि आपातकाल में शत्रु द्वारा पहुंचाई गई क्षति के विरुद्ध भारत में कुछ सम्पत्ति के बीमे का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

†**श्री कृष्णपाल सिंह** (जलेसर) : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री काशीराम गुप्त** : मैं अपना संशोधन संख्या ७ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं संशोधन संख्या १ को निम्नलिखित रूप में स्वीकार करता हूं :

पृष्ठ ३, पंक्ति ३९,

अन्त में यह जोड़ा जाये—

"and a copy of such notification shall be laid after it has been made, on the Table of each House of Parliament when such House is in session for a period of thirty days or for the duration of the session in which it is laid, whichever period is less."

["और ऐसी अधिसूचना की एक प्रति, जब सभा सत्र में हो तब तीस दिन की अवधि के लिए अथवा जिस सत्र में वह सभा पटल पर रखी गयी हो, उस सत्र की अवधि के लिए जो भी अवधि कम हो, उसके बनने के बाद संसद् की दोनों सभाओं के पटल पर रख दी जायेगी।"]

†**श्री काशीराम गुप्त** : मैं अपना संशोधन संख्या ९ वापस लेता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३, पंक्ति ३९,

अन्त में यह जोड़ा जाये—

"and a copy of such notification shall be laid after it has been made, on the Table of each House of Parliament when such House is in session for a period of thirty days or for the duration of the session in which it is laid, whichever period is less."

["और ऐसी अधिसूचना की एक प्रति जब सभा सत्र में हो तब तीस दिन की अवधि के लिए अथवा जिस सत्र में वह सभा पटल पर रखी गई हो; उस सत्र की अवधि के लिए जो भी अवधि कम हो, उसके बनने के बाद संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रख दी जाये।")

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ४, विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ५—(आपातकालीन जोखिम माल बीमा योजना संशोधन किया गया

पृष्ठ ७, पंक्ति २१.

"Such rate as may, for the time being" ["ऐसी दरें, जो कुछ समय के लिए"] के स्थान पर "a rate not exceeding three per cnt per annum of the sum insured as may" ["बीमा की गई राशि पर प्रति वर्ष तीन प्रतिशत से अनधिक दर"] रखा जाये ।

[श्री मोरारजी देसाई]

श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ७, पंक्ति २९ के बाद निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"(6) Every Scheme shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one sessionor two or in more succesive sessions, and if before the expiry of the sessions in which it is so laid or the successive sessions aforesaid both House agree in making any modification in the Scheme or both Houses agree that the Scheme should not be made, the Scheme shall hereafter have effect have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be ; so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under the Scheme."

"(६) योजना के अधीन बनी प्रत्येक योजना बनने के बाद जब सम्भव हो तब संसद् में सभापटल पर उस समय रख दी जायेगी जबकि उस का सत्र तीस दिन की कुल अवधि तक हुआ हो ; यह तीस दिन एक सत्र अथवा दो अथवा उससे अधिक की अवधि के हो सकते हैं और यदि उस सत्र की जिस में यह सभा पटल पर रखी गयी है अथवा उस में बाद के उपरोक्त सत्रों की समाप्ति से पूर्व दोनों सभायें यह स्वीकार करें कि योजना में रूपभेद हो अथवा दोनों सभायें यह स्वीकार करें कि योजना न बनाई जाये तो योजना उस के बाद परिवर्तित रूप में लागू होंगी अथवा लागू नहीं होगी, जैसा भी हो परन्तु ऐसा रूपभेद अथवा निरसन उस योजना के अधीन पहले की गई किसी कार्यवाही को मान्यता देने की विरोधी न होगी"]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ ७, पंक्ति २९ के बाद निम्नलिखित रख दिया जाये—

"(6) Every Scheme shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in

---

†मूल अंग्रजी में

on one session or in two or more successive sessions, and if before the expiry of the sessions in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, both House agree in making any modification in the Scheme or both Houses agree that the Scheme should not be made, the Scheme shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as he case may be ; so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any hing previously done under the Scheme."

["(६) योजना के अधीन बनी प्रत्येक योजना बनने के बाद जब सम्भव हो तब संसद् में सभा-पटल पर उस समय रख दी जायेगी जबकि उस का सत्र तीस दिन की कुल अवधि तक हुआ हो ; यह तीस दिन एक सत्र अथवा दो अथवा इस से अधिक की अवधि के हो सकते हैं और यदि उस सत्र की जिस में यह सभा पटल पर रखी गयी है अथवा उस में बाद के उपरोक्त सत्रों की समाप्ति से पूर्व दोनों सभायें यह स्वीकार करें कि योजना में रूपभेद हो अथवा दोनों सभायें यह स्वीकार करें कि योजना न बनाई जाये तो योजना उस के बाद परिवर्तित रूप में लागू होंगी अथवा लागू नहीं होंगी, जैसा भी हो परन्तु ऐसा रूपभेद अथवा निरसन उस योजना के अधीन पहले की गई किसी कार्य-वाही को मान्यता देने की विरोधी न होगी ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया :

खंड ६, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ७—(बीमा को अनिवार्य बनाने के लिये अधिकार)

†**श्री कृष्णपाल सिंह** : मैं अपना संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ ८, पंक्ति ११—

"fifty" ["पचास"] के स्थान पर 'thirty' ['तीस'] रखा जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

'पृष्ठ ८, पंक्ति ११—

fifty' ["पचास"] के स्थान पर 'thirty' ['तीस'] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड ७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ७, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ८, विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ९—(बीमा व्यवसाय चलाने पर प्रतिबन्ध)

†**श्री कृष्णपाल सिंह** : मैं अपना संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं संशोधन को स्वीकार नहीं करता हूं ।

†**श्री कृष्ण पाल सिंह** : मैं वापस लेता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड ९ विधेयक का अंग बने' ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ९, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १० से ११, विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १२, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १३, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १४ से १७ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गए ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

'कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।'

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि आपातकाल में शत्रु द्वारा पहुंचाई गई क्षति के विरुद्ध भारत के कुछ सम्पत्ति के बीमे का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा में अब खण्डवार चर्चा होगी।

प्रश्न यह है :

'कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ३—[आपातकालीन जोखिम (कारखाना) बीमा योजना]

†**श्री कृष्णपाल सिंह** : मैं अपने संशोधन संख्या १, २ तथा ३ प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन किया गया

पृष्ठ ४, पंक्ति २०—

"Such rate as may, for the time being" ("ऐसी दरें, जो कुछ समय के लिए"] के स्थान पर "a rate not exceeding three per cent per annum of the sum insured as may" ["बीमा की गई राशि पर प्रति वर्ष तीन प्रतिशत से अनधिक दर"] रखा जाये।

[श्री मोरारजी देसाई]

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं अन्य संशोधनों को स्वीकार नहीं करता हूं।

†**श्री कृष्णपाल सिंह** : मैं उन्हें वापस लेता हूं।

संशोधन संख्या १, २ तथा ३ सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

संशोधन किया गया—

पृष्ठ ५, पंक्ति २८ के बाद निम्नलिखित रखा जाये—

"(7) Every Scheme shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if before the expiry of the sessions in which it is so laid of the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the Scheme or both Houses agree that the Scheme should not be made, the Scheme shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be ; so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under the Scheme."

["(७) योजना के अधीन बनी प्रत्येक योजना बनने के बाद जब सम्भव हो तब संसद् में सभा-पटल पर उस समय रख दी जायेगी जबकि उस का सत्र तीस दिन की कुल अवधि तक हुआ हो ; यह तीस दिन एक सत्र अथवा दो अथवा उस से अधिक की अवधि के हो सकते हैं और यदि उस सत्र की जिस में यह सभापटल पर रखी गयी हो अथवा उस में बाद के उपरोक्त सत्रों की समाप्ति से पूर्व दोनों सभायें यह स्वीकार करें कि योजना में रूपभेद हो अथवा दोनों सभायें यह स्वीकार करें कि योजना न बनाई जायें तो योजना उसके बाद परिवर्तित रूप में लागू

†मूल अंग्रेजी में

होगी अथवा लागू नहीं होगी, जैसा भी हो परन्तु ऐसा रूपभेद अथवा निरसन उस योजना के अधीन पहले की गई किसी कार्यवाही की वैधता के विरुद्ध न होगा" ।]

[श्री मोरारजी देसाई]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने' ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ४, विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ५—(आपातकाल जोखिम के लिये बीमा करने के लिये कारखानें के मालिक के कर्त्तव्य)

†**श्री कृष्णपाल सिंह** : मैं अपना संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री काशीराम गुप्त** : मैं अपना संशोधन संख्या १० प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में जो इबारत है उस के मुताबिक आकुपायर रेसपांसिबिल होगा ओनर का पैसा देने के लिये अगर उस की अपनी इमारत नहीं है और ओनर की है । लेकिन भारतवर्ष में गवर्नमेंट ने बहुत सी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बना ली हैं । कुछ ऐसी एस्टेट्स राज्य सरकारों की हैं, कुछ केन्द्रीय सरकार की हैं और कुछ कारपोरेशन्स की हैं । इन में ओनर का पैसा आकुपायर देगा यह बात ठीक से नहीं बैठती है । यह कसे होगा मेरी समझ नें नहीं आया । इस पर या तो माननीय मंत्री जी प्रकाश डालें या मेरे अमेंडमेंट को स्वीकार कर लें ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता हूं ।

†**श्री कृष्णपाल सिंह** : मैं संशोधन वापस लेता हूं ।

†**श्री काशी राम गुप्त** : मैं संशोधन वापस लेता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिये गये

उपाध्यक्ष महोदय : : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड ५ विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ६, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ७ और ८ विधेयक में जोड़ दिये ये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड ९, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १० से १३, विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १४, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १५--(कारखानों को छूट देने का अधिकार) ।

†**श्री काशी राम गुप्त :** मैं अपना संशोधन संख्या १० प्रस्तुत करता हूं ।

जो गांव ५००० से कम आबादी के हैं उन में लोग अपने घरों में फैक्टिरियां बना लेते हैं और उन का बीमा नहीं कराते । यदि कोई एक्सीडेंट होता है तो सारे गांव पर उस का प्रभाव होगा। और वह इतनी थोड़ी रकम होगी कि उस का बीमा करने की व्यवस्था में भी गाड़बड़ होगी और उन का हित नहीं होगा । मेरा निवेदन है कि सारे गांव का बीमा हो तो ठीक होग । एक गांव में एक आदमी छोटी सी फैक्टरी लगा कर बैठता है, उस के पास बीमा कराने की सुविधा नहीं होती। और न बीमा करने की उस की कैंपेसिटी होती है । और अगर गवर्नमेंट केवल उस को कवर करे और सारे गांव को कवर न करे तो भी उचित नहीं है । इस से लोगों में अशान्ति फैलेगी ।

†**श्री मोरार जी देसाई** : गांवों तथा नगरों की छोटी फैक्टरियों को बीमा के अन्दर करना मेरे लिये संभव नहीं है ।

†**श्री काशी राम गुप्त** : मैं संशोधन वापस लेता हूं ।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापस लिया गया

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि खंड १५ विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १५, विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड १६, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १७---(अधिनियमन तथा योजना को उपक्रमों पर लागू करने का केन्द्र सरकार का अधिकार)

†**श्री काशीराम गुप्त** : मैं अपना संशोधन संख्या १२ प्रस्तुत करता हूं ।

इसमें लिखा है कि ऐसी खदानें जिनमें मैशिनरी नहीं होगी वह इस में शामिल नहीं होंगी। मैं चाहता हूं कि जिन में बहुत थोड़ी मैशिनरी लगी हो उन को भी एग्जेम्प्ट करना चाहिये । वह इस में कवर नहीं होनी चाहियें ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : जहां कोई मशीान नहीं होगी उस को फैक्टरी कैसे मान लिया जायेगा।

†**श्री काशी राम गुप्त** : मैं संशोधन वापस लेता हूं ।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड १७ विधेयक का अंग बने ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १७, विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड १८—(देश में चलने वाले जहाजों पर अधिनियम को लागू करने का केन्द्र सरकार का अधिकार)

संशोधन किया गया—

पृष्ठ १३, पंक्ति १४—

"to a factory" ["एक कारखाने को"] के स्थान पर यह रखिये :—

"to a factory :

Provided that the rate of premium so fixed shall not exceed three percent per annum of the sum insured."

["एक कारखाने को :

परन्तु इस प्रकार निश्चित प्रीमियम की दर बीमा की गई राशि के तीन प्रतिशत से अधिक न होगा ।"]

[श्री मोरारजी देसाई]

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड १८ , संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १८, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १९, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नया खंड—२०

†श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १३, पंक्ति २१ के बाद निम्नलिखित रखा जाये :—

"Notifications under sections 15, 17 or 18 to be laid before Parliament.

20. A copy of every notification made by the Central Government under sections 15, 17 or 18 shall be laid after it has been made, on the Table of each Houses of Parliament when such House is in Session for a period of thirty days of for the duration of the Session in which it is laid, whichever period is less."

["संसद में रखी गई धारा १५, १७ १८ के अधीन अधिसूचनायें

२०. केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा १५, १७ अथवा १८ के अधीन बनाई गई प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति, जब सभा सत्र में हो तब तीस दिन कमी अवधि के लिए अथवा जिस सत्र में वह सभा पटल

†मूल अंग्रेजी में

पर रखी गई हो उस सत्र की अवधि के लिए, जो भी अवधि कम हो, संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रख दी जाये ।"]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १३, पंक्ति २१ के बाद निम्नलिखित रखा जाये :—

"Notifications under sections 15, 17 or 18 to be laid before Parliament.

20. A copy of every notification made by the Central Government under section 15, 17 or 18 shall be laid after it has been made, on the Table of each House of Parliament when such House is in session for a period of thirty days or for the duration of the Session in which it is laid, whichever period is less"

["संसद के समक्ष रखी गई धारा १५, १७ तथा १८ के अधीन अधिसूचनायें

२०. केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा १५, १७ तथा १८ के अधीन बनाई गई प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति, जब सभा सत्र में हो, तब तीस दिन की अवधि के लिए अथवा जिस सत्र में वह सभा पटल पर रखी गई हो, उस सत्र की अवधि के लिए, जो भी अवधि कम हो संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रख दी जाय ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि नया खण्ड २० विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नया खंड २० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री रंगा**: मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने नया खंड २० विधेयक में जोड़ दिया है । सामान्यत: ऐसा होता नहीं है परन्तु इस बार ऐसा हुआ है । इसकी मुझे बड़ी प्रसन्नता है । और मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं ।

†**डा० मा० श्री० अणे** : शत्रु द्वारा कल्पित हमले उचित प्राधिकार के व्यक्तियों द्वारा तय किये जायें, अन्यथा जहां तक आपात का सम्बन्ध है कठिनाइयां उत्पन्न होंगी । अत: मेरा अनुरोध है कि "उचित प्राधिकार के अधीन" शब्द जोड़ दिये जायें ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : काल्पनिक हमले वाली बात तब लागू होगी जब हमला हो और लोगों से खाली करने को कहा जाये या कुछ नष्ट करने को कहा जाये । यह तभी सम्भव है जब सरकार उन्हें प्राधिकार देगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

बारहवां प्रतिवेदन

†**श्री हेम राज** (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बारहवें प्रतिवेदन से, जो २ दिसम्बर, १९६२ को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के बिलों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बारहवें प्रतिवदनसे, जो ५ दिसम्बर, १९६२ को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में संकल्प—जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब २३ नवम्बर, १९६२ को प्रस्तुत किये गये निम्न संकल्प पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ करेगी ।

"इस सभा की यह राय है कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को हटा कर देश में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति प्रचलित की जाय ।"

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन इस रेज़ोल्यूशन को पेश किया था । महत्मा गांधी जी के सम्पर्क में सब से ज्यादा हमारी स्वास्थ्य मंत्रिणी रही हैं और महात्मा गांधी इस देश में एलोपैथी के सब से बड़े मुख़ालिफ़ रहे हैं । गांधी जी के नाम पर और देश की संस्कृति के नाम पर मैं माननीया स्वास्थ्य मंणित्री से यह प्रार्थना करूंगा कि इस ज़माने में जब कि गुलामी का कलंक हमारे ऊपर से हट चुका है, तो एलोपैथी का बोझ ही हमारे ऊपर से हट जाना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आज आयुर्वेद की तरक्की के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है और इसके बावजूद यह कहा जाता है कि आयुर्वेद अधूरा है। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि सौ आदमी हमको और सौ आदमी एलोपैथी को इलाज के लिए सौंपे जायें और अगर हमारा रिजल्ट उनसे बैटर न रहे और हम अस्सी फी सदी आदमियों को अधिक क्योर न कर दें, तो हम इस मांग को वापिस ले लेंगे और हम लोगों के हाथ कटवा दिये जायें।

यह तो अंग्रेज की दलील थी कि अगर वे यहां से चले जायेंगे, तो हिन्दू-मुसलमान लड़ कर मर जायगा और इन्सान इन्सान को काट कर खा जायेगा। आज यही दलील एलोपैथी के लिए दी जाती है और इस कारण आयुर्वेद को कोई मौका नहीं दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के विभिन्न प्रदेशों में आयुर्वेद की उन्नति के लिए कितना रुपया खर्च किया जाता है। आयुर्वेद की तरक्की के लिए आन्ध्र प्रदेश में पर कैपिटा ६ नये पैसे, आसाम में पर कैपिटा ५ नये पैसे, बिहार में पर कैपिटा १ नये पैसे, बम्बई में पर कैपिटा ८ नये पैसे, जम्मू-काश्मीर में पर कैपिटा ११ नये पैसे, केरल में पर कैपिटा १९ नये पैसे और मध्य प्रदेश में पर कैपिटा ७ नये पैसे खर्च किये जाते हैं। दिल्ली में आयुर्वेद के लिये एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाता है, जहां कि गांधी जी की सीट है और जहां पर कि उनके नाम पर इस हुकूमत को चलाया जा रहा है। इसी तरह मणिपुर, त्रिपुरा और अंडमान में भी आयुर्वेद के लिए एक पैसा भी ख़र्च नहीं होता है।

इस मुकाबले में जो सिस्टम डिके कर रहा है, जिस सिस्टम को अमरीका और जर्मनी ख़त्म करने जा रहे हैं, उसी सिस्टम को हमारे ऊपर लादा जा रहा है। मैं आपके सामने उन लोगों के नाम लेता हूं, जो कि मेडिकल साइन्स में हाइएस्ट अथारिटी माने जाते हैं, जैसे विटर निट्स, मैकफेडन और जुस्ट। एलेक्सिस केरल, जिन्होंने सर्जरी में नोबल प्राइस विन किया है, अपनी किताब में लिखते हैं कि स्कूलों तथा कालेजों में अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाने के बावजूद भी जनता में अविवेक बढ़ रहा है। साइंस की तरक्की का यह हाल है कि आज से दस साल पहले क्वीनीन मिक्सट्यर बुख़ार की सुन्दरतम औषधि मानी जाती थी। क्वनीन मिक्सट्यर के बाद तीन औषधियां और आई और अब सिवाय इंजेक्शन के और कोई इलाज एलोपैथी के पास नहीं रहा है। इसके बावज़ूद दिल्ली जैसी जगह में, जहां कि गांधी जी के नाम से हुकूमत की जाती है, आयुर्वेद के लिए एक पैसा भी ख़र्च नहीं किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रिणी जी से मेरी प्रार्थना है कि दिल्ली में आयुवद पर सबसे ज्यादा रुपया ख़र्च होना चाहिए।

जिस आयुर्वेद का मैं जिक्र करता हूं, मैं उसको वे आफ़ लाइफ़ कहता हूं, इन्सान की जिन्दगी का तरीका कहता हूं। जिस संस्कृति को हम मानते हैं, वह मां, मदर, की संस्कृति है। हम गंगा माता की संस्कृति को, मादरे-वतन की संस्कृति को मानते हैं। इसकी तुलना में पश्चिम ने हमको तीन चीजें दी हैं: वार, वाइन और वाइफ़। उसकी संस्कृति मां की संस्कृति नहीं है। मैं बहुत मोटे शब्दों में यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो लोग आज यह कहते हैं कि हमारा देश बाद में है और हमारा धर्म पहले है, वे धर्म और देश के रिश्ते को भूल जाते हैं। हमारा धर्म और कोई नहीं है—हमारा धर्म हमारा देश है। "जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।" हमारा धर्म हमारा देश हमारी आजादी और हमारी भारत-माता है। इससे अलग हमारा कोई धर्म नहीं है।

पश्चिम की संस्कृति को मैं वाइफ की संस्कृति इसलिए कहता हूं कि अगर मेरी वाइफ आ जाए और यहां पर बैठना चाहे, तो वह एन मेरी नाक के सामने डिस्टिंग्विश्ड विजिटर्ज़ गैलरी में बैठेगी। लेकिन अगर मेरी मां आ जाए तो वह छः घंटे तक परेशान होगी, उसको पास भी मुश्किल से मिलेगा। डिस्टिंगुइश्ड गैलरी किस के लिए है। यह वाइफ के लिए है, मां के लिए नहीं है। मैं जिस संस्कृति

[श्री यशपाल सिंह]

को मानता हूं वह गंगा माता की संस्कृति है। मैं उस संस्कृति को मानता हूं जो कहती है कि गंगा माता की गोदी में, उसके किनारे पर पैदा होने वाली औषधियां हमें अच्छा कर सकती हैं, उस संस्कृति को नहीं मानता हूं जो हमें विदेश के ऊपर निर्भर करती हैं। जो इन औषधियों से अच्छा नहीं हो सकता है, वह देशभक्त नहीं हो सकता है। देशभक्त वह होगा . . .

श्री रा० श० पाण्डेय (गुना) : अगर माननीय सदस्य . . .

श्री यशपाल सिंह : जिसको गंगा माता के किनारे पैदा होने वाली औषधियां अच्छा नहीं कर सकती हैं, जिसको हिमायल पिता की गोदी में पैदा होने वाली जड़ी बूटियां अच्छा नहीं कर सकती हैं, लेकिन जो वीयना में इलाज कराता है, जो विलायत की बनी हुई औषधियों से अच्छा होता है, दूसरे मुल्क से मंगाई गई औषधियों से स्वस्थ होता है, उसको मैं राजनीतिज्ञ भले ही कह दूं, पंडित भले ही कह दूं, देशभक्त मैं हर्गिज नहीं कह सकता हूं। देशभक्त का मतलब यह है, कि इस देश की संस्कृति के साथ उसका लगाव हो, गंगा माता के साथ हिमालय के साथ और वहां पर पैदा होने वाली औषधियों के साथ उसका प्रेम हो। उसे ही मैं देशभक्त कह सकता हूं। मैं भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के शब्द में कहना चाहता हूं :—

परभाषा पर भाव पर औषध पर परिधान
पराधीन जन की अहै यह पूरी पहचान।

जिनको दूसरे मुल्कों में तैयार हुई औषधियों से आराम होता है, उन्हें मैं देशभक्त नहीं कह सकता हूं।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि आयुर्वेद के साथ बेइंसाफी हो रही है। मैं पूरे फैक्ट्स एंड फीगर्ज में जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश में एलोपैथी का बजट २८९ लाख है लेकिन उसमें वहां पर केवल ६.३ आयुर्वेद पर ख़र्च होता है। बिहार में एलोपैथी का बजट है २५२ लाख लेकिन वहां पर आयुर्वेद पर ख़र्च होता है केवल १.७ लाख। ऐसी हालत में आप खयाल करें कि किस तरह से आयुर्वेद उन्नति करेगा। वह तभी उन्नति करेगा जब गवर्नमेंट उसको प्रोत्साहन दे। मुझे इसकी और किसी से आशा नहीं है। मुझे आप से आशा इसलिए है कि गांधी जी का यह खयाल था, उनका यह कहना था कि जितनी औषधियां हैं, जितनी एलोपैथी की दवाइयां हैं, अगर इन दवाइयों को उठा कर समुद्र में डाल दिया जाए तो यह तो नुकसान अवश्य होगा कि मछलियां मर जायेंगी लेकिन मानव जाति बच जायेगी। उन्हीं गांधी जी की प्रतिनिधि, उन्हीं गांधी जी की शिष्या उन्हीं गांधी जी की अनुयायी अनुगामिनी और उन्हीं के आदर्शों के ऊपर चलने वाली हमारी स्वास्थ्य मंत्रिणी जी यहां बैठी हुई हैं। उनसे मैं निवेदन करता हूं कि अगर इस एलोपैथी को एकदम ख़त्म नहीं किया गया तो यह सौ साल तक भी ख़त्म नहीं होगी।

कई लोग कहते हैं कि सर्जरी कहां से आएगी। मेरी दिक्कत यह है कि गलत बुद्धि में सही बात नहीं आ सकती है। जो बुद्धि गलत है, जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग सिग्रेट पीते हैं, उनकी समझ में यह बात नहीं आयेगी, जो लोग अश्लील सिनेमा देखते हैं, उनकी समझ में नहीं आएगी। सही बुद्धि में ही सही बात आएगी। जो लोग यह कहते हैं कि सर्जरी कहां से आएगी जो लोग यह कहते हैं कि सर्जरी का क्या होगा, उनसे मैं यह कहना चाहता हूं कि सर्जरी सुश्रुत की है। जितनी सर्जरी इस वक्त है, उसके मैं खिलाफ नहीं हूं उसको आज ही आयुर्वेद के मातहत कर दिया जाए। अंग्रेजों के जमाने में जो आई० सी० एस० अफसर थे, जो सेक्रेटरी थे, जो कमिश्नर थे, जो कलैक्टर थे, जब हम

स्वतन्त्र हुए, जब यहां पर नैशनल गवर्नमेंट स्थापित हुई, उसी दिन से वे सब नैशनल गवर्नमेंट के नीचे आ गए। इसी तरह से जितनी सर्जरी है, यह सुश्रुत की सर्जरी के नीचे कायम की जायगी। इस पर आयुर्वेद का कंट्रोल होगा। आज भी कई लोग हैं जो इसको मज़ाक समझते हैं। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी था। उसको जब बताया गया कि क्या उसे मालूम है कि एक राकेट ४२ हजार मील एक घंटे में जाता है और यह ख़बर अखबार में छपी है तो उसने कहा यह नहीं हो सकता है और यह गप्प है और अगर इस तरह की गप्पें अखबार वाले न छापें तो उनके अखबारों की बिक्री कैसे हो। बिक्री करने के लिए उनको ऐसी ख़बरें छापनी पड़ती हैं।

मेरी समझ में नहीं आता है कि आज जब कि हम जंग में मसरूफ हैं, जिस वक्त कि हम चीन से लड़ रहे हैं चीनी फौजों को खदेड़ रहे हैं उस वक्त आयुर्वेद काम कर सकता है या जो दवायें पांच या दस हजार मील दूर से मंगानी पड़ती हैं, वह काम कर सकती हैं। इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उनका खर्च हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और उनको आते आते भी देर लगेगी और वक्त के ऊपर वे काम नहीं दे सकेंगी।

मेरी अर्ज़ यह है कि ओरिजनल थिंकिंग से काम लिया जाए। ओरिजनल थिंकिंग क्या हो सकती है और कैसे वह हो सकती है? मैं आपको उदाहरण दे कर इसको बतलाना चाहता हूं। साउथ एवन्यू में रहने वाले एम०पीज० का ही मैं जिक्र करता हूं। जो पानी वहां पर मिलता है वह राशन का मिलता है। जब पानी पीने का समय होता है तो पानी खत्म हो जाता है, स्नान का समय होता है तो पानी खत्म हो जाता है। लखनऊ से गाड़ी आधा घंटा लेट आती है तो पानी नहीं मिलता है। यहां पर जो पानी है, वह राशन का है। दूध जो है वह दिल्ली मिल्क सप्लाई स्कीम का है जो कि ७२ घंटे बाद तक्सीम होता है। जो दूध आज गाय या भैंस के नीचे बैठ कर दूहा जाता है उसको तीन दिन बाद जा कर सप्लाई किया जाता है। उस वक्त तो वह दूध की लाश बन जाती है, उस वक्त तो उसके जितने विटामिज़ हैं वे सब मर जाते है। हमारे मंत्री जी बड़े गर्व से पूछते हैं कि बोतलों का दूध है न, दिल्ली मिल्क सप्लाई स्कीम का दूध है न। दूध तो ७२ घंटे का बासी मिलता है, पानी राशन का मिलता है। पानी तौल कर मिलता है। और अगर आप ऊपर चले जायें रिफ्रैशमेंट रूम में आपको जो समोसा मिलेगा वह कोटोजम का बना हुआ मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह कोटोजम एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। एटम बम तो एक दम किसी को फूंकता है लेकिन यह कोटोजम गला गला कर मारता है, यह कोटोजम इंसान के कारेक्टर का शत्रु है, जिस संस्कृति के ऊपर आज हम खड़े हैं, उसका शत्रु हैं। आज हम जिस संस्कृति के ऊपर खड़े है जिस तमद्दन के ऊपर खड़े है, वह ब्रह्मचर्य की संस्कृति है, ब्रह्मचर्य का तमद्दन है। अथर्वेद इस बात को कहता है:—

अभिक्रन्दन स्तनयन् अरुणः शितिगौ वृहच्छपौ नु भूमौ जभारः

वह ब्रह्मचर्य की संस्कृति है।

आज डाक्टरों ने एक ढकोसला बना रखा है, कि डिलीवरी कोई बीमारी है। मैं जानता हूं कि एनीमल किंगडम में घोड़ी का जो बच्चा होता है वह एक घंटे के बाद घोड़ी के साथ दौड़ता है, हिरन का जो बच्चा होता है वह एक घंटे के बाद हिरन के साथ दौड़ता है। खान अब्दुल गफार खां के.सरहदी इलाके में मैंने एक बहन को देखा है कि वह घोड़े के लिए घास चारा लाने का काम किया करती थी और उसके सवरे बच्चा पैदा हुआ और बारह बजे वह काम पर आ गई। यह जो डिलीवरी की बीमरी है यह एलोपैथी की दी हुई है।

[श्री यशपाल सिंह]

यह बहुत ही नार्मल सी चीज है, बहुत ही नैचुरल सी चीज है। उस कलचर को हम मानते हैं जिसमें कहा गया है कि यह बिल्कुल नार्मल चीज है, बिल्कुल नैचुरल चीज है। कमजोरी के कारण ही तो बीमारी नहीं होती है। जिस तमद्दन को हम मानते हैं वह ब्रह्मचर्य के ऊपर खड़ा हुआ है और ब्रह्मचर्य का दुश्मन यह कोटोजम है। जिस तरह से कसाई के सामने जाती हुई गाय थर्रथर्र कांपती है, उसी तरह से कोटोजम से ब्रह्मचर्य कांपता है। अगर सरकार और कुछ नहीं कर सकती है तो इतना तो जरूर कर दे और ऐसा रूल जरूर बना दे कि इस पार्लिमेंट के अन्दर और कहीं भी कोटोजम या डाल्डा इस्तमाल न हो सके। देश का अगर निर्माण आपको करना है तो आज ही करना है। अगर आज नहीं किया तो कभी नहीं हो सकेगा। हमने अपने आपको अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया है लेकिन आज भी अंग्रेजों को हम करोड़ों रुपया दवाइयां जो वहां से मंगाते हैं, उसका देते हैं। यह सब बन्द होना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि देश की संस्कृति के अनुरूप हम कार्य करें। जामनगर में हमने आयुर्वेदी की एक संस्था कायम की है, जो एक मात्र बड़ी संस्था है और उसके बारे में भी सरकार कहती है कि वह इसको अपने हाथ में नहीं रखेगी, उसको वह किसी प्राइवेट कमेटी को सौंप देगी। तिबिया कालेज जिसके साथ हकीम अजमल खां का नाम जुड़ा हुआ है उसको अपने हाथ में नहीं लेती है और कहती है कि एक प्राइवेट कमेटी के द्वारा वह चलाया जाएगा, गुरुकुल कांगड़ी और ऋषिकुलों को सरकार अपने हाथ में नहीं लेती है, उनको करोड़ों रुपये की इमदाद नहीं देती है, रुपया देती है विलायत से दवाइयां मंगाने के लिए, विलायत से पानी मंगाने के लिए।

मैं दरख्वास्त करता हूं कि गांधी जी के नाम पर, देश की संस्कृति के नाम पर एलौपैथी को हम एक दफा खत्म कर दें, जड़ से इसको मिटा दें, इसकी तनिक भी जरूरत नहीं है। आप कहते हैं कि राय ले ली जानी चाहिये। लेकिन मैं कहता हूं कि राय लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा काम जब किया जाता है तब राय नहीं ली जानी चाहिये। कोई बुरा काम किया जाना हो तब राय लेने की जरूरत महसूस हो सकती है। घर को फूंकने के लिये राय नहीं लेनी चाहिये अपनी दौलत लुटाने के लिये राय नहीं ली जानी चाहिये लेकिन इस काम में राय क्यों ली जानी चाहिये। अगर अंग्रेज राय लेते कि हम यहां पर एक ऐसी ट्रेन चलाना चाहते हैं जिस में भंगी और ब्राह्मण एक जगह बैठ कर चलेंगे, चमार और ठाकुर एक जगह बैठ कर सफर करेंगे तो आज तक हिन्दुस्तान उसके लिए वोट देन वाला नहीं था। एलोपैथी को हमें एक दम खत्म करना है। आज हमारा नारा होना चाहिये "नाऊ आर नैवर" आज सोचने की जरूरत नहीं है। या तो इसे आज किया जाए वर्ना फिर कोई मौका नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि आपके सुन्दर हाथों से एलोपैथी नष्ट हो, सुन्दर हाथों से आयुर्वेद का चमत्कार हो, आज को सर्जरी सुश्रुत की सर्जरी है, और इसको आयुर्वेद के मातहत साया जाए और एक साल में देखा जाएगा कि हमारी यह सर्जरी कितनी अधिक तरक्की करती है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

†**डा० गायटोंडे** (नामनिर्देशित गोआ, दमन और दीव) : मैं स्थानापन्न संकल्प संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : मैं स्थापापन्न संकल्प संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : मैं स्थानापन्न संकल्प संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री रणंजय सिंह** (मुसाफिरखाना) : मैं स्थानापन्न संकल्प संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** (गोपालगंज) : मैं स्थानापन्न संकल्प संख्या ५ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री ब० ड० दास** : मैं स्थानापन्न संकल्प संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मूल संकल्प तथा संशोधन सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

†**डा० गायटोंडे** : मेरे विचार में प्रस्तावक महोदय ने अपने भाषण में आयुर्वेद का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने अपने भाषण में दो तीन बार महात्मा गांधी के नाम का उल्लेख किया है। मेरे विचार से आयुर्वेद की परिभाषा इस प्रकार है:

हिताहितं सुखं दुःखं आयुस्तस्य हिताहिम्।
मानंच तच्च यत्रोक्तं आयुर्वेदः स उच्चते॥

मेरे विचार से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसी परिभाषा को स्वीकार किया है।

(**श्री मूलचन्द दुबे** पीठासीन हुए)

खेद है कि आयुर्वेद को अच्छी प्रकार नहीं समझा गया है। वस्तुतः इसमें वही तत्व विद्यमान हैं जो किसी आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में है। वास्तव में यह एलौपैथी के सदृश्य ही आधुनिक है।

दुर्भाग्य से आयुर्वेद में स्थिरता सी आ गई है। इसका कारण यह है कि दूसरी विज्ञान शाखाओं ने इसके साथ साथ प्रगति नहीं की है जब कि दूसरे देश में भौतिक विज्ञान ने बहुत प्रगति की है। इस तथ्य से आधुनिक चिकित्सकों ने लाभ उठाया है।

अतः मैंने एक स्थानापन्न संकल्प प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार संकल्प में ऐसा संशोधन किया जाये ताकि चिकित्सा को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली को आयुर्वेद तथा एलोपैथी दोनों के स्थान पर प्रचलित किया जा सके।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) :

यः प्राण तो निमिषितो महित्वा
वा इद् राजा जगतो वभूव।
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम।

सभापति महोदय, मैं आज इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने विचार रखना चाहता हूं। 'आयुर्जीवनं वेदयति प्रापयति आयुर्वेद' आयुर्वेद शब्द का अर्थ है जो आयु को प्राप्त करा सकें, जिसके द्वारा, जिसके नियमों पर चल कर, जिसकी औषधि के द्वारा पूरी आयु मिल सकती हो यह आयुर्वेद शब्द का अर्थ है।

कुछ लोगों का विचार है कि आयुर्वेद वाले और कुछ नहीं जानते थे केवल कुछ दवा, गोली आदि के बारे में जानते थे। ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के सुश्रुत आदि ग्रन्थों में शल्य चिकित्सा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामेश्वरानन्द]

का विषय वर्तमान है। आप अभी भी उसे देख सकते हैं। एसी बात नहीं है कि उनको शरीर के इन स्थानों का पता नहीं था। आयुर्वेद में यहां तक है कि शरीर में कितनी बड़ी नाड़ियां है, कितनी छोटी नाड़ियां है, और कौन कौन धमनी क्या क्या काम करती है। ये सारी की सारी बातें आयुर्वेद में विद्यमान हैं। यद्यपि हजारों वर्ष से किसी ने आयुर्वेद को पूछा नहीं, लेकिन आज भी ऐसे वैद्य मौजूद है कि अपना जीवन लगा रखा है। मंत्री महोदय या राष्ट्रपति तो उनके पास से या उनकी गली में से भी न निकले होंगे जो अपनी विद्या से अच्छी तरह परचित हैं। वे वैद्य आपकी नाड़ी पकड़ कर आपके शरीर के सारे रोग बता सकते हैं। क्या कोई एसा डाक्टर है जो यह चीज बता सकता है।

दूसरी बात। आयुर्वेद में जहां पर दवाओं का वर्णन है वहां पर उसमें स्वस्थ रहने के नियम लिखे हैं। मैं ने अपनी बहिन स्वास्थ्य मंत्री से पिछले दिनों कहा था कि जहां आप औषधियों का विधान करती है वहां स्वस्थ रहने के जो नियम हैं, व्यायाम, प्राणायाम, आसन, योग क्रियाएं, वस्ति आदि जो कि आयुर्वेद में दी हैं, उनका भी प्रचार कीजिए। आपको जो कष्ट है वह इन नियमों पर चलने से तुरन्त समाप्त हो सकता है। किन्तु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि दूसरे देशों की बनी हुई औषधि मेरे देश के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि वे देश शीत प्रधान हैं और उनकी औषधियां उष्ण हैं। मेरा देश उष्ण है। इसलिए इस देश की औषधि ही इस देश के लोगों के स्वास्थ्य के अनुकूल हो सकती है। इसलिए यहां उनका ही प्रचार व प्रसार होना चाहिए। विदेशी औषधि का यहां प्रभाव अच्छा नहीं होता। मैं यह नहीं कहता कि किसी की अच्छाई को हम न लें, अच्छाई को अवश्य लें। किन्तु अपनी विद्या को न भूल जायें लेकिन इस देश की मिट्टी, इस देश के जल और इस देश की औषधि से हमारा शरीर बना है, इसी लिए औषधियां भी हमारे लिए यहीं की लाभदायक हो सकती हैं। जो औषधि लाभ नहीं करती वह हानि करती है। जो विदेशी औषधियां बाहर से बनकर आती हैं उनसे अधिकांश लोगों को लाभ नहीं होता, हानि अवश्य हो जाती है।

श्रीमती यशोदा रेड्डी (करनूल): आयुर्वेद से आपकी आंख की ज्योति जो कम हो गयी है वह तो ठीक नहीं हुई।

श्री रामेश्वरानन्द: मैं ७२ वर्ष का हूं, तुम कल की छोकरी हो, मेरी ज्योति कम नहीं हुई है।

आयुर्वेद की औषधियों से अभूतपूर्व लाभ होता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पैर में मोच आ गयी थी। डाक्टरों ने उस पर प्लास्टर रख दिया। मैं आपको सत्य कहता हूं कि १६ दिन तक वह प्लास्टर रखा रहा—और मेरा पैर एक अंगुल पतला हो गया। मैंने उसे खोल कर फेंका और अपनी औषधियों का प्रयोग किया और मेरा पैर धीरे धीरे ठीक हो रहा है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज डाक्टर लोगों के पास टीके बहुत आ गए हैं। जो भी रोग हो वे उसी में वे जहां भी कहीं वह टीका लगा देते हैं। मैं हरद्वार मेले पर गया था। तो मुझे हैजे के नाम पर टीका लगा दिया गया। मैं ने प्रार्थना भी की मुझे टीका न लगाया जाए, मुझे हैजा नहीं होगा लेकिन टीका लगाया गया। उसका परिणाम

यह हुआ कि मेरी बांह में १५–१६ दिन कष्ट रहा । हमको मालूम है कि हैजा किस प्रकार होता है।

इसी तरह से आज चेचक के टीके की दशा है। यह कितने जघन्य प्रकार से बनाया जाता है। यह पिछले दिनों मंत्राणी जी ने बताया था और यह प्रसिद्ध है कि बछड़े का रक्त, बछड़े की चरबी, बन्दर के गुरदे और अंडों से यह चेचक का टीका तैयार किया जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि चेचक के लिए आयुर्वेद में उपवास तथा खूब कल। का पानी ही पर्याप्त है डाक्टर इसमें भी खाना देते हैं जो हानिप्रद है।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): माननीय सदस्य मेरा नाम लेकर कह रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा। वह गलत कह रहे हैं।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं आपको आपका छपा हुआ वक्तव्य दिखा दूंगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आयुर्वेद के विद्वान हैं उनको किसी जगह नहीं पूछा जाता। चाहे दवाखाना डाक्टर के बिना खाली पड़ा रहे या कम्पाउंडर उसको चलाता रहे लेकिन वैद्य चाहे वह आयुर्वेदाचार्य भी हो, उसको स्थान नहीं दिया जाता।

मैं कहना चाहता हूं कि टिड्डी जहां रात को बस जाती है वहां जाते समय अंडे छोड़ जाती है। मैं तो समझता हूं कि इस सरकार के संचालक अंग्रेजों के अंडे हैं। इसलिए वह प्राचीन बातों को नहीं आने देना चाहते। यह स्पष्ट है। इन भावों के साथ में प्रस्ताव का समर्थक हूं।

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : सभापति जी, मैं आयुर्वेद का बड़ा भारी समर्थक हूं। और समर्थन की ये भावनायें मुझे अपने कुल की परम्परा से प्राप्त हुई हैं। लेकिन जहां तक ज्ञान का सम्बन्ध है मैं ज्ञान क्षेत्र के सभी दरवाजों को खुला रखना चाहता हूं।

जिस समय चरक और सुश्रुत ग्रन्थ लिखे गए थे हजारों वर्ष उसको बीत गए। उसके बाद अब तक विज्ञान आगे नहीं बढ़ा है इसको मैं नहीं मानता। मैं यह मानने वाला हूं कि विज्ञान बराबर बढ़ता रहा है, आज भी बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता जायेगा। इसीलिए श्री यशपाल सिंह के इस प्रस्ताव में जो कुछ सुधार हैं उनमें से कुछ सुधारों को मैं उचित मानता हूं। एक सुधार श्री रणंजय सिंह का है जिन्होंने कि अपने सुधार में लिखा है :—

"आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को पूर्ववर्तिता दी जानी चाहिये।"

मैं समझता हूं कि जितने भी सुधार यहां पर पेश हुए हैं उनमें यह सुधार सबसे अच्छा है। आज भी यदि हम देखें तो इस देश में १०० में से ८० व्यक्ति गांवों में रहते हैं। और गांवों में आज भी अधिकतर वैद्यों का ही इलाज होता है। यह सब होता है बिना राजाश्रय के। यह सचमुच खेद की बात है कि स्वराज्य के बाद जो बात भी भारतीय है उसे राजाश्रय प्राप्त नहीं हुआ। हमारी भाषाओं को राजाश्रय प्राप्त नहीं हुआ। हमारी सांस्कृतिक चीजों को राजाश्रय प्राप्त नहीं हुआ। आज भी गोवध हो रहा है। हमारी संस्कृति के विरुद्ध न जाने कितनी चीजें चल रही हैं। इसी प्रकार आयुर्वेदिक को भी राजाश्रय प्राप्त नहीं हुआ है। जो हजारों वर्षों से एक औषधि पद्धति यहां पर चली आ रही थी और अनेक ऋषि मुनियों की तपस्या के पश्चात्, खोजों के पश्चात् जिन दवाइयों

[डा० गोविन्द दास]

का निर्माण हुआ था, जो औषधियां आज भी मैं समझता हूं कि संसार की हर एक चिकित्सा पद्धति की औषधियों से ऊंची औषधियां हैं, उन औषधियों के निर्माण में सरकार ने नहीं के बराबर काम किया है। इसलिए मैं एक तरफ यह मानता हूं कि आयुर्वेद को एलौपैथी के ऊपर प्रश्रय मिलना चाहिए, उसी के साथ मैं यह भी मानता हूं कि वर्त्तमान विज्ञान जो आगे बढ़ा है उस विज्ञान की चीजें भी हम को अपनी चिकित्सा पद्धति में शामिल करनी चाहिएं ।

जहां तक शल्य क्रिया का सम्बन्ध है, शल्य क्रिया हमारे यहां नहीं है। यदि हम चरक और सुश्रुत के अनुसार शल्य क्रिया स्थापित करना चाहें तो उसका करना सम्भव नहीं है। हमारे वहां उस समय एक्सरे नहीं था और न अन्य दूसरा सम्बन्धित सामान ही था जोकि विज्ञान ने आज हमारे सामने रक्खा है। इसलिए जहां मैं एक ओर आयुर्वेद का समर्थक हूं और चाहता हूं कि आयुर्वेद को एलौपेथी और दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के ऊपर प्रश्रय दिया जाये वहां मैं इस पक्ष का भी हूं कि वर्त्तमान विज्ञान ने जिन चीजों की खोज की है उन खोजों को भी हम ले लें और अपने देश का जो वायुमंडल है, जो दूसरी चीजें हैं उसके अनुसार और उनने नवीन खोजों के अनुसार भी हम काम करें। मुझे खेद इस बात का है कि सरकार हमारी सरकार होते हुए भी और भारतीय सरकार होते हुए भी भारतीय चीजों को वह प्रश्रय नहीं दे रही है। राजाश्रय की इन सब चीजों में नितान्त आवश्यकता है। इसलिए यहां जो कुछ सुधार पेश हुए हैं जिसमें मैंने आपसे कहा कि श्री रणंजय सिंह का जो सुझाव है उसको मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं। हमारी एलोपैथी, होम्योपैथी, जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनसे कोई बैर नहीं है, उनसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है। हम चाहते हैं कि सबकी जांच की जाय और जहां तक औषधियों का सम्बन्ध है मेरा अभी भी मत है कि अर्युवेदिक औषधियां सबसे अच्छी औषधियां हैं। उन औषधियों को हमें प्रश्रय देना चाहिए। इस सम्बन्ध में खोज होनी चाहिए और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को सर्वोपरि मान कर इस देश के वायुमंडल और इस देश की संस्कृति, इन सब चीजों के अनुकूल मान कर उसे राजाश्रय प्राप्त होना चाहिए। साथ ही जो विज्ञान की चीजें हैं उन्हें भी हमें शामिल करना चाहिए। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का जो आशय है उससे सहमति होते हुए भी इस प्रस्ताव पर के सुधारों से अधिक सहमत हूं बनिस्बत प्रस्ताव के।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : सभापति महोदय, मुझे बहुत खेद है कि मैं अपने मित्र श्री यशपाल सिंह के प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। यद्यपि यह सही है कि आयुवद के लिए यह बहुत आवश्यक है कि उसे बराबर राजाश्रय प्राप्त होता रहे, मैं इसे अनिवार्य समझता हूं। कि आयुर्वेद को अधिकाधिक गति मिलती रहे किन्तु मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि सर्वथा और सामान्यतया आयुर्वेद को, आज जो एलौपेथिक को प्रोत्साहन मिल रहा है, वह आयुर्वेद को मिल जाये। वैसे वास्तव में डा० गायतोंडे ने जो कहा वह सही है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कोई राष्ट्रीय भेद और सीमाएं नहीं होतीं। सारा विज्ञान एक है और उसमें यह कहना कि यह हिन्दुस्तानी विज्ञान है या भारतीय विज्ञान है और दूसर पाश्चात्य विज्ञान है यह वास्तव में सही नहीं होगा। हमारे पूर्वजों ने वास्तव में ऐसी परम्परा स्थापित की थी। हमारे पूर्वजों ने वास्तव में इस प्रकार के नये अन्वेषण किये थे

जिनके लिए कि हम गर्व अनुभव कर सकते हैं। किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि आज के युग में वर्तमान अन्वेषणों को छोड़ कर, वर्त्तमान छानबीन के परिणामों को छोड़ कर हम केवल उसी पुरानी चीज का और उसी पुरानी परम्परा का ही राग अलापते रहें। मैं इस बात से तो सहानुभूति रखता हूं कि हम पुरानी परम्परा में जहां जहां रत्न छिपे हैं, जहां जहां मूल्यवान वस्तुएं हैं, उन्हें स्थान दिया जाये, उनकी पुनरावृत्ति हमारे ही देश की परम्परा में की जाय किन्तु हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि आमूल चूल परिवर्तन करते हुए जो आधुनिक विज्ञान है उसका स्थान हमारी यह पुरानी परम्पराएं ले लें जिनको विकास और प्रगति का वास्तव में अवसर ही नहीं मिला।

मेरे मित्र श्री यशपाल सिंह ने कई सारे आंकड़े इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किये। वास्तव में यह बात सही है जैसाकि उन्होंने कहा कि आयुर्वेद पर जो व्यय होता है वह बहुत ही कम मात्रा में होता है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाये तो वह नगण्य व्यय है लेकिन साथ ही यह देखने की भी बात है कि इन वर्षों में हमारी सरकार नेबराबर इस बात का प्रयत्न किया है कि आयुर्वेद पर अधिकाधिक व्यय किया जाता रहे यह दूसरी बात है कि प्रगति उतनी संतोषजनक नहीं हुई। यह दूसरी बात है कि आयुर्वेद को अभी तक भी वह स्थान नहीं मिल सका जो उसके लिए उचित है। मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार इस बात का भरसक प्रयत्न करेगी और इस बात की पूरी चेष्टा करेगी कि आयुर्वेद का जो दृष्टिकोण है, आयुर्वेद की जो देन है वह आधुनिक विज्ञान के प्रवाह में खो न जाये बल्कि उसका समुचित उपयोग किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं अपने द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन् उस संशोधन को स्वीकार करेगा।

श्री रणंजय सिंह (मुसाफिरखाना) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे कुछ निवेदन करने का समय दिया।

मैं आप के द्वारा माननीय सदस्य, श्री यशपाल सिंह को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा आवश्यक और महत्वपूर्ण विषय यहां पर प्रस्तुत किया है। जैसा कि स्पष्ट है, "आयुर्वेद" के शाब्दिक अर्थ हैं "साइंस आफ लाइफ"। आयुर्वेद आज से नहीं, प्राचीन काल से, अपितु कहना चाहिये कि आदि काल से चला आ रहा है, जिस के अन्तर्गत बहुत से और कई प्रकार के अनुभव प्राप्त किये गये। यदि निष्पक्ष दृष्टि से मनन और अध्ययन किया जाये तो पता लगेगा कि चिकित्सा सम्बन्धी विज्ञान जितना हम को आयुर्वेद में मिलता है, उतना अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है चिकित्सा के क्षेत्र में इस समय भी खोजें हो रही हैं और खोज करते करते आगे बढ़ा जा रहा है। जैसाकि माननीय सदस्य ने अभी कहा है, आयुर्वेद पद्धति की ओर ही बढ़ा जा रहा है और उसी को अपनाया जा रहा है। नाम और शब्द चाहे कुछ हों, लेकिन वास्तव में उसी ओर बढ़ा जा रहा है जो कि आदि-काल से हमारे यहां चली आ. रही है और जिसका इतना महत्व रहा है।

जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत है मैंने उस में यह संशोधन रखा है कि एलोपैथिक सिस्टम आफ मैडिसिन की अपेक्षा आयुर्वेदिक सिस्टम आफ मैडिसिन को प्रिफरेंस दी जाये। मूल प्रस्ताव में यह मांग की गई है कि एलोपैथिक चिकित्सा-पद्धति को हटा कर केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा-पद्धति को रख दिया जाये। मैं समझता हूं कि यह कुछ व्यवहारिक नहीं है कि एक-दम से ऐसा कर दिया जाये। इस लिये मेरे विचार में वर्तमान समय में मल प्रस्ताव को इस संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया जाये, जो कि मैंने उपस्थित किया है। जैसा कि माननीय सदस्य, डा० गोविंद दास, ने कहा है, तब वह

प्रैक्टिकल होगा, व्यवहारिक होगा और उस के द्वारा आयुर्वेद की उन्नति उत्तरोत्तर होती रहेगी तथा उस से जनता का भी लाभ होगा। यदि सरकार पूरा ध्यान देगी तो शीघ्र ही आयुर्वेदिक चिकित्सा-पद्धति इस देश में अपना उचित स्थान प्राप्त कर लेगी।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो विज्ञान की बातें हो रही हैं, वे सब आयुर्वेद में भरी हुई हैं। बहुत से लोगों की धारणा है कि जो बहुत से नये नये रोग आ रहे हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा-पद्धति में उन का कोई उल्लेख या निराकरण नहीं है। उदाहरण के लिये ब्लड प्रेशर के रोग को लीजिये। हमारे यहां उसका अर्थ लगाया गया है "रक्त चाप"—"ब्लड" का अर्थ है "रक्त" और "प्रेशर" का अर्थ है "चाप"। इस प्रकार से "ब्लड–प्रेशर" का शब्दार्थ किया गया है। किन्तु यह नहीं देखा गया है कि जितने भी रोग हैं, आयुर्वेद में उन सब के सम्बन्ध में विचार किया गगा है और उन के निदान दिये गए हैं। सुश्रुत और चरक आदि के ग्रंथों में उन के लक्षण मिलते हैं। "हाई ब्लड-प्रेशर" को "शिरा स्थौल्य" और "लो ब्लड-प्रेशर" को "शिरा शैथिल्य" कहा गया है, अर्थात् यदि शिराओं में स्थौल्या आ जाये, तो हाई ब्लड-प्रेशर आ जाता है और यदि शिराओं में शैथिल्य आ जाये, तो लो ब्लड-प्रेशर हो जाता है। इस प्रकार कोई ऐसा रोग नहीं है, जोकि आयुर्वेद से अच्छा न किया जा सकता हो।

मेरा विश्वास और अनुभव है कि जितना लाभ आयुर्वेदिक चिकित्सा-पद्धति से होता है, उतना एलोपैथिक चिकित्सा-पद्धति से नहीं होता है, यदि चिकित्सक अच्छा हो, क्यों कि चिकित्सा तभी अच्छी तरह हो सकती है, यदि डाक्टर या वैद्य अच्छा हो। इस लिये यदि आयुर्वेद को बराबर आश्रय मिलता रहे, तो वह समय आयेगा, जबकि हमारा यह आयुर्वेद संसार के लिये कल्याणकारी सिद्ध होगा।

हमारे यहां कहा गया है, "शरीरमाद्यम् खलु धर्मसाधनम्"। हम सब को धर्म के साधन के रूप में शरीर की रक्षा करनी है। शरीर की रक्षा करते हुये ही हम सब कार्य सफलतापूर्वक कर सकते हैं और शरीर के लिये आयुर्वेद की पद्धति जितनी उपयोगी हो सकती है, उतनी दूसरी कोई पद्धति नहीं हो सकती है।

मैंने यह भी संशोधन रखा है कि "बि रीप्लेस्ड बाई दि आयुर्वेदिक सिस्टम" के स्थान पर "एंड पर्टिकुलर्ली एन्फोर्स्ड" शब्द रख दिये जाये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में हम को निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिये। सत्य को ग्रहण करते हुये असत्य का त्याग करने के लिये सदा उद्यत रहना चाहिये यह बड़ा उत्तम नियम है और हम सब को इसे मानना चाहिये।

माननीय सदस्य, श्री यशपाल सिंह, के विचारों की प्रसंशा करते हुये मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत उत्तम और महत्वपूर्ण विषय इस सदन में उपस्थित किया है।

इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन सदन के सामने उपस्थित करता हूं। धन्यवाद।

कुछ माननीय सदस्य : हिन्दी में बोलिये।

श्री राम सेवक यादव : माननीय सदस्य आयुर्वेनद की वकालत करेंगे और अंग्रेजी में करेंगे।

श्री डा० मा० तिवारी : मंत्री महोदय हिन्दी नहीं समझते।

श्री बागड़ी (हिसार) : सब समझ लेंगे । सब जानते हैं कि माननीय सदस्य अंग्रेजी जानते हैं ।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : माननीय सदस्य आयुर्वेद के बारे में संस्कृत में बोलें ।

श्री द्वा० ना० तिवारी । मंत्री महोदय हिन्दी नहीं जानते, इस लिये मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं ।

कुछ माननीय सदस्य : जानते हैं ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : जानते हैं ? बहुत अच्छा ।

सभापति महोदय, आयुर्वेदिक के साथ सरकार के व्यवहार का अध्याय बहुत ही दर्दनाक है । यह नहीं कि कांग्रेस ने इस पर तवज्जह नहीं दी थी । १९२० में जब नान-को-आपरेशन का ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हो रहा था, उस समय भी कांग्रेस ने इस आशय का प्रस्ताव पास किया था कि आयुर्वेद की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिये । १९३८ में भी उस प्रस्ताव को दोहराया गया ।

श्री काशी राम गुप्त : उस वक्त वह सरकारी कांग्रेस नहीं थी ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : लेकिन १९४६ से ले कर आज तक आयुर्वेद के साथ जो व्यवहार हुआ वह बहुत ही दर्दनाक ही नहीं, शर्मनाक कहा जायगा । उस के साथ विमाता जैसा अर्थात् स्टेप-मदरली ट्रीटमेंट किया गया है ।

आप जानते हैं कि आयुर्वेद के बारे में जितने कमीशन्ज और कमेटीज़ बिठाई गई, उन में केवल आयुर्वेद के विशारद नहीं, बल्कि अंग्रेजी डाक्टर ही केवल रखे गये यह अजीब तममाशा है कि विचार तो करना है आयुर्वेद के सम्बन्ध में, लेकिन उन कमीशन्ज या कमेटीज़ के सभापति या चेयरमैन बनाये जाते हैं एलोपैथी के विद्वान । पहले पहल भोर कमेटी को स्थापित किया गया था । उस ममेटी ने लिखा था कि समय न होने के कारण हम इस विषय में गए नहीं, इस लिये हम इस विषय में कोई रिपोर्ट नहीं कर सकते । इस के बाद चोपड़ा कमेटी आई । उस ने अपनी रीकमेंडेशन्ज दी, जोकि बहुत फार-रीचिंग थीं । उन में इन्टेग्रेटिड कोर्स की चर्चा की गई थी । शायद गवर्नमेंट को उन रोकमेंडेशन्ज को नहीं मानना था, इस लिये एक पंडित कमेटी बिठाई गई । पंडित नाम था एक व्यक्ति का औंप वह भी डाक्टर थे । उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी । जब उस पर भी तसल्ली नहीं हुई, तो दबे कमेटी बिठाई गई । यानी आयुर्वेद के बारे में कमेटियां का एक तांता सा लग गया । चूंकि इस तरफ अधिक तवज्जह नहीं देनी थी, इस लिये केवल कमेटियां बिठाई गईं ।

पहली स्वास्थ्य मंत्री, राजकुमारी अमृतकौर, का यह विश्वास था कि आयुर्वेद तो कोई साइंस ही नहीं है । कई बार उन्होंने अपना यह विचार व्यक्त किया और जब प्रोटेस्ट हुआ, तो उन्होंने उस को वापिस लिया । उन्होंने भी इन्टेग्रेटिड कोर्स की बात कही थी । उस के बाद करमरकर साहब ने भी उसी पद्धति पर चलना शुरू किया ।

इस के अतिरिक्त गवर्नमेंट आफ इंडिया के जो आयुर्वेद के एडवाइजर होते हैं, वे ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिन का एलोपैथी की तरफ ज्यादा और आयुर्वेद की तरफ कम ध्यान होता है । वे ऐसा गोल-माल करना चाहते हैं, जिस से आयुर्वेद की तरक्की न हो । अभी हाल में महाबलेश्वर में एक कांफरेंस हुई, जिस में सब स्टेट्स के मंत्रीगण आये हुए थे । वहां पर यह निश्चय हुआ कि अब इन्टेग्रेटिड कोर्स छोड़ दिया जाये और अब शुद्ध आयुर्वेद पढ़ाया जाये ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सोलह वर्ष तक इन्टेग्रेटिड कोर्स की चर्चा कर के अब उस को छोड़ा जा रहा है। ऐसी स्थिति में आयुर्वेद की तरक्की कैसे हो। सरकार केवल कमीशन्ज और कमेटी बिठाए जा रही है, लेकिन वह उन की सिफारिशों पर अमल नहीं करती है। महाबलेश्वर में यह कहा गया कि चूंकि इन्टेग्रेटिड कोर्स की योजना सफल नहीं हुई, इस लिए केवल शुद्ध आयुर्वेद पढ़ाया जाये। इस का अर्थ तो यह हुआ कि आयुर्वेद के छात्रों और चिकित्सकों को साइंस का ज्ञान न होने दिया जाये। उन्होंने यहां तक फैसला लिया है कि आयुर्वेद के छात्रों और चिकित्सकों को थर्मामीटर टच न करने दिया जाये, थर्मामीटर न छूने दिया जाये, उन को स्टेथोस्कोप न लगाने दिया जाये, नवीन पद्धति के अनुसार जांच करने का उन को कोई अख्त्यार न रह जाये। क्या इस से दर्दनाक या शर्मनाक कोई बात हो सकती है ?

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि साइंस बढ़ रही है। प्रश्न यह है कि क्या साइंस का ज्ञान केवल कुछ लोगों तक सीमित रहना चाहिये या उस की छटा चारों तरफ फैलनी चाहिए। क्या आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले, आयुर्वेद को जानने वाले, पेरियाह या अछूत हैं कि वे इस को प्राप्त न कर सकें ? मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि महाबलेश्वर में उन्होंने जो फैसला लिया है, उस से खराब कोई फैसला नहीं हो सकता है। मैं कहूंगा कि उास फैसले को रद्द किया जाये और आयुर्वेद के इन्टेग्रेटिड कोर्स को समाप्त न किया जाये, जिस से अयुर्वेद वालों को माड्रन साइंस का फायदा मिलता है। आयुर्वेद के साथ व्यवहार कैसा होता है। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रैनिंग आयुर्वेद में दी जाती है और अगर कोई इसको पूरा कर लेता है तो जब वह नौकरी की तलाश में जाता है तो कह दिया जाता है कि आपको नौकरी नहीं दी जा सकती है। लेकिन अगर कोई एम० बी० बी० एस० पास कर लेता है तो उसको बड़ी आसानी से दो सौ, चार सौ या पांच सौ की नौकरी मिल जाती है ऐसी हालत में किस तरह से आयुर्वेदीय पद्धति फल फूल सकती है।

हमारे गोवा के भाई ने कहा कि इस बीच में, पिछले सैंकड़ों वर्षों में आयुर्वेदीय में कोई रिसर्च नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह हो भी कैसे सकता था ? राज्यसत्ता ने कभी कोई प्रश्रय अंग्रेज़ों के ज़माने में इस को नहीं दिया। कई सौ बरसों से इस पर आक्रमण पर आक्रमण होते आये हैं। जिन लोगों का भारत पर राज्य रहा है, उन्होंने इस सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की है। १८२७ में अंग्रेज़ों ने भी एक स्कूल कलकत्ते में पहले पहले आयुर्वेद का खोला था लेकिन वहां पर उन को साइंस पढ़ने नहीं दी, इसलिये उस को बन्द कर देना पड़ा। ऐसी हालत में कैसे यह सिस्टम बढ़ सकता है, कैसे फल फूल सकता है।

मैं माननीय मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं। नार्थ एवेन्यू में या साउथ एवेन्यू में सिद्धान्ततः यह मान लिया गया था कि आयुर्वेदी का एक अस्पताल खोला जाये। अप्रैल में यह तय हुआ लेकिन आज तक मकान ही नहीं मिल सका है कि जिस में अस्पताल खोला जा सके। पैसा ही नहीं दिया गया है। बहुत मुश्किल से जामनगर में एक आल इंडिया रिसर्च नेचर की इंस्टीट्यूट कायम हुई है गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से उस को भी बन्द करने की बात सोची जा रही है। सोचा जा रहा है कि कमेटी के सुपुर्द उस को कर दिया जाये। इस पर सात आठ लाख खर्च होता है और इस का आल इंडिया कारेक्टर है, दूसरे प्रान्तों से भी लोग वहां जा कर पढ़ते हैं। लेकिन उस के कारेक्टर को खराब किया जा रहा है। उस को कहा जा रहा है कि कमेटी के हाथ में सौंप दिया जाये। वह कमेटी किसी एक स्टेट की होगी और उस को स्टेट की यूनिवर्स्टी के साथ जोड़ दिया जायेगा। तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे उस का आल इंडिया कारेक्टर रहेगा, कैसे भारत के अन्य भागों से लड़के वहां जा कर शिक्षा हासिल कर सकेंगे।

बारे में संकल्प

मैं चाहता हूं कि आयुर्वेद के साथ सौते ले बच्चे का सा व्यवहार न किया जाये । इस पर प्रान्तों में कितना पैसा खर्च होता है, इस के आंकड़े कुछ माननीय सदस्यों ने आप के सामने रखे हैं । कहीं पर एक पैसा कहीं दो पैसा और कहीं दस पैसा खर्च होता है । यह शर्मनाक बात है । मेरे पास भी फ़िगर्ज हैं लेकिन मैं देना नहीं चाहता हूं चूंकि समय नहीं है । आप चाहते हैं कि आयुवदी को एलोपेथी के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया जाये । यह भी हो सकता है, यह कोई मुश्किल बात नहीं है । मैं पूछना चाहता हूं कि आप दो चार दस दिन एक आदमी को भर पेट खाने को न दीजिये, और दूसरे आदमी को पूरी सहूलियतें दीजिये, उस को प्रोत्साहन दीजिये तो मुकाबाला कैसे हो सकता है । वे क्या क्या कर के दिखाते हैं । लेकिन यहां पर तो सैंकड़ों बरस से यही होता आ रहा है कि आयुवद की तरफ कम ध्यान दिया जाये, इस को खत्म किया जाये । माडर्न साइंस या आयुर्वेद अच्छी है इसका मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं । मैं आप को अपना निजी अनुभव सुनाना चाहता हूं । मैं तमाम दिल्ली, कलकत्ता इत्यादि में इलाज करा करा कर हार गया लेकिन अच्छा नहीं हुआ । जामनगर में जा कर मैं कुछ दिन रहा, वहां की दवा से अच्छा हो गया । मेरा ग्रांडसन पोलियो की बीमारी से पीड़ित था, तमाम पटना दिल्ली इत्यादि में मैं उस को ले गया, जहां पर कहीं पर उस का इलाज होता है, वहां भी ले गया लेकिन अच्छा नहीं हुआ । जामनगर में जा कर अच्छा हो गया ।

मैं गवर्नमेंट की पालिसी को लेता हूं । हमारे प्रधान मंत्री जी लंका गये थे । उन्होंने वहां पर आयुर्वेद के अस्पताल का उद्घाटन किया । उस वक्त उन्होंने कहा कि माडर्न साइंस का नालेज आयुर्वेद वालों को होना ही चाहिये । मगर यहां पर कहा जाता है कि नहीं, नहीं होना चाहिये । उन को थर्मामीटर नहीं छूने देना चाहिये । उन को स्टेथास्कोप नहीं छूने दी जानी चाहिये । जब आप इस सिस्टम को प्रेफ्रेंस देंगे, उस को माडर्न ज्ञान देंगे, आपको पता चल जायेगा कि आयुर्वेद अच्छा है या खराब है । जो लड़का आयुर्वेद से निकलता है, उस को कुछ एनकरेजमेंट दीजिये । लेकिन आज तो डिसकरेज किया जाता है । आज तो उन को अंधकार में रखा जाता है । संस्कृत विद्या बड़ी अच्छी चीज है, यह सभी कहते हैं । लेकिन इस की पूछ कम हो गई है क्योंकि राज्य की ओर से इस को प्रोत्साहन नहीं मिलता है, जो पढ़ लिख जाते हैं, उन को वेतन कम मिलता है और इन सब कारणों से इस को कोई नहीं पढ़ता । मैं आपसे कहूंगा कि आप इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें, सहानुभूतिपूर्वक विचार करें । अगर आप ने ऐसा किया तो आयुर्वेद को प्रोत्साहन मिल सकता है, इस को इस का उचित स्थान दिलाने में सहायता मिल सकती है ।

†**श्री ब० कु० दास** (कन्टई) : निःसन्देह सरकार ने सदैव इस आशय का आश्वासन दिया है कि वह आयुर्वेद के लिये बहुत कुछ करेगी तथापि अभी तक कोई ठोस कार्य नहीं किया है । वस्तुतः चौपड़ा समिति ने यह सुझाव दिया था कि एकीकृत प्रणाली की शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी तथापि केन्द्रीय परिषद् ने अभी हाल यह निश्चय किया है कि इस के स्थान पर शुद्ध आयुवद को ही लिया जायेगा ।

अभी तक केवल जामनगर में एक अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई है । जहां से अभी तक केवल ७० विद्यार्थी निकले हैं । वस्तुतः मौखिक सहानुभूति के अतिरिक्त पिछले १५ वर्षों में कुछ नहीं किया गया है ।

आयुर्वेद और उस की प्रेक्टिस करने वालों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है । इसलिये इस चिकित्सा प्रणाली की ओर योग्य व्यक्ति आकृष्ट नहीं होते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): सभापति महोदय, आखीर में डिप्टी मिनिस्टर साहब जवाब देंगे, मगर आप की आज्ञा से मैं दो चार शब्द इस समय कहना चाहती हूं क्योंकि सवा पांच बजे मुझे एक कमेटी में जाना है । मैं दो तीन बातों की तरफ आप का ध्यान दिलाना उचित समझती हूं ।

पहली बात तो यह है कि अगर हमें सत्य की तलाश करनी है तो सत्य की तलाश बुद्धि से ,गा भावना से नहीं ।

एक माननीय सदस्य : दोनों से होगी ।

डा० सुशीला नायर: सत्य की तलाश कभी भावाना से नहीं होती है, ज्ञान की तलाश कभी भावना से नहीं होती है, ज्ञान की तलाश हमेशा बुद्धि से होती है ।

श्री बागड़ी : भावना के बगैर बुद्धि बनती ही नहीं । पहले भावना बनती है फिर तलाश बनती है ।

डा० सुशीला नायर : ज्ञान आज तक किसी ने भावना से खोजा ही नहीं है । ज्ञान की खोज हमेशा बुद्धि से होती है और बुद्धि से होगी । अगर ज्ञान की शोध में भावना को प्रधान स्थान दिया जायेगा तो ज्ञान का लोप हो जायेगा और भावना उस का स्थान ले लेगी । यह पहली बात है ।

अब मैं दूसरी बात कहना चाहती हूं । हम लोग तो यथाशक्ति आयुर्वेद की शोध करने की कोशिश कर रहे हैं । अगर वह हम को उपयोगी ज्ञान आयुर्वेद से मिल सकता है या किसी भी और तरीके से ,तो हम उसे लेना चाहते हैं । क्या यह हम को अच्छा नहीं लगता कि हम सारी दुनियां के अन्दर सिर ऊंचा कर के कहें कि हमारे बुजुर्गों ने यह शोधें की थीं ?

अभी जो यहां पर आप्थैलमालोजी की कांग्रेस हुई थी उस में सारी दुनिया के लोग इकट्ठे हुए थे । हम ने वहां जरूर यह कहा कि सुश्रुत के जमाने में लोग आंख के लेंस को सुई डाल कर फोड़ दिया करते थे । उस के बाद सर्जरी बढ़ी, नये तरीके निकले । अब लेंस निकाल दिया जाता है । सुश्रुत के जमाने में जब लेंस फोड़ दिया करते थे तब १०० में से ६६ आंखें चली जातीं थीं और एक ठीक हो जाती थी भाग्यवश । लेकिन नई सर्जरी के द्वारा ६६ आंखें ठीक हो जाती हैं और एक आध दुर्भाग्यवश खराब भी हो जाती हैं ।

इसलिये मैं यह कहना चाहती हूं कि हम में से किसी का यह ध्येय नहीं है कि हम यह कहें कि आयुर्वेद में कुछ नहीं है या किसी और तरीके में बहुत कुछ पड़ा है । कहने का अर्थ यह है कि अव्वल तो ऐलोपैथिक कोई चीज नहीं है । यह जो नाम दिया गया है और उस के सम्बन्ध में रेजोल्यूशन रक्खा गया है, उस की भाषा भ्रम पैदा करती है । जैसा अभी हमारे भाई डा० गायतोंडे ने बतलाया, डा० हैनिमन जोकि होमियोपैथिक सिस्टम के जन्मदाता थे, उन्हों ने यह शब्द एलोपैथिक निकाला । उससे पहले ऐलोपैथिक नाम ही नहीं था । डा० हैनिमन ने बतलाया कि समान असर पैदा करने वाली दवा से जिस रोग का निराकरण होता है उस को होमियोपैथिक प्रिंसिपल कहते हैं और विरोधी असर पैदा करने वाली दवा से जो दर्द ठीक होता है, मर्ज ठीक होता है, उस को ऐलोपैथिक प्रिंसिपल कहते हैं । जैसे जैसे समय जाता है हर एक क्षेत्र में विकास होता है । इस तरह से शरीर चिकित्सा का भी विकास हुआ ।

†**श्री बाल कृष्ण** (कोयलपट्टी) : मेरा निवेदन है कि स्वास्थ्य मंत्री अंग्रेजी में बोलें ताकि हम समझ सकें ।

---

†मल अंग्रेजी में

डा० सुशीला नायर : बहुत से सदस्य हिन्दी में बोले हैं । और यह विषय भी ऐसा है कि हिन्दी में अच्छा बोला जा सकता है। मैं उन्हें बाद में समझा दूंगी। मैं निवेदन कर रही थी कि शरीर चिकित्सा का भी सारे विज्ञान के साथ विकास हुआ । उस विकास में सामान्य साइंस के विकास का बहुत बड़ा हाथ रहा । मिसाल के तौर पर कोई आदमी शीशे को ले कर रगड़ता रहा, रगड़ता रहा । सारी जिन्दगी उस ने उस लेंस को रगड़ने में लगा दी । नतीजा यह हुआ कि माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ और माइक्रोस्कोप का आविष्कार होने से जो चीजें हम कभी नहीं देख सकते थे, मर्ज के जन्तु आदि, उन को हम देखने लगे । खाली नब्ज़ देख कर निदान करने की जगह पर नये निदान के तरीके हाथ में आ गये । रक्त बिन्दु हम उस शीशे के नीचे देखने लगे, पाखाने का जरा सा टुकड़ा उस के नीचे देखने लगे और पेशाब भी उसी तरह से देखने लगे । सब प्रकार की बीमारियों का निदान करने के लिये परीक्षण के यह नये साधन हमारे हाथ में आ गये और निदान के नये रास्ते बन गये । उससे पहले शरीर चिकित्सा के लिये निदान के तरीके में सभी जगह निरीक्षण करने, नब्ज़ देखने या छाती वाती टटोलने, पेट टटोलने के तरीके थे। दूसरे तरीके नहीं थे। आप ने सुना ही होगा जो ग्रीस में थ्री ह्यूमर्स या ४ ह्यूमर्स कहे जाते थे, मैं ठीक संख्या भूल गई हूं, उस तरह से हमारे यहां त्रिदोष थे । त्रिदोष में महानता है । वह ग्रीक ह्यूमर्स की निस्बत ज्यादा व्यापक व्याख्या है। मैं यह मानती हूं कि वह विज्ञान ज्यादा बढ़ा हुआ था । लेकिन जिस तरह से विज्ञान में बढ़ोतरी होती गई उसी तरह से चिकित्सा के तरीकों में बढ़ोतरी होती गई ।

मैंने आप से लेंस की बात कही । अब जरा आगे चलिये तो एक जमाना आया, अगर हम बीच के समय को छोड़ दें तो वह आज का युग हुआ, और ऐटम को फोड़ने का तरीका निकला । ऐटम फोड़ने के तरीके से एक नई चीज हमारे हाथ में आ गई, जिस को आइसोटोप्स कहते हैं । वह आइसोटोप्स आज बड़ी अदभुत चीज बन गई है। आइसोटोप्स को जोड़ देते हैं शरीर के अन्दर जो अनेक अणु परमाणु होते हैं, उन के साथ और उन के शरीर के भीतर मालिक्यूल्स वगैरह के साथ बांध कर देखा जाता है कि कैल्शियम कहां जाता है, सोडियम कहां जाता है, आइरन कहां जाता है इत्यादि । यह तस्वीर सामने आ गई जोकि इतनी अद्भुत चीज है । आज हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहां से चल कर शरीर में कहां जाती है और उस का क्या बनता है । साइंस के आविष्कारों के साथ साथ हम आगे बढ़े । क्यूरिज जो थे उन्हों ने रेडियम का आविष्कार किया जिस से कि एक्सरे का आविष्कार हुआ । मान लीजिये किसी की हड्डी टूट गई । पहले जो हज्जाम होता था या कोई और होता था, जिस को बोन सेटर कहा जाता था, वह टटोल कर देखता था कि हड्डी ठीक जगह आ गई है या नहीं लेकिन अब एक्सरे से देख लिया जाता है कि हड्डी ठीक ठीक अपनी जगह पर आ गई है या नहीं ।

विज्ञान के विकास के साथ साथ निदान का और चिकित्सा का विकास होता गया । इसलिए नई नई चीज़े दाखिल होती गयीं और उन नई चीज़ों के दाखिल होने के कारण आज हमारे सामने यह माडर्न सिस्टन आफ़ मैडीसन मौजूद है ।

हम ने सोचा कि हमारे पुराने खज़ाने में क्या क्या बढ़िया रत्न पड़े हुए हैं, हम उन्हें तलाश करके देखें तो सही । उनको तलाश करने के लिए यहां पर कुछ साल पहले फ़ैसला हुआ कि आयुर्वेद के कालिज वग़ैरह खोले जाएं । प्लानिंग कमीशन ने एक पैनल बनाया । मैं भी उस पैनल में थी। हम ने सोचा कि अगर लड़कों और लड़कियों को आधुनिक साइंस का कुछ ज्ञान होगा तो वे आयुर्वेद के रत्नों को ज्यादा अच्छी तरह से बाहर ला सकेंगे और दुनियां के सामने रख सकेंगे । इसलिए उनको कुछ एनाटमी और कुछ फीजियालाज़ी सिखाकर फिर उन को आयुर्वेद सिखाना चाहिये यह फ़ैसला हुआ । इंटीग्रेटेड नाम किसी ने नहीं दिया । चोपरा ने यह कहा था कि जब सारी

साइंसेज इक्कट्ठी होंगी तो एक इंट्रीग्रेटेड सिस्टम बनेगा। लेकिन इस वक्त तो हम को आयुवद में जो अच्छाइयां हैं उनको बाहर निकालना है। इसलिये हम चाहते हैं कि उसके ऊपर लड़के कांसेंट्रेट करें। पहले थोड़ा अनाटमी और फीजियालाजी का ज्ञान दे कर आयुर्वेद सिखाने का तरीका इस्तैमाल किया गया। नतीजा यह हुआ कि वह लड़के आज कहते हैं कि हमको ८० फ़ीसदी ऐलोपैथी सिखायी गयी और २० प्रतिशत आयुर्वेद सिखाया गया। हम तो बिल्कुल माडर्न डाकटर हैं, कंडेंस्ड कोर्स वग़ैरा करवा कर हमको एम० बी० बी० एस० करवा दीजिए और दूसरे तरीके से हमको इसके लिए रिकागनाइज़ कीजिए।

इस परिणाम को देख कर जो आयुर्वेद के भक्त थे उन्होंने ज़ोर की आवाज़ उठाई कि यह तरीका गलत है। यही शंका उन्होंने जब हमने आयुर्वेद की शिक्षा देना शुरू किया था उस समय भी उठाई थी, लेकिन सब ने समझा कि यह शंका ठीक नहीं है, यह बेबुनियाद है। ऐसा सामान कर हमने उस तरीके को चलाया था। जब यह तरीका दस, बारह, चौदह साल चला और उसका ऐसा उलटा परिणाम निकला तो हैल्थ सर्वे कमेटी, लक्ष्मणस्वामी मुदालियार कमेटी बनायी गयी, उसके सामने कई लोग पेश हुए और उन्होंने कहा कि आपने जो तरीका अख्तियार किया है जिससे आयुवद तो समाप्त हो जायेगा। ऐसा आप को नहीं करना चाहिये। आयुर्वेद सर्वे कमेटी ने उनके दृष्टि बिन्दु को स्वीकार किया।

हैल्थ मिनिस्ट्री ने ही यह मुदालियर कमेटी बिठाई थी। हमारे पास जो अफ़सर हैं डाइरेक्टोरेट आफ़ हैल्थ में उनमें आयुर्वेद के बड़े पंडित हैं जो हमारा इस विषय में मार्ग दर्शन करते हैं।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपाल गंज) : इस सर्वे कमेटी में कौन कौन सदस्य थे ?

एक माननीय सदस्य : ज्यादातर ऐलोपैथी वाले।

डा० सुशीला नायर : मैं वह बता कर सदन का समय नहीं लेना चाहती, आप उसके लिए किताब देख लीजिए।

तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती थी कि उसके बाद फिर कुछ ऐसा विचार कि चलो वही पुराना तरीका जो पहले थोड़ी सी सायंस सिखाकर चलाया जाता था अच्छा था, उसी को आगे चलाया जाए। इस बार जो आयुर्वेद के खास भक्त लोग थे उन्होंने बहुत ज़ोर से फिर आवाज उठायी और प्लानिंग कमीशन ने, नन्दा जी ने, एक बड़ा पैनल बुलाया, सारे हिन्दुस्तान के जो आयुर्वेद के बड़े बड़े पंडित और विशेषज्ञ हैं वे सारे के सारे उसमें आए और उनकी बड़ी मीटिंग हुई और बड़ा चर्चा हुआ। उन लोगों ने फैसला दिया कि अगर आयुर्वेद सिखाना है और अगर आयुवद के रत्नों को निकालना है तो आयुर्वेद में लड़कों को श्रद्धा होनी चाहिए। इस श्रद्धा के लिए ज़रूरी यह है कि उनको माडर्न मैडिसिन का कोई विषय न सिखाया जाए, उसकी तरफ़ उनकी बिल्कुल तवज्जह न दिलायी जाए, वे एक मन से, एक मत हो कर आयुर्वेद की साधना करें। फिर उन्होंने यह भी बताया कि उनकी उम्र इतनी हो, उनकी संस्कृत की इतनी शिक्षा हो, और मैट्रिकुलेशन या हायर सैकिंडरी तक उनकी शिक्षा होनी चाहिये, और जब से आयुर्वेद आर्य हो जाएं उसके बाद अगर चाहें तो उनको एलोपैथी की बातें सिखायी जाएं, उसके पहले ऐसा न किया जाए। यह उनका मत था और सैंट्रल हैल्थ काउंसिल ने भी उसको स्वीकार किया और इस दृष्टि से स्वीकार किया कि इसी तरह से आयुर्वेद की भलाई हो।

तो आप देखेंगे कि यह एक अजीब चीज़ है। अगर लड़को को पहले माडर्न सायंस सिखा कर आयुर्वेद सिखाया तो आरोप लगाया गया कि आयुर्वेद को सरकार मार डालना चाहती है, सरकार गलती कर रही है। अब उनके कहने पर उसको बदला जा रहा है तो कहते हैं सरकार आयुर्वेद को मार डालना चाहती है, वह ग़लती कर रही है। इस पर मुझे एक किस्सा याद आता है। एक बार शिव जी पार्वती जी के साथ कहीं जा रहे थे उनके साथ नन्दी बैल भी था। शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि इस पर तुम बैठ जाओ मैं साथ साथ चलता हूं। पार्वती जी बैठ गयीं। आगे जाने पर किसी साहब ने कहा कि देखो यह छोकरी तो ऊपर बैठी है और इस बुजुर्ग को चलना पड़ रहा है। पार्वती जी उतर गयीं और शिव जी से उस पर बैठ ने का आग्रह किया। आगे कुछ लोगों ने कहा कि देखो इस बूढ़े को शर्म नहीं आती, कि दुलहन तो पैदल चल रही है और यह बैल पर बैठा जा रहा है। इस पर शिव जी ने कहा कि चलो हम दौनों इस पर बैठ जाएं और वे दोनों बैल पर बैठ गए। आगे जाने पर किसी ने कहा कि मालूम पड़ता है कि बेगार का बैल है इसी लिए दोनों इस पर बैठे हैं। तो वही चीज़ यहां हो रही है। हम जो भी करते हैं उसके लिए कहा जाता है कि तुम ग़लत कर रहे हो। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। मैं ने श्री गलज़ारी लाल नन्दा से कहा कि जो आप कहें हम करने को तैयार हैं। मैं तो आधुनिक ढंग की डाक्टर हूं, मैं जो भी करती हूं उसमें लोगों को शंका हो सकती है। आप कहें वह किया जाए। जहां तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं तो सायंस की पुजारन हूं और ज्ञान की शोध करना चाहती हूं। और आयुर्वेद में या और जगह जो भी अच्छाई हो उसको ले कर समाज की सेवा करना चाहती हूं।

हमारे तिवारी जी ने जाम नगर के इंस्टीट्यूट के बारे में टीका की सिर्च होती है। वहां पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ चलते हैं और अंडर ग्रेजुएट क्लासेज़ भी चलते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हैं और अंडर ग्रेजुएट क्लास राज्य सरकर के अधीन हैं। हम रिसर्च भी कर रहे थे। हमारे पास ज़ोरों से मांग आई वहां के लोगों की, उनमें हमारे मुरारजी भाई भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग अपने हाथ में पोस्टग्रेजुएट शिक्षा रिसर्च को रखते हो तो आयुर्वेद का ठीक विकास नहीं हो सकता। अंडर ग्रेजुएट कलासों को पोस्ट ग्रेजुएट क्लासों को और रिसर्च तीनों को इकट्ठा कर दो। अब तीनों को इकट्ठा करें तो यह काम गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के नीचे नहीं हो सकता क्योंकि अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है। तब सब ने यह फ़ैसला किया कि इसके लिए एक इनडिपेंडेंट गवर्निग बाडी बना दी जाए और उस में ऐसे लोगों को रखा जाए जो आयुर्वेद में श्रद्धा रखते हों, जिनको उसमें विश्वास हो, और जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं वह खर्च किया जाता रहे। इस प्रकार अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन को और रिसर्च को इकट्ठा किया जाए तो आयुर्वेद का विकस हो सकता है यह फ़ैसला स्वीकार किया गया।

मेरा तो यही निवेदन है कि जैसे भी हो सके हम आयुर्वेद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आखिर में जिस तरह भी हो हमारा उद्देश्य मनुष्य की सेवा करना है, समाज की सेवा करना है और उस सेवा के लिए हमको जहां से भी जो कुछ मिल सकता है उसको हम इस्तेमाल करना चाहते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करती हूं कि हमारे भाई यशपाल सिंह जी अपने प्रस्ताव को और दूसरे भाई अमेन्डमेंट्स को वापस ले लेंगे और इस चर्चा से हमको जितना लाभ मिल सकेगा वह हम लेने का प्रैयत्न करेंगे।

श्री द्वा० ना० तिवारी : महालेश्वर कानफ्रेंस का क्या फैसला हुआ ?

डा० सुशीला नायर : कानफ्रेंस ने पैनल का फैसला स्वीकार किया और शुद्ध आयुर्वेद को स्वीकार किया ।

†**श्री खाडिलकर** (खेड) : डा० गायटोंडे ने शुरू में जो कुछ कहा था, मैं उस से पूर्णतया सहमत हूं । हमें सब चिकित्सा प्रणालियों के सम्बन्ध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है । इस समय सारी चिकित्सा प्रणालियां अपूर्ण हैं किन्तु प्रत्येक की कुछ न कुछ अच्छाईयां है ।

मेरा निवेदन है कि हमारी सरकारी चिकित्सा सम्बन्धी नीति से काफ़ी देर से खिलवाड़ कर रही है । पहले एक मिला जुला पाठ्यक्रम था, जिस में एलोपैथी, आयुर्वेद और यूनानी एक साथ पढ़ाया जाता था । प्रत्येक प्रणाली की यह कोशिश होती थी कि दूसरों की अच्छी बातों को ग्रहण करे । किन्तु अब महाबलेश्वर सम्मेलन के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यह मिला जुला पाठ्यक्रम न आयुर्वेद के लिए अच्छा है और न एलोपैथी के लिए और इनको अलग करना चाहिये । अनुसंधान के लिए अच्छी अच्छी संस्थाएं खोली गयी थीं । एक ऐसी संस्था जामनगर में थी । अब इसे ऐसे व्यक्तियों के हाथ में दिया गया है जिनको आधुनिक चिकित्सा का कोई ज्ञान नहीं ।

इस लिए मेरी सरकार से अपील है कि सरकार को इन प्रणालियों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिये ।

मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से अपील करूंगा कि जब नई पीढ़ी को शिक्षा दी जाए, तो वैज्ञानिक तरीके से दी जाय, चाहे प्रणाली आयुवदिक हो या एलोपैथी हो या कोई और हो । मेरा निवेदन है कि महाबलेश्वर में जो निर्णय किये गये थे, उन पर पुराने अनुमानों के प्रकाश में पुनर्विचार किया जाना चाहिये और चिकित्सा प्रणालियों के सम्बन्ध में तर्क करते समय किसी हठधर्मी से काम नहीं लेना चाहिये ।

श्री बिशनचन्द्र सेठ (एटा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वहुत थोड़ी सी बातें निवेदन करना चाहता हूं, मगर उन का बड़ा मूल्य है । यह ठीक है कि अंग्रेज़ के समय में हमारी भारतीय औषधियों को बराबर का दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन वास्तव में यह हमारे देश का आज बड़ा दुर्भाग्य है कि स्वराज्य मिलने के बाद भी विलायती औषधी के लिए तो बड़ा स्थान है, लेकिन देशी औषधि के लिए कोई स्थान नहीं ।

मैं एक मिनट में आप को अपना केस सुनाना चाहता हूं । मैं बीमार हो गया और इस सम्बन्ध में मैं कलकत्ता, बम्बई और पता नहीं कहां कहां गया । जब घर आया, तो वैद्य जी ने मुझे बताया कि तुम लहसन का एक जवा सुवह के समय पीस कर खा लिया करो । मैं आप को बताना चाहता हूं कि मैं छह वर्ष से रोज़ उस को खाता हूं और आज तक मुझे लो ब्लड प्रैसर की कोई भी बीमारी नहीं हुई ।

श्री दी० चं० शर्मा : बड़ा अफ़सोस है ।

श्री बिशनचन्द्र सेठ: मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जो जानवर या परिन्दा सृष्टि ने पैदा किया है, भगवान ने उसी जगह उस का खाना और दवाइयां आदि पैदा की हैं । इसी आधार पर आयुर्वेद की औषधियां हमारे देश की जल वायु के अनुकूल हैं । इस के बावजूद आज इस बात पर डिस्कशन हो रहा है कि हमारे लिए वे औषधियां उपयुक्त हैं या विदेशी एलोपैथिक औषधियां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : यह तो नहीं हो सकता कि हर एक के लिए लहसन ऐसे ही मुफ़ीद हो।

श्री बिशन चन्द्र सेठ: मैं यह नहीं गुज़ारिश कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : जैसे शर्मा जी को लहसन माफ़िक़ नहीं आयगा।

श्री बिशन चन्द्र सेठ : हो सकता है।

हमारे देश के लिए यह एक दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग इन बातों को तय करने वाले हैं, उन के दिमाग़ में विलायती दवायें और विलायती विचार भरे हुए हैं। उन को यह सुहाता नहीं है कि देश की भावना के सम्बन्ध की बातों को उसी तरह से सोचें, जिस तरह कि जनतंत्र शासन में उन्हें सोचना चाहिये।

आप देखिए कि आज एक वैद्य को अपना कोर्स पूरा करने में, अपनी शिक्षा पूरी करने में, कितने वर्ष लगते हैं और कितने वर्ष एक डाक्टर को लगते हैं। इस अवस्था में इस बात का कोई कारण नहीं है कि जब सर्विसिज़ में वैद्य और डाक्टर को लिया जाता है, तो डाक्टर के लिए तो बहुत बड़ा स्थान होता है, परन्तु वैद्य के लिए कोई स्थान ही नहीं। जब गवर्नमेंट की तरफ़ से आयुर्वेद को किसी तरह का कोई एनकरेजमेंट नहीं दिया जाता है, न तो सर्विसिज़ में और न साइंटिफिक नालेज को डेवलप करने के लिए, तो मैं सोच नहीं सकता कि कैसे इस प्रकार की बातें कही जाती हैं कि आज की साइंस ने अनेक प्रकार का डेवलपमेंट किया है। सरकार को भारतीय चिकित्सा पद्धति को विकास और उन्नति करने की सब सुविधायें देनी चाहिए।

अगर कोई इस बारे में उपमा पूछना चाहता है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आज सरकार खद्दर किस हिसाब से चला रही है, खद्दर चलाने की कौनसी तुक है। जब हम अंग्रेज़ से लड़ रहे थे, तो हमने उस के जवाब में खद्दर को चलाया था। आज वह बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। बिला शक वह शुबहा अनसाइंटिफिक है। आप उस पर करोड़ों रुपया वार्षिक व्यय कर रहे हैं। उसका कोई लाभ नहीं निकल रहा है। मगर चूंकि आपने माना हुआ है कि खद्दर पहनना बहुत जरूरी है, इस वास्ते इसको आप चलाय हुए हैं। चूंकि आज तक जो भी मन्त्री महोदय रहे हैं या मन्त्री महोदया रही हैं, वे सभी विलायती दवाओं के सम्बन्ध के उपासक थे, उनके सम्बन्ध में ज्ञान रखते थे, लिहाज़ा उन्होंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारे देश में खद्दर चल सकता है जिसमें करोड़ों रुपये की हर साल हानि हो रही है, मगर वह चीज़ जो कि हमारी जलवायु के अनुकूल है, जिसका स्थान सब के हृदय में है, नहीं चल सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो वैद्य हैं और जो डाक्टर हैं, उन दोनों को एक सा स्टेट्स मिलना चाहिये, और उसी प्रकार की मान मर्यादा वैद्य को भी मिलनी चाहिए जिस प्रकार की एलोपैथी के डाक्टर को मिलती है। जिस तरह से आप आज विलायती औषधियों पर खर्च करते हैं, जिस तरह से उसके रिसर्च पर खर्च करते हैं, उसी तरह से आपका यह भी नैतिक कर्तव्य है कि अगर एक करोड़ रुपया खर्च किया जाता है तो पचास लाख आयुर्वेद पर खर्च हो और पचास लाख एलोपैथी पर। ऐसा अगर किया जाता है तब भी सब्र हो सकता है। लेकिन आज तो मुल्क के विभिन्न राज्यों में कहीं पर आधा पैसा कहीं पर एक पैसा और कहीं पर दो पैसा प्रतिमानव शासकीय खर्च होता है।

एक विरोध की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसको सुन कर मुझे ताज्जुब होता है परन्तु मैं आदर के साथ कहना चाहता हूं कि जो वैद्य आज निकल रहे हैं, वे जो भी हों, लेकिन न वैद्य हैं और न ही डाक्टर। बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी से जो वैद्य निकलते हैं, उनको अगर वैद्य जी

[श्री बिशन चंद्रसेठ]

कहा जाता है तो उनके कानों को बुरा लगता है और अगर उनको डाक्टर जी कह दिया जाता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि केवल वैद्य पढ़ कर निकलें, मेहनत के साथ अध्ययन कार्य करें, सच्चाई के साथ पढ़ें, अपने विषय के ज्ञाता हों और अगर ऐसा होता है तभी वैद्यक का जो कार्यक्रम होना चाहिए वह पूरा हो सकेगा।

अन्त में मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि वैद्यों को भी आप मान्यता प्रदान करें और जितना धन एलोपैथी पर खर्च करते हैं, उतना ही धन आयुर्वेदी पर भी खर्च करें और जो मान मर्यादा डाक्टरों की है, वही मान मर्यादा वैद्यों की भी होनी चाहिये।

श्रीमती लक्ष्मीबाई (विकाराबाद) : अध्यक्ष महोदय, अभी तक एक बहिन को भी बोलने का अवसर नहीं दिया गया है।

श्री बागड़ी : मैं भी यहां पर बैठा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी जगह पर नहीं हैं, यहां से नहीं बुला सकता हूं।

श्री बागड़ी : मैं अपनी जगह पर चला जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इकरार नहीं है कि अपनी जगह पर जायेंगे तो जरूर बुला लिये जायेंगे।

श्री बागड़ी : पचास परसेंट इकरार तो आप कर ही चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्रीहनुमन्तैय्या।

†**श्री हनुमन्तैय्या** (बंगलौर नगर): जहां तक आयुर्वेद का सम्बन्ध है, इसे सब लोगों का समर्थन प्राप्त है। प्रश्न यह है कि इस लोकप्रियता को कैसे कार्यरूप में परिणित किया जाये। मैं किसी वाद-विवाद में न पड़ कर कुछ तथ्य और सुझाव देना चाहता हूं।

हमारा देश गरीब देश है। यदि केवल एलोपैथिक प्रणाली ही प्रचलित हो, तो किसानों आदि को अपने गांव से कई मील दूर जिला मुख्यालय में जाना पड़ता है, अतः हम लोगों को जो कि कांग्रेस में हैं और जो दस्तकारी और ग्रामोद्योगों के पक्ष में हैं उनको इस देशी प्रणाली का समर्थन करना चाहिये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

मैं यह नहीं कहता कि सरकार चिकित्सा की आयुर्वेदिक प्रणाली को प्रोत्साहन नहीं दे रही। यह इस सम्बन्ध में भरसक प्रयत्न कर रही है किन्तु और भी अधिक प्रयत्न किया जाना चाहिए।

आयुर्वेद को एलोपैथिक डाक्टरों के प्रशासकीय नियन्त्रण के अधीन न रखा जाये। इसका प्रबन्ध ऐसे लोगों द्वारा चलाया जाना चाहिये जिनको इस प्रणाली में विश्वास है।

आयुर्वेद के सम्बन्ध में एक संविधिक परिषद् की स्थापना की जानी चाहिये। जो भारतीय डाक्टरी परिषद् की लाइनों पर हो ताकि वह आयुर्वेद से सम्बन्धित सभी मामलों का प्रशासन कार्य चला सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयुर्वेद चिकित्सकों के वेतन तथा प्रतिष्ठा को एलोपैथिक डाक्टरों के तुल्य बनाया जाये। आयुवदिक अस्पतालों में अध्यापकों, प्रोफेसरों और डाक्टरों के वेतन दर्जा आदि एलोपैथिक डाक्टरों के बराबर होना चाहिये। माननीय मन्त्री और उपमन्त्री को आयुर्वेदिक प्रणाली से सम्बन्ध छोड़कर उसके लिए एक अलग स्वायत्त परिषद् स्थापित कर देना चाहिये।

श्री रा० शि० पांडेय (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव हमारे मित्र श्री यशपाल सिंह ने रखा है उसका समर्थन करने में मुझको थोड़ा संकोच तो जरूर होगा क्योंकि अन्त में वे इसको वापस ले लेंगे।

श्री यशपाल सिंह : नहीं, नहीं। वापस लेने का कोई सवाल नहीं है। रामो द्विर्नविभाषिते। हम राम के वंशज हैं, इसलिये इसको वापस नहीं लेंगे।

श्री रा० शि० पांडेय : आयुर्वेद पद्धति और प्रणाली में हमारे यहां किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं और हम बड़ी आस्था के साथ, बड़े विश्वास के साथ उन पुराने दिनों की कल्पना कर सकते हैं जिन दिनों हमारे ऋषियों ने हिमालय की कन्दराओं में, वहां की चोटियों में जाकर, पर्वत मालाओं में घूम कर हमारे शरीर की रक्षा के लिये औषधियों का निर्माण करने में किन किन पदार्थों की, जड़ी और बूटियों की आवश्यकता थी, इसकी खोज की। आज स्मरण होता है उनकी इस तपस्या का।

यहां पर यह प्रश्न नहीं है कि आयुर्वेद महान् है या एलोपैथिक सिस्टम महान् है। महान् तो है हमारा देश और महान् है हमारी संस्कृति, जिसके पीछे हमारी बड़ी भारी सनातन अनुभतियां हैं, जिसके पीछे हमारी पद्धति और, आस्थायें हैं, विश्वास और श्रद्धा है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका निर्णय होना चाहिये। शरीर को रक्षा की कल्पना हमारे ऋषियों ने की। समय और काल के अनुसार हम पराधीन हुए, हमारी पद्धतियां भी बदलीं, लेकिन जब आज हम स्वतन्त्र हैं तो हम यह चाहते हैं कि इस स्वतन्त्र वातावरण में एक बार फिर हम उन ग्रन्थों के पन्नों को पलटें जो बन्द हैं। चाहे वह आचार्यों के द्वारा खोले जायें चाहे विद्वानों और संसद् के द्वारा या चाहे वे वैद्यों और डाक्टरों के द्वारा खोले जायें, लेकिन इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि एक बार फिर हम उन ग्रन्थों को देखें जिनमें मनुष्य मात्र की रक्षा की अनुभूतियां छिपी हुई हैं। उस पद्धति में मां की घुट्टी से लेकर मृत्यु के समय गंगा जल की दो बूंदें डालने के समय के बीच में--"राम राम सत्य" से पहले गंगा जल की दो बूंदें डाली जाती हैं—आयुर्वेद खड़ा होकर रक्षा का आन्दोलन करता है और आह्वान करता है कि हम तुम्हारी रक्षा के लिये खड़े हैं।

प्रश्न यह हैं कि पिछले समय में हमारे यहां जो यह औषधियां थीं, चाहे वह आरिष्टादिक हों, चाहे रसायनादिक हों या भस्मादिक हों, उन को हम ने पीछे छोड़ दिया और जैसे कि रेडीमेड माइन्ड होता है, यानी आज किसी चीज की आवश्यकता हैं तो वह आज ही मिले, इस मनोवृत्ति से बाजार में जाते हैं जहां पर रेडीमेड चीज मिलतीहैं। तुरन्त दर्द हुआ, कष्ट हुआ तो हम किसी फार्मेसी में गये और कोई दवा ले ली, ऐसी बात चलती है। क्या ही अच्छा हो कि हम इस स्वतन्त्र वातावरण में एक बार फिर ऐसा असर पैदा करें कि जो बीमार हो, जो दुखा हो वह भी एक बार सोचे कि हमारे यहां कौन सा ऐसा औषधि का भंडार हो सकता है जहां हमारे शरीर की परीक्षा हो, वातावरण की परीक्षा हो, जिस वातावरण में हमें कष्ट हुआ है और पूरा पूरा निदान मिल सके ? जितनी रेडीमेड क्विक मेडिसिन्स हैं,क्विक इलाज हैं, क्विक रेमेडीज हैं, उन के पीछे जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, अगर आप उस पृष्ठभूमि को देखें तो मालूम होगा कि जिस औषधि के माध्यम से तुरन्त लाभ होगा उस का असर शरीर पर बुरा पड़ेगा, और वह इसलिए कि जितनी ऐन्टीबायोटिक मेडिसिन्स हैं, वे जहर से बनाई जाती हैं। मैंने हाफकिन्स इन्स्टिट्यूट में देखा है कि स्नेक प्वायजन इकट्ठा कर के मेडिसिन बनाई जाती है, यह दूसरी बात है, लेकिन

[श्री रा० शि० पांडेय]

माडर्न प्रासेस यह है कि तुरन्त दवा लो और तुरन्त अच्छे हो जाओ, मरीज प्रसन्न हो कर चला जाय । अगर उस के पीछे अनुसन्धान हो कि क्यों कष्ट हुआ, कैसे कष्ट हुआ और उस का निवारण कैसे हो, तो उस पद्धति का आधार आयुर्वेद है । जिस की प्रोफाउन्टि यह है कि हम एकबार देखें कि मनुष्य को स्वस्थ करने में, उस के जीवन को दीर्घकालीन बनाने में हम कौन सी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं, उस का नाम आयुर्वेद है ।

हमारा देश गरीब है । आपने एक फारेन इम्पोर्टेड प्रणाली को आगे रख लिया । बड़ी बड़ी दवायें मिल सकती हैं बड़े बड़े नगरों में, लेकिन घोड़ी पर चढ़ कर जाने वाला वैद्य गांवों तक पहुंच पाता है, डाक्टर नहीं पहुंच पाते । अगर आपने इस ऐलोपैथिक सिस्टम को लिया है, ऐलोपैथिक डाक्टरों को आप ने मंजूर किया है तो सब से पहले आप को कहना चाहिए कि डाक्टर गांवों में जायें । वह गांवों में जा कर काम करें लेकिन आज, तो वही घोड़ी पर चढ़ा हुआ वैद्य टकटकाता हुआ दस मील जाता है, आश्वासन देता है सम्वेदनशीलता का भाव प्रकट करता है और औषधि देता है, चाहे रोगी मरें या जियें ।मैं समझता हूं कि जीते भी हैं । मैं समझता हूं कि जबहम इस प्रणाली पर विचार करें तो देश के करोड़ों अकिंचनों का एक चित्र सामने रखें, उन करोड़ों माताओं के चित्र भी सामने रखें जो अपने बेटे को रोंता हुआ देखकेर बुट्टी में चार, पांच चीजें मिला कर दे ती हैं । साथ ही यह भी ध्यबेन रखे कि हमारे देहात के आदमी गरीब हैं वे आप की ऐन्टीबायोटिक इंजेक्शन और ऐन्टीबायोटिक औषधियांशहर आकर नहीं से सकते हैं । आज हमारे यहां ऐसी औषधियां हैं, और अगर ऐसी औषधियां नहीं हैं तो उन की खोज की जाय । अनुसन्धान और खोज की भूख ले कर अगर आज हम करोड़ों पयों की धनराशि दें अपने वैद्यों और विद्वानों को, जो बड़ी भावना और तपस्या के साथ काम करना चाहते हैं, तो हिमालय आज भी स्वागत करने को तैयार है । जड़ी बूटियों से भरा हुआ वह आप का स्वागत करेगा और कहेगा कि यहां आओ हमारे पास ।

मैं इतना ही कह कर समाप्त करना चाहूंगा कि दुनिया में ऐलोपैथिक ने जो प्रयोग की है उस के लिए हमारा हिमालय साक्षी है कि हजारों अंग्रेजों ने बड़े बड़े जर्मन लोगों ने अपभी इस भूख को, अपनी इस हंगर को ले कर हिमालय की तरफ घूम कर खोजें की हैं । वें जंगलों में गये । वहां पर जा कर जो जो चीजें थीं उन को उन्होंने देखा । मैं ने देखा है कि जर्भन भाषा में और न जाने किन किन भाषाओं में उन्होंने आयुर्वेद की पुस्तकों का ट्रांस्लेशन किया । यहां पर मेरा आह्वान है कि जब उन्होंने हमारे साधनों का उपयोग किया हमारे ग्रन्थों का उपयोग किया तो क्या कारण है कि जो ग्रन्थ हमारे पास उपलब्ध हैं, जो साधन उपलब्ध हैं, उन का समन्वय करते हुए, हम एक बार फिर उन पन्नों को न उलटें ? क्यों न हम पुरानी संस्कृति का स्मरण करें और धन राशि दें, आदर दें, सम्मान दें ताकि वे प्रेरित हों, हमारा देश भी कुछ अनुभव करे कि हमारे यहां बड़ी खोज के लिए दरवाजे खुले हैं ? अगर ऐसा हो तो कोई कारण नहीं है कि हम संसार में यह न कह सकें कि हमारे पास ऋषियों द्वारा रचित ऐसे ग्रन्थ हैं जिन में ज्ञान का भंडार है, जिन में प्रेरणा है और जिन में दीर्घकालिक मनुष्यत्व की भावना है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले लंका की सरकार ने एक आयुर्वेद सम्मेलन किया था और उस में हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को भी आमन्त्रित किया था । मैं इस के लिये लंका की सरकार का बहुत आभार मानता हूं कि उन्होंने हमारे प्रधान मंत्री को इस सम्मेलन में आमन्त्रित कर के जहां उन्हें सम्मान दिया

वहां यह बात भी सोचने का अवसर दिया कि आयुर्वेद का, जो कि भारतवर्ष की अपनी सम्पत्ति है, दूसरे देश में कितना सम्मान हो रहा है और उस के विकास के लिए वह कितने यत्नशील हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहां जो भाषण दिया उस की कुछ पंक्तियां पढ़ कर मैं सुनाना चाहता हूं। अपने भाषण में प्रधान मंत्री ने कहा :

> "निस्संदेह अतीत काल में आयुर्वेद ने एक विज्ञान की हैसियत से आश्चर्यजनक उन्नति की थी, किन्तु वर्तमान समय में जिस तरह भारत की अन्यान्य क्षेत्रों में प्रगति अवरुद्ध हुई, आयुर्वेद भी अपनी गत्यात्मकता खो बैठा। फलतः वह आगे न देखते हुए अतीत काल में ही अपनी दृष्टि गड़ाये रखने का अभ्यासी हो गया। सम्प्रति मात्र कुछ मंत्रों के उच्चारण एवं कतिपय योगों के प्रयोग तक ही आयुर्वेद सीमित रह गया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आयुर्वेद यूनानी चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिकता का यथेष्ट समावेश करने की आवश्यकता है। इसे अत्याधुनिक बनाने से सारी मानव जाति इस प्रणाली से उपकृत हो सकती है।"

मैंने यह शब्द विशेषकर इसलिए पढ़ कर सुनाये हैं कि हमारी सरकार को यह सोचने की आदत हो गई है कि प्रधान मंत्री अगर किसी बात के लिए प्रमाण पत्र दे दें तो हमारा मंत्रिमंडल उस बात को ब्रह्मवाक्य समझने लगता है, और अगर प्रधान मंत्री किसी बात के सम्बन्ध में अपनी विपरीत सम्मति व्यक्त करें तो मंत्रियों के सोचने का ढंग बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है।

महाबलेश्वर में शुद्ध आयुर्वेद को प्रचलित करने का जो निर्णय लिया गया उस सम्बन्ध में मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री से बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बात को थोड़ा कसौटी पर भी कस कर देखें कि आयुर्वेद के जिन छात्रों को आपने आयुर्वेद और ऐलोपैथिक दोनों प्रणालियों की सम्मिलित शिक्षा दी है वे इस समय चिकित्सा के क्षेत्र में ज्यादा सफल हो रहे हैं या केवल मात्र वे जिन को ऐलोपैथिक या आयुर्वेद की शिक्षा दी गई है, वे ज्यादा सफल हो रहे हैं। मैं इस बात को चुनौती के साथ कह सकता हूं कि आयुर्वेद और ऐलोपैथिक दोनों का सम्मिलित कोर्स जिन्होंने अध्ययन किया है, आप गांवों और शहरों में जा कर देखें, वे केवल ऐलोपैथिक डाक्टरों की अपेक्षा ज्यादा सफल हो रहे हैं। बल्कि मैं तो इस सम्बन्ध में एक और सुझाव देना चाहता हूं कि जैसा श्री हनुमन्तय्या ने कहा कि जैसे ऐलोपैथिक डाक्टरों को वेतन और सम्मान दिया जाय उसी प्रकार आयुर्वेद के पढ़े हुए स्नातकों को भी उतना ही वेतन और सम्मान दिया जाये। मेरा कहना इस सम्बन्ध में कुछ और ही है। जिनको आयुर्वेद और ऐलोपैथी का पूरी तरह ज्ञान प्राप्त है उनको सम्मान भी अधिक मिलना चाहिए और वेतन भी अधिक मिलना चाहिए क्योंकि वे दोनों विषयों के ज्ञाता हैं।

इसी सम्बन्ध में मैं आप से एक और अनुरोध करूंगा कि जब से आपने इकहरी शिक्षा देने का यह निर्णय लिया उसका परिणाम यह हुआ है कि लाखों करोड़ों रुपये खर्च करके आपने जिन आयुर्वेदिक कालिजों की स्थापना की थी और जिनमें पहले १५० या २००. या ११० लड़के पहले वर्ष में होते थे उनमें जब से आपने शुद्ध आयुर्वेद का निर्णय किया है पांच पांच और छः छः लड़के दिखायी दे रहे हैं। आपने जिस पौधे को अपने हाथ से सरकार ने लगाया उसको स्वयं ही काट भी रहे हैं। यह कहां की बुद्धिमत्ता है ?

जहां तक जामनगर के इंस्टीट्यूट का सम्बन्ध है डा० सुशीला नायर ने कहा कि मेरी राय है कि दोनों प्रकार की चिकित्सा प्रणालियां आगे बढ़ें और अधिक उपयोगी बनें। लेकिन नन्दा जी

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

ने उसका विरोध किया । मैं कहना चाहता हूं कि क्या नन्दा जी या मोरारजी देसाई की सम्मति ज्यादा मूल्यवान है या आयुर्वेद विज्ञान के विकास की भावना मूल्यवान है । अगर इस प्रकार का फैसला किसी व्यक्ति विशेष के कहने से लिया जायेगा और विज्ञान के विकास की दृष्टि से नहीं लिया जायेगा तो यह उचित नहीं होगा ।

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : आप इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहते हैं या शुद्ध आयुर्वेदिक ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जो दोनों का सम्मिलित तरीका अब तक चलता आ रहा है उसी को चलने दिया जाये और उसके लिए ज्यादा सुविधाएं दी जायें और उस समन्वित प्रणाली को आगे बढ़ाया जाये ।

अन्त में मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि आज आप सेना के लिए केवल ऐलोपैथी के डाक्टरों की ही सेवा प्राप्त कर रहे हैं, इन कुशल हुए और चतुर हाथों की सेवा क्यों नहीं प्राप्त करते जो कि ऐलोपैथी और आयुर्वेद दोनों का ज्ञान रखते हैं और जिनकी देश में काफी संख्या भी है, और सेवा के लिए आतुर हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव की भावना का स्वागत करता हूं ।

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डा० द० स० राजू) :** मुझे हर्ष है कि इस महत्वपूर्ण विषय की चर्चा में बहुत से माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। मेरा निवेदन है कि विकास की वर्तमान अवस्था में ऐलोपैथिक प्रणाली के स्थान पर आयुर्वेदिक प्रणाली रखना न केवल अवांछनीय और अनुचित होगा बल्कि खतरनाक भी होगा ।

आयुर्वेद एक महान विज्ञान है और हजारों वर्ष पहले यह चोटी पर था । किन्तु ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों से यह नीचे दब गया था । आजादी पाने के साथ हमने आयुर्वेद भी खो दिया था।

किन्तु सचाई बहुत देर तक छुप नहीं सकती। अब आयुर्वेद की सचाइयां स्पष्ट हो रही हैं। उदाहरणतया सर्पगंधा रक्तचाप और सांप के काटे के लिए बहुत अच्छा पाया गया है। अब यह बाजार में मिलता है । इसी तरह सोना भी आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है। तपेदिक के लिए अब भी माइक्रोसीन प्रयोग किया जाता है ।

किन्तु ऐलोपैथिक प्रणाली आधुनिक विज्ञान का एक हिस्सा है, वह विज्ञान जिसके कारण स्पुटनिक, अणुबम आदि बने हैं और हमें रिएक्टर और आइसोटोप्स दिये हैं । ऐलोपैथिक प्रणाली ने बहुत अधिक प्रगति की है और इसको विश्व के सभी देशों में बरता जाता है। इसके अनुसंधान पर लाखों डालर खर्च किये जा रहे हैं क्या हमें इनसे लाभ नहीं उठाना चाहिये। उनकी उपेक्षा करना बहुत खतरनाक होगा। आधुनिक विज्ञान की उपेक्षा

---

†मूल अंग्रेजी में

करना असंभव है। चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली का आधुनिक विज्ञान से अटूट सम्बन्ध है।

अब ऐलोपैथिक प्रणाली को कैसे बदला जा सकता है? रोकी जाने वाली बीमारियों के लिए हमारे पास क्या है। मेलेरिया, चेचक और हैजा के लिए आयुर्वेद में क्या दवाइयां हैं। इन से लाखों लोग मर रहे हैं। हमने इनके उन्मूलन के कार्यक्रम शुरू किये हैं और लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं। इस समय इस प्रणाली को बदलना बहुत खतरनाक होगा।

किन्तु हम आयुर्वेद के विकास के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं और बहुत सा रुपया खर्च कर रहे हैं। आंकड़े इस प्रकार हैं: १९५४–५५८––१२, ८२,००० रुपये, १९५६–५७——१०,२०,०००, १९५७–५८——१६,२२,०००, १९५८–५९———२६,६९,०००, १९६०–६१——१४,४२,०००, १९६१–६२ में १७,२८,००० रुपये। अतः हम इस प्रणाली की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं।

आयुर्वेद एक वैज्ञानिक प्रणाली है। पुराने ऋषि शवों को बहती नदियों में रखा करते थे और शरीर ज्ञान का अध्ययन करते थे। स्पष्ट है कि हम उन तरीकों को अपना नहीं सकते।

मैं श्री यशपाल सिंह से कहूंगा कि वे अपना संकल्प वापस ले लें। इस समय प्रणाली को बदलना बहुत खतरनाक होगा, एक समय आयेगा जब आयुर्वेद अपना उचित स्थान लेगा और एक वैज्ञानिक प्रणाली स्थापित हो जायेगी। हमें एकीकरण पर कोई आपत्ति नहीं। मैंने अभी बताया है कि हम आयुर्वेद की कैसे सहायता कर रहे हैं। डा० सिंघवी के संकल्प की भावना स्वीकार कर ली गई है।

जहां तक ऐलोपैथी के नाम को बदलने का सम्बन्ध है, हमें इसे बदलने पर कोई आपत्ति नहीं किन्तु यही नाम विदेशों में भी प्रयोग किया जाता है। फिर भी हमें इसे चिकित्सा की आधुनिक प्रणाली कहने में कोई आपत्ति नहीं। जहां तक आयुर्वेद के नाम का सवाल है, यह हमारी सभ्यता और संस्कृति से सम्बद्ध है। इसलिए मैं वह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता।

तीसरे प्रस्ताव में जो यह सुझाव है कि दोनों प्रणालियों का एक साथ प्रयोग किया जाये, गलत है और यह संभव नहीं है। चौथा प्रस्ताव कि आयुर्वेदिक प्रणाली को अधिमान्य दिया जाये यह भी संभव नहीं।

माननीय मंत्री ने हिन्दी में बोला था, उनके भाषण में माननीय सदस्यों के अधिकांश प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया है। श्री हनुमन्तैय्या ने कहा था कि आयुर्वेद के लिए एक केन्द्रीय परिषद स्थापित की जाये। इस सुझाव पर देशी चिकित्सा प्रणाली सम्बन्धी राज्यों के बोर्डों की बैठक में जो एक दो साल पहले नैनीताल में हुई थी चर्चा की गई थी। उसकी सिफारिश थी कि देशी चिकित्सा प्रणाली की एक केन्द्रीय परिषद भारतीय डाक्टरी परिषद के लाइनों पर बनाई जाये। यह विचाराधीन है।

†**श्री हनुमन्तैय्या** : मैंने देशी प्रणाली नहीं, आयुर्वेदिक प्रणाली के लिए कहा था। आयुवदिक प्रणाली को अलग रखा जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० द० स० राजू** : इस बात को ध्यान में रखा जायेगा।

डा० सुशीला नायर ने कहा है कि चाहे कोई प्रणाली हो, ऐलोपैथी, आयुर्वेदिक हो या कोई और, हम सब पर विचार करने के लिए तैयार हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने एकीकृत प्रणाली का उल्लेख किया है। दुर्भाग्य से यह लोकप्रिय नहीं रहा। मैंने देखा है कि वे डाक्टर भी जिन्होंने इस प्रणाली में शिक्षा प्राप्त की है, वह आयुर्वेदिक प्रणाली को छोड़ कर एलोपैथिक प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं। ये सब लोगों की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। जो प्रणाली लोग चाहते हैं हमें उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम अन्यथा नहीं कर सकते।

इन सब कारणों को देखते हुए यदि माननीय सदस्य संकल्प और स्थानापन्न प्रस्ताव वापस ले लें, तो मुझे बहुत हर्ष होगा।

श्री यशपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सब मेम्बरान का आभारी हूं जिन्होंने इस मामले में राय दी है। हमारे यहां मुखालफत जो है वह भी वरचू मानी जाती है। भगवान महावीर स्वामी ने दोनों को मान्य कहा है, जो खिलाफ बोलते हैं उसको भी और जो हक में बोलते उनको भी। दोनों ओर बोला जा सकता है। इसलिए मैं उन दोनों साहबान का बड़े सच्चे दिल से आभारी हूं कि उन्होंने मुझे राय दी और इस हाउस के दीगर मेम्बरान का आभारी हूं कि इतनी शांति के साथ इस बात को सुना गया। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो समझ में न आये। १०० फीसदी समझ में आ जाय और आप कनविंस हो जांय तब मैं आगे चलूंगा। आयुर्वेद के साथ जो स्टैप मदरली ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसकी मैं एक मिसाल देता हूं। जैसे मंत्री जी चांदनी चौक में चले जांय और चांदनी चौक का लाला यह कहे कि तुमने कपड़ा खरीदा है या नहीं खरीदा है, लेकिन दाम तुम्हें जरूर देने पड़ेंगे। आपने कोट का कपड़ा नहीं लिया, आपने एक गज भी नहीं लिया, लेकिन चांदनी चौक का लाला कहता है कि तुमने कपड़ा लिया या नहीं लिया लेकिन दाम जरूर देने पड़ेंगे, मेरे साथ ठीक यही बात हो रही है। मैं ऐलोपैथी को पाप मानता हूं। मैं ऐलोपैथी से मौत पसन्द करूंगा। एक तरफ मौत हो और दूसरी तरफ ऐलोपैथी का सिस्टम हो और मुझे उन दोनों में से चुनना हो तो मैं ऐलोपैथी के बजाय मौत को अंगीकार कर लूंगा। सरकार सी० एच० एस० का मुझसे भी काटते हैं। डाक्टरी इलाज और दवाओं के खातिर मेरी तनख्वाह से भी पैसा कटता है। अगर आयुर्वेद के लिए मेरी तनख्वाह से कटता तो मुझे खुशी होती कि मेरी संस्कृति के पुजारियों के लिए काट रहे हैं। मेरे वैद्यों के लिए काट रहे हैं लेकिन उनके लिए न कट कर यह उन लोगों के लिए कट रहा है जिन्होंने कि हजारों को जहर पिला कर मार दिया, जिन्होंने कि आपरेशन के दौरान हजारों को बिला मौत के मार दिया। जब ऐसे लोगों के लिए मेरी तनख्वाह मैं से पैसा कटता है तो इससे बढ़कर बेइंसाफी और क्या हो सकती है? यह बेइंसाफी ऐलोपैथी के हक में की जाती है।

मैं कोई बात ऐसी न कहूंगा जोकि १०० फीसदी समझ में न आये। ऐलोपैथी की सपोर्ट और वकालत करते हुए एक चीज हमसे यह भी कही जाती है कि आयुर्वेद सिस्टम पुराना हो गया, हजार साल पहले अथवा दस हजार साल पहले बना था तो मैं उन सज्जनों से पूछना चाहूंगा कि वह चूंकि बहुत पहले बना था और पुराना हो गया है महज इसीलिये

---

†मूल अंग्रेजी में

क्या आप उसे छोड़ देंगे? फिर तो मैं कहूंगा कि सूर्य करोड़ों साल पहले बना था क्या आप सूर्य को इंकार कर देंगे क्योंकि वह पुराना हो गया है, और चूंकि पुराना हो गया है इसलिए उसकी रोशनी बेकार हो गयी है? क्या आप समुद्र को इंकार कर देंगे क्योंकि वह पुराना हो गया है? इसी तरह चांद को आप क्या यह कह कर इंकार कर देंगे कि वह पुराना हो गया है और उसकी रोशनी व्यर्थ हो गयी है? इसी तरह क्या आप पानी को इंकार कर देंगे? मैं पंडित नेहरू के लफ्जों में कहना चाहता हूं :

> "आधुनिक चीज अनिवार्य रूप से अच्छी नहीं होती और पुरानी चीज अनिवार्य रूप से बुरी नहीं होती। इसका उलट भी सही है। हमें दूसरी प्रणालियों की अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिये।"

किसी चीज को आप इसलिए कंडैम कर दें कि वह पुरानी है तो क्या परमेश्वर और भगवान जोकि सबसे पुराने हैं उनसे आप इंकार कर देंगे? हिमालय सबसे पुराना है इसलिए क्या आप हिमालय से इंकार कर दीजियेगा? मैं उसूल के तौर पर कहता हूं कि मैं अपने इस प्रस्ताव को वापिस नहीं लूंगा और उसको इसलिए वापिस नहीं लूंगा कि एक एक आदमी जब सच्चाई के लिए लड़ा है, मेरे साथ तो हजारों साथी हैं। "रामो द्विर्नाभिमाषते।" मेरे दादा ने यह बात कही है। राम अपनी बात को कह कर वापिस नहीं लेता है। मैं उनका वंशज हूं मैं उनकी मर्यादा को तोड़ नहीं सकता। मैं यह भी जानता हूं कि चाहे संसार खिलाफ हो, सच्चाई सामने आकर रहेगी।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर): भाई, हम लोग तो आपके विचार के समर्थक हैं, एक सिरे से सब को तो डाउन मत कीजिये।

श्री यशपाल सिंह : जब मैं यह जानता हूं कि इतिहास में सच्चाई के लिए एक, एक मनुष्य लड़ा है, झंडा बुलन्द किया है, सत्यमेव जयते को जब मैं मानता हूं, परम पिता परमेश्वर को जब मैं मानता हूं तब मैं अपने प्रस्ताव को वापिस नहीं ले सकता हूं।

ऐलोपैथी के मुकाबले आयुर्वेद को जो मैं बहतर मानता हूं यह बात आपकी तब समझ में आयेगी जब एलोपैथिक सिस्टम की मैडिकल एथारिटीज़ जिनको आप मानते हैं, उन को बीमार सौंप कर देखिये और हम आयुर्वेद वालों को बीमार सौंप कर देखिये, ज्यादा नहीं ६ महीने ट्राई करके देखिये, अगर हमारा रैज़ल्ट उन से ८० फ़ीसदी बढ़ा हुआ न हो तो मुझ को कैपिटल पनिशमैंट दिया जाय, मेरा हाथ कटवा दिया जाय और मुझ को इस हाउस में खड़ा करके गोली से उड़वा दिया जाय। लेकिन यहां पक्षपात उन के लिए है जो कि यहां से ५००० मील पर बैठे हैं, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति के विरोधी हैं। जिसे आप एडैप्टेबिल्टी कहते हैं। मैं उसे कैरेक्टेरलैसनैस कहता हूं। जिस में अपना चरित्र नहीं है, अपनी संस्कृति नहीं है, अपना इतिहास नहीं है, अपना तमद्दुन नहीं होता और अपना कल्चर नहीं होता, ऐसे लोग ही दूसरों से आदर्शों की भीख मांगा करते हैं। जिस आयुर्वेद से करोड़ों साल तक इस संसार ने फायदा उठाया है वह आयुर्वेद आज अनफ़िट नहीं हो सकता। अलबत्ता हमारे जो कर्णधार हैं उन की बुद्धि अभी ज़रा अनफ़िट है और जल्दी ही साल, दो साल में उन का परम पिता परमेश्वर जब सद्बुद्धि देंगे तब आयुर्वेद सिस्टम को क़ायम किया जायेगा।

मैं माननीय डा० सुशीला नायर के भाषण से बहुत ज्यादा निराश हुआ। उस में ऐसी अनहोनी बातें कही गयीं और ऐसी अनऐतिहासिक बातें कही गयीं, ऐसी अप्रामाणिक बातें

[श्री यशपाल सिंह]

कही गई कि सुश्रुत के ज़माने में आंखें फोड़ते थे और ९९ प्रतिशत आदमियों की आखें फट जाती थीं । वे सुश्रुत से इन्कार करते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेद तो हिमालय के समान है और ऐलोपैथी एक चींटी के समान है । जिस तरह से चींटी हिमालय पर बैठ कर हिमालय का अन्दाज़ा नहीं कर सकती, उसी तरह ऐलोपैथी हमारे आयुर्वेद का अन्दाजा नहीं कर सकती ।

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि दोनों सिस्टम साथ साथ चलेंगे । दोनों सिस्टम न कभी साथ चले हैं और न चल सकते हैं । संसार में या तो सत्य चलेगा या असत्य चलेगा । सत्य और असत्य का जब मिश्रण हुआ, तभी नुकसान हुआ । हम ने पंचशील के साथ अपनी संस्कृति को मिलाया, इसीलिए हम डिफ़ीट और पराजय का मुंह देख रहे हैं । हमारा ५६ हज़ार वर्ग मील क्षेत्र दूसरे मुल्क के अधीन चला गया है, क्योंकि हम ने अपनी संस्कृति को ग़ैरों की संस्कृति के साथ मिला दिया था । जो कहते हैं कि दोनों सिस्टम साथ साथ चलेंगे, मैं उन के सामने वर्ल्ड के हाइएस्ट मेडिकल अथारिटी, आटो फ्रिश, के ये शब्द रखना चाहता हूं :—

भौतिकीविद उस न्यायाधीश की स्थिति में है, जिसे ऐसे झगड़ का निपटारा करने के लिए कहा जाता है जिसमें दोनों पक्ष बराबर के होते हैं । एक न्यायाधीश ने यह कह कर निर्णय करना चाहा कि दोनों पक्ष सही हैं । आज का भौतिकीविद भी यही रवैया अपनाता है ।

दोनों में से एक रास्ता अख्त्यार करना पड़ेगा ।

"दोरंगी छोड़ कर यकरंग हो जा,
सरासर मोम हो या संग हो जा" ।

या तो पांच हज़ार मील पर बने हुए सिस्टम को मानना होगा और या हमारे बाप-दादाओं, हमारे ऋषि-मुनियों, हमारे टार्च-वीयरर्ज़ के सिस्टम को मानना होगा ।

जिस को एवोल्यूशन कहा जाता है, उस को मैं एवोल्यूशन नहीं कहता हूं । मैं कहता हूं कि वह अज्ञान की तरफ़ जाना ह । जिन किताबों को हमारे कई मित्र पढ़ते हैं, उन से अज्ञान पैदा हुआ, बीमारियां पैदा हुईं । मैं पूछता हूं कि क्या स्वामी रामकृष्ण परमहंस पढ़े हुए थे । वह अनपढ़ थे, लेकिन उन के ज्ञान के चक्षु खुल हुए थे । क्या छत्रपति शिवाजी महाराज पढ़े हुए थे ? वह अनपढ़ थे, लेकिन उनकी इन्नर आईज़ खुली हुई थीं । क्या हज़रत रसूल अल्लाह सली अल्लाह अलिया वसलम पढ़े हुए थे ? वह अनपढ़ थे, लेकिन उन के ज्ञान के चक्षु खले हुए थे और आज भी अस्सी करोड़ इंसान उन के नूर से मुनव्वर होते हैं ।

श्री चं० ला० चौधरी (महुआ): आन ए प्वायंट आफ़ आर्डर, सर ।

श्री यशपाल सिंह : माननीय सदस्य अपनी बात बाद में कह सकते हैं । (**अन्तर्बाधा**)

श्री चं० ला० चौधरी : मैं ने प्वायंट आफ़ आर्डर उठाया है । माननीय सदस्य ज़रा ठहर जायें । जो कुछ वह कह रहे हैं, वह बिल्कुल ग़लत है । (**अन्तर्बाधा**)

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री यशपाल सिंह : मैं ने जो कुछ कहा है, उस को मैं साबित कर दंगा ।

के बारे में संकल्प

हज़रत रसूल अल्लाह सली अल्लाह अलिया व सलम की ज्ञान की आंखें खुली हुई थीं। उन में नूर था और उन के नूर से आज भी अस्सी करोड़ इन्सान मुनव्वर होते हैं। अगर माननीय सदस्य यह बात इस्लामिकि प्वायंट आफ़ व्यू से ग़लत साबित कर देंगे, तो मैं.....

श्री चं० ला० चौधरी : आन ए प्वायंट आफ़ आर्डर, सर।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : औचित्य प्रश्न क्या है?

श्री चं० ला० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जनाब सरबरे-कायनात मुहम्मद मुस्तफ़ा सली अल्लाह अलिया व सलम का जहां तक सवाल है, माननीय सदस्य ने कहा है कि वह जाहिल थे। उन्होंने बिल्कुल समझा नहीं है। (**अन्तर्बाधा**)। क्या वह समझते हैं कि हम उनकी कम इज्जत करते हैं (**अन्तर्बाधा**)।

श्री यशपाल सिंह : मैं माननीय सदस्य से ज्यादा उन की इज्ज़त करता हूं।

श्री चं० ला० चौधरी : माननीय सदस्य ने बिल्कुल ग़लत कहा है। जनाब सरवरे-कायनात के मुताल्लिक उन्होंने जो कुछ कहा है, वह एक फ़िर्कापरस्ती की बात मालूम होती है। माननीय दस्य को सोच-समझ कर ऐसी बातें कहनी चाहिए और देखना चाहिए कि सारे हिन्दुस्तान पर इस का क्या असर हो सकता है। उन्हें इस को विदड्रा करना चाहिए।

श्री यशपाल सिंह : इन को हज़रत उम्मी कहते हैं। माननीय सदस्य ने अभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। (**अन्तर्बाधा**) हज़रत रसूल अल्लाह सली अल्लाह अलिया व सलम के मुताल्लिक मैं ने उन से ज्यादा पढ़ा है।

श्री चं० ला० चौधरी : मैं ने खूब अच्छी तरह से पढ़ा है। (**अन्तर्बाधा**)

श्री यशपाल सिंह : अगर मेरी बात ग़लत होगी, (**अन्तर्बाधा**) **तो आई मस्ट बि पनिश्ट फार दैट**।

मैं कह रहा था कि जिसे हमारे मित्र ज्ञान कहते हैं, वह अज्ञान है। जिसे वह इवोल्यूशन कहते हैं, वह एवोल्यूशन नहीं है, बल्कि वह हम में बीमारियां पैदा कर रहा है और हमको गिरावट की तरफ़ ले जा रहा है। मेरी दरख़्वास्त है कि हमारे मित्र सच्चाई के नाम पर अन्धेरे को नहीं ला सकते हैं। या तो प्रकाश का राज्य होगा, या संसार अंधेरे में रहेगा। जिस सिस्टम को हम मिटाना चाहते हैं, उसको हमारे मित्र किसी न किसी तरह कायम रखना चाहते हैं।

जिसका जिक्र हमारे मित्र करते हैं, वह मैटीरियलिज्म है। व ऐसे लोग हैं, जो हमारी संस्कृति और हमारे तमद्दुन से वाकिफ़ नहीं हैं। हमारा बुनियादी तौर से इख़्तलाफ़ है। हमारा आयुर्वेद कहता है कि मनुष्य का ज्ञान और शक्ति अथाह हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि चालीस साल की उम्र में आदमी डीके की तरफ बढ़ता है, जबकि हम कहते हैं कि चालिस साल की उम्र में आदमी डीके की तरफ नहीं बढ़ता है। हम कहते हैं कि बाल-ब्रह्मचारी, योगी और भजनीक से बुढ़ापा और मौत दोनों थर थर कांपते हैं और जो हमारे जैसे पापी लोग हैं, उन के लिए हमारे यहां लिखा हुआ है कि "अशीतीवर्षो युवा"—अस्सी साल का आदमी जवान होता है। अगर कोई आदमी चालीस साल की उम्र में अपने आपको बूढ़ा समझता हो, तो यह बदकिस्मती की इन्तहा है।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम यह प्रस्ताव वापस नहीं लेंगे और वह हमारे साथ हमदर्दी, प्रेम और मुहब्बत के नाते, महात्मा गांधी और इंडियन कल्ट्यर के नाम पर, वोटिंग में हमारा साथ दे। आयुर्वेद को आज से ही कायम किया जाये।

संशोधन, संख्या १ सदन की अनुमति से वापस ले लिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

संशोधन संख्या २ और ३ उपाध्यक्ष महोदय द्वारा **मतदान के लिये प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुये ।**

संशोधन संख्या ४ सदन की अनुमति से **वापस ले लिया गया।**

संशोधन संख्या ५ उपाध्यक्ष महोदय द्वारा **मतदान तथा लिये रखा गया के अस्वीकृत हुआ।**

संशोधन संख्या ६ सदन की अनुमति से वापस ले लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संकल्पों को मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"इस सभा की यह राय है कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को हटा कर देश में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति प्रचलित की जाये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अर्थशक्ति के केन्द्रीकरण के बारे में संकल्प

†श्री भागवत झा आज़ाद (भागलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस सभा की यह राय है कि चीनी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए देश को प्रतिरक्षा को मज़बूत बनाने के लिए कोई कसर न उठा रखी जाये और इसके साथ ही अर्थ, शक्ति तथा धन के विकेन्द्रीकरण, आय की विषमता में वृद्धि और मूल्यों में वृद्धि की संभावना को रोकने के लिए निरन्तर सतर्कता से काम लिया जाय, जिससे हमारे समाजवादी समाज की स्थापना के संकल्प को धक्का पहुंच सकता है ।"

यद्यपि चीन के आक्रमण का सामना करने के लिए देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए भरसक प्रयत्न किया जाना उचित है परन्तु आर्थिक शक्ति एवं सम्पत्ति के केन्द्रीकरण, आय की असमानता में वृद्धि और मूल्यवृद्धि जो हमारे समाजवादी समाज की स्थापना के प्रयत्न को विफल करते हैं, कि संभावना के प्रति निरन्तर सतर्कता रखी जानी चाहिये ।

हमें अपनी आर्थिक नीतियों पर आपातकाल की दृष्टि से विचार करना चाहिये । यद्यपि राष्ट्र की प्रतिरक्षा को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिये परन्तु हमें अपने कृषि एवं उद्योगों को भी इस प्रकार दृढ़ बनाना चाहिये कि व हमारे चीनियों के साथ लम्बे संघर्ष में सहायक हो सकें ।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, ८ दिसम्बर, १९६२ / १७ अग्रहायण, १८८४ (शक) के बारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९६२
१६ अग्रहायण, १८८४ (शक)

विषय		स्तम्भ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१९३९—४२
अ० सू० प्र० सं०		
६	सरकारी भूमि से शरणार्थियों का हटाया जाना	१९३९-४१
७	मिग विमान कारखाना	१९४१-४२
प्रधान मंत्री का वक्तव्य—		१९४३-४९

प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी हाल की असम यात्रा और चीनी आक्रमण से सम्बन्धित कुछ अन्य विषयों के बारे में वक्तव्य दिया

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया	
चौथा प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया	१९४९
प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया	
आठवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया	१९४९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१९४९—५३

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) मंत्रियों द्वारा विभिन्न सत्रों में, जो कि प्रत्येक के सामने बताये गये हैं, दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण :—

(एक) विवरण संख्या १	तीसरा सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)
(दो) अनुपूरक विवरण संख्या २	दूसरा सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)
(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ५	प्रथम सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)
(चार) अनुपूरक विवरण संख्या ५	सोलहवां सत्र, १९६२ (दूसरी लोक-सभा)
(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या ८	पन्द्रहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक-सभा)

विषय स्तम्भ

(छै) अनुपूरक विवरण संख्या १६ तेरहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक-सभा)

(२) आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन की वर्ष १९६१-६२ के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

नियम संख्या ६६ का निलम्बन . . . . . १९५३—५५

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने यह प्रस्ताव किया कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन समिति सम्बन्धी नियमों के नियम ६३ के परन्तुक पर विचार करने तथा उसे पारित करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर लागू होने से निलम्बित कर दिया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित किये गये . . . . . १९५५—८०

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने यह प्रस्ताव किया कि (१) आपातकालीन जोखिम (माल) बीमा विधेयक और (२) आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । विधेयकों पर खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किये गये ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत १९८०

बारहवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प अस्वीकृत किया गया . . . १९८०—२०१०

श्री यशपाल सिंह द्वारा २३ नवम्बर, १९६२ को प्रस्तुत किये गये, एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को हटा कर आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को रखने के बारे में संकल्प पर अग्रेतर चर्चा पुन : आरम्भ हुई । श्री यशपाल सिंह ने चर्चा का उत्तर दिया । उस पर ६ संशोधन प्रस्तुत किये गये, उन में से तीन अस्वीकृत हुए शेष तीन सभा की अनुमति से वापस ले लिये गये । संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प विचाराधीन २०१०

श्री भागवत झा आजाद ने अर्थ शक्ति के केन्द्रीकरण के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शनिवार, ८ दिसम्बर, १९६२ / १७ अग्रहायण, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि . . . . . .

दिल्ली मोटर गाड़ी करारोपण विधेयक, १९६२ पर विचार और उसका पारित किया जाना । बड़े पत्तन प्रन्यास विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने (२) संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार ।

GMGIPND—LS III—2424 (Ai) LSD—11-1-63—140.

	पृष्ठ
(२) खंड २ से १९, नया खंड २० और १ [आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा विधेयक]	१९७५–८
संशोधित रूप में पारित करने के प्रस्ताव—	
श्री मोरारजी देसाई	१९७५–८०
श्री रंगा	१९८०
डा० मा० श्री० अणे	१९८०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
बारहवां प्रतिवेदन	१९८०
आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में संकल्प	१९८०–२०१०
श्री यशपाल सिंह	१९८०–८४
डा० गायतोंडे	१९८४–८५
श्री रामेश्वरानन्द	१९८५–८७
डा० गोविन्द दास	१९८७–८८
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	१९८८–८९
श्री रणंजय सिंह	१९८९–९१
श्री द्वा० ना० तिवारी	१९९१–९३
श्री ब० कु० दास	१९९३–९४
डा० सुशीला नायर	१९९४–९८
श्री खाडिलकर	१९९८
श्री विशन चन्द्र सेठ	१९९८–२०००
श्री हनुमन्तैया	२०००–०१
श्री रा० शि० पांडेय	२००१–०२
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	२००२–०४
डा० द० म० राजू	२००४–१०
अर्थ शक्ति के केन्द्रीकरण के बारे में संकल्प	२०१०
श्री भागवत झा आजाद	२०१०
दैनिक संक्षेपिका	२०११–१२

PLS. 41. XI. 23. 62.
140

© १९६२ प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।